भारतीय प्रेस परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट

(1 अप्रैल, 2008 - 31 मार्च, 2009)

नई दिल्ली

मुद्रक : बंगाल ऑफसेट वर्क्स, 335, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री गनेन्द्र नारायण रॉय

भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री विष्णु नागर	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, नई दुनिया, नई दिल्ली ।
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, उत्तर प्रदेश ।
श्री विजय कुमार चोपड़ा	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, फिल्मी दुनिया, दिल्ली ।
श्री शीतला सिंह	हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जनमोर्चा, उत्तर प्रदेश ।
सुश्री सुमन गुप्ता	हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, सरयू तट से, उत्तर प्रदेश ।

अंग्रेजी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री योगेश चन्द्र हलन	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, एशियन डिफेंस न्यूज़, नई दिल्ली ।

सम्पादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट

श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन, विशाल आंध्रा, आन्ध्रा प्रदेश ।
श्री मिहिर गंगोपाध्याय(गाँगुली)	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, स्वतंत्र पत्रकार, बर्तमान, पश्चिम बंगाल ।
श्री एम.के. अजीत कुमार	प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, मातृभूमि, नई दिल्ली ।
श्री जोगिन्दर चावला	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, स्वतंत्र पत्रकार ।
श्री जी. प्रभाकरण	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन, दी हिन्दू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ।
श्री कल्याण बरुआ	प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी ।
श्री एस.एन. सिन्हा	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन प्रेस एसोसिएशन, स्वतंत्र पत्रकार ।

बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री होरमुसजी नुस्सेवांजी कामा	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, बाम्बे समाचार, महाराष्ट्र ।
श्री टी. वेंकटराम रेड्डी	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, आन्ध्र भूमि, आन्ध्र प्रदेश ।
श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, अमरावती मंडल, महाराष्ट्र ।
श्री कुंदन रमन लाल व्यास	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, जन्मभूमि प्रवासी, महाराष्ट्र ।

श्री रमेश गुप्ता	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, तेज वीकली, नई दिल्ली ।
श्री सुशील झलानी	इंडियन फेडरेशन ऑफ स्माल एवं मीडियम न्यूज़पेपर्स, अरुण प्रभा, राजस्थान ।

समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री वी.एस. चन्द्रशेखर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और साहित्य अकादमी में नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

डा. प्रांजय गुहा ठाकुर्ता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
श्री मिलन कुमार डे	भारतीय विधिज्ञ परिषद् ।
डा. ललित मंगोत्रा	साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

डा. सेबेस्टियन पाल	लोक सभा
श्री भरतसिंह माधव सिंह सोलंकी	लोक सभा
श्री एम.ए. खाराबेला स्वेन	लोक सभा
श्री यशवंत सिन्हा	राज्य सभा
डॉ. के. केशव राव	राज्य सभा

सचिव : श्रीमती विभा भार्गव

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		
अध्याय I	सामान्य समीक्षा	1
अध्याय II	प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरे से सम्बन्धित शिकायतों पर निर्णय	66
अध्याय III	प्रेस के विरुद्ध दाखिल शिकायतों में परिषद् द्वारा दिये गये निर्णय	76
अध्याय IV	प्रबंध निदेशक एवं एडीटर-इन-चीफ़ , करावली अली, मंगलौर की असामाजिक तत्वों और पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत पर परिषद् की रिपोर्ट	88
अध्याय V	परिषद् का वित्त 2008-2009	93
संलग्नक :		
(क)	मामलों का विवरण 1 अप्रैल 2008 - 31 मार्च, 2009	114
(ख)	अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2008	115
(ग)	अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2008	116
(घ)	निर्णयों का आलेख 2008-2009	117
(ड.)	प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी से सम्बद्ध शिकायतों पर निर्णयों की विषयगत सारिणी (2008-2009)	118
(च)	प्रेस के विरुद्ध शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारिणी (2008-2009)	122
(छ)	प्रेस की स्वतंत्रता में धमकी से सम्बद्ध शिकायतों पर निर्णयों में रिकार्ड किये गये सिद्धांतों की सारिणी	134
(ज)	प्रेस के विरुद्ध शिकायतों में निर्णयों में रिकार्ड किये गये सिद्धांतों की सारिणी	135
(झ)	प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित किये गये आदेशों की विषयगत सारिणी	138
(ञ)	प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की समीक्षा, जिसे परिषद् द्वारा 2 मार्च, 2009 को अंतिम रूप दिया गया	140

प्राक्कथन

वर्ष 2008-2009 के लिए भारतीय प्रेस परिषद् की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट पाठकों को प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है।

इस रिपोर्ट में समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद् द्वारा चलाई गई विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। यह वर्ष के दौरान प्रेस से तथा उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और निर्णीत मामलों, परिषद् तथा इसकी समितियों के क्रियाकलापों का विश्लेषण भी करती है। यथापूर्व, इसमें देश तथा संसार में प्रेस की स्थिति का वर्णन भी है और वर्ष के दौरान प्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख भी।

बार-बार यह महसूस किया गया है और कई लोगों द्वारा कहा गया है कि अपने निदेशों को लागू करने के लिए परिषद् को यथेष्ट अधिकार देने की ज़रूरत है। परिषद् ने इस उद्देश्य के लिए अन्य संशोधनों के अलावा प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में उपयुक्त संशोधनों का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं और विचाराधीन हैं। हम इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की आशा कर रहे हैं।

परिषद् ने सलाहकार तथा निर्णायक की अपनी भूमिका में प्रेस और जनता की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा है।

नई दिल्ली
31 मार्च, 2009

जी.एन. रॉय
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

अध्याय- I
सामान्य समीक्षा

वर्ष 2008-2009 कई तरह से मीडिया के व्यवहार में संक्रांति काल रहा है। वर्ष ने बिक्री तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मीडिया की तीव्र प्रगति पर जितना उल्लास देखा, कुछ घटनाओं की मीडिया द्वारा कवरेज पर उतनी ही उद्विग्नता यथा उमा खुराना का मामला या आरुषि हत्याकांड या मुंबई धमाके या बाटला हाउस शूट आउट। यूनेस्को के अनुसार, भारत में साक्षरता दर लगभग 61 प्रतिशत है, जबकि साक्षर युवाओं की संख्या 76 प्रतिशत से अधिक है जो शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि दर का संकेत है। बढ़ती हुई साक्षरता और नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप भारत दूसरे सबसे बड़े समाचार पत्र बाज़ार के रूप में उभरा है। भारत में समाचार पत्रों की बिक्री 2007 में 11.2 प्रतिशत बढ़ी और आशा है कि अगले पाँच वर्षों में 35.51 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। पिछले पाँच वर्षों में समाचार पत्रों में विज्ञापनों से आय 64.5 प्रतिशत बढ़ी है। तथ्यों ने प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया है विशेषतः जब से सरकार ने भारत में अंतरराष्ट्रीय दैनिकों के संस्करण प्रकाशित करने के इच्छुक प्रकाशकों के लिए 100 प्रतिशत इक्विटी की अनुमति दे दी है। यूएस आधारित फ़ाइनेंशल टाइम्स प्रसार के लिए विशाल अवसर देख रहा है। भारत के बड़े मीडिया घराने अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाली शीर्षस्थ मीडिया कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं। इंडिया मीडिया एंड एंटरटेन्मेंट सीनेरियो के सर्वेक्षण के अनुसार मीडिया उद्योग ने 2007 में पिछले वर्ष से 16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। पत्रिका उद्योग के आकार ने वर्ष 2007 के दौरान 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। आशा है कि आने वाले समय में समाचार पत्र प्रकाशन बाजार 243 बिलियन रुपए तक पहुँच जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संसार के बड़े भाग में समाचार उद्योग पर विषाद छाया हुआ है। आर्थिक मंदी के चलते बिक्री में कमी आई, विज्ञापनों से आय घटी, इन्टरनेट संस्करण के विकास और न्यूज़प्रिंट के बढ़ते हुए दाम ने उनके लाभ पर दबाव डाला। यूएसए और यूरोप के मीडिया घराने अब अपना संपादकीय कार्य बाहर से कराने लगे हैं, किंतु विकासशील संसार में स्थिति भिन्न है। समाचार पत्र, कुछ सरकार द्वारा समर्थित और अन्य व्यवसाय सम्राटों तथा अंतरराष्ट्रीय समूहों द्वारा, रवान्डा से तजाक्सितान तक उभर रहे हैं, नेताओं और विज्ञापन के धन को आकर्षित करते हुए। संसार के अनेक भागों में मीडिया की स्वतंत्रता दबाव के नीचे लड़खड़ा रही है। नेपाल, श्री लंका, पाकिस्तान और अफ़्रीका के अनेक देशों में पत्रकार अपने व्यावसायिक कर्तव्य निभाते हुए जान की धमकियों का सामना कर रहे हैं। चिंता का दूसरा क्षेत्र देश में प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण है। यह कोई सुखद स्थिति नहीं है कि कश्मीर से लेकर दक्षिण तक पत्रकारों को अपने कर्तव्य निभाते हुए बाधाओं का सामना करना पड़ा । अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान के वार्षिक "वर्ल्ड

प्रेस फ़्रीडम रिव्यू" के अनुसार भारत को 2008 में पत्रकारों के लिए तीसरे सबसे घातक स्थान का दर्जा दिया गया है।

प्रेस परिषद् ने, अपना काम करते हुए, इन तथा ऐसी अन्य बातों पर नज़र रखी जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

परिचय

वर्ष 1979 में भारतीय प्रेस परिषद् की पुनःस्थापना इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखा जाए तथा सुधारा जाए। परिषद् की एक विशेषता जो इसे विश्व भर में ऐसे किसी भी अन्य अधिकरण या निकाय से भिन्न करती है, यह है कि यह मुख्यतः समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों से बनी है जिन्हें उसी क्षेत्र में अपने बंधुओं के आचार को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसी संदर्भ में इसने स्वयं समाचारपत्र वालों के एक स्वतः नियामक निकाय की भूमिका अपना ली है।

पुनः स्थापित परिषद् ने इस वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अस्तित्व के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने का दावा कर सकती है। शिकायतों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या, उच्च कार्यालयों या सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से भी, उस मान्यता तथा सम्मान की द्योतक है जो परिषद् ने प्रेस और जनता दोनों से अपनी निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता के लिए और प्रेस की आज़ादी के संरक्षक के रूप में अर्जित की है।

वर्तमान प्रेस परिषद् की स्थापना प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत इस उद्देश्य से की गई है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखा जाए तथा सुधारा जाए। परिषद् अप्रैल 1979 में अस्तित्व में आई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। परिषद् का एक अध्यक्ष और अठाईस अन्य सदस्य हैं।

अध्यक्ष का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सभा का अध्यक्ष, लोक सभा का अध्यक्ष और प्रेस परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुना गया एक व्यक्ति होता है। अन्य सदस्यों में तेरह श्रमजीवी पत्रकार होते हैं - छह समाचारपत्रों के संपादक और शेष सात संपादकेतर श्रमजीवी पत्रकार। छह सदस्य वे होते हैं जो समाचारपत्रों के स्वामी हों या उनका प्रबंधन करते हों। एक सदस्य किसी समाचार एजेंसी का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति होता है। तीन सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें शिक्षा तथा विज्ञान, कानून और साहित्य तथा संस्कृति के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। उनमें से प्रत्येक को क्रमशः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया और साहित्य आकदमी द्वारा नामित किया जाता है। परिषद् के शेष पाँच सदस्य संसद के सदस्य होते हैं - तीन लोक सभा से और दो राज्य सभा से। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के

बाद नए अध्यक्ष के नामित होने तक पद पर बने रह सकते हैं, किंतु छह महीने से अधिक नहीं। परंतु, संसद सदस्य की हैसियत से नामित किसी सदस्य का कार्यकाल उसके उस सदन का सदस्य न रहने के साथ ही समाप्त हो जाता है जिससे उसे नामित किया गया था।

अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस परिषद् को जो महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं उनमें से कुछ हैं : समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करना; समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों तथा पत्रकारों के लिए, उच्च व्यावसायिक मानकों के अनुसार एक आचार संहिता बनाना; समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों तथा पत्रकारों की ओर से सुनिश्चित करना कि जन रुचि के उच्च स्तर बने रहें और नागारिकता के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों दोनों की यथोचित भावना विकसित की जाए; पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों के बीच उत्तरदायित्व और जन सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहित करना; ऐसी किसी भी घटना पर नज़र रखना जिससे जन हित तथा महत्त्व के समाचार की आपूर्ति और प्रसार में बाधा पड़ सकती हो; समाचारपत्रों के उत्पादन या प्रकाशन में या समाचार एजेंसियों में लगे सभी वर्गों के व्यक्तियों के बीच सही कार्यात्मक संबंध को प्रोत्साहित करना; और ऐसी बातों पर ध्यान देना यथा समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व का संकेंद्रण अथवा अन्य पहलू जो प्रेस की स्वतंत्रता को दुष्प्रभावित कर सकते हों।

परिषद् द्वारा प्राप्त शिकायतें मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं : प्रेस द्वारा शिकायतें और प्रेस के विरुद्ध शिकायतें। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी बात के बारे में पीड़ित महसूस करे जिससे प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा या हस्तक्षेप की संभावना हो, परिषद् से संपर्क कर सकता है । इसी प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो किसी समाचारपत्र या पत्रिका में किसी प्रकाशन या अप्रकाशन से पीड़ित हो, पत्रकारिता के आचार तथा रुचि के मान्यताप्राप्त सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए परिषद् को शिकायत कर सकता है। परिषद्, अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए, यदि ज़रूरी समझे, किसी भी प्राधिकारी के आचरण के संबंध में टिप्पणी कर सकती है, सरकार सहित। दूसरी ओर, यदि यह देखें कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के आचार या जनरुचि के मानकों का उल्लंघन किया है या किसी संपादक या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया है तो यह समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, उसकी भर्त्सना या परिनिंदा कर सकती है या संपादक अथवा पत्रकार के आचरण को अस्वीकार कर सकती है। इस प्रकार, परिषद् के पास भरपूर नैतिक प्राधिकार है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और किसी कानूनी अदालत में उन पर आपत्ति नहीं की जा सकती। परिषद् के निर्णय, सामान्यतः मीडिया और प्राधिकारियों द्वारा समान रूप से स्वीकार और सम्मानित किए जाते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद् की एक अनन्य विशेषता यह है कि यह संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई है, जबकि संसार के अधिकांश देशों में ऐसे निकायों की समांतर संस्थाएँ अधिकतर स्वैच्छिक संगठन हैं और प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के मामलों की जाँच करने वाला

एकमात्र यही निकाय है। इस तथ्य के होते हुए भी कि इसकी निधि का काफ़ी बड़ा भाग सरकार से सहायता अनुदान के रूप में आता है, इसे अपने सांविधिक उत्तरदायित्व निभाने में पूरी स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्रता है।

न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय दूसरे कार्य काल के लिए अध्यक्ष मनोनीत

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष एक समिति द्वारा मनोनीत किया जाता है जिसमें राज्य सभा का अध्यक्ष, लोक सभा का अध्यक्ष और प्रेस परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य होता है। अध्यक्ष के चयन के लिए नामांकन समिति पर परिषद् का नामिती चुनने के लिए परिषद् की बैठक 8 फ़रवरी 2008 को नई दिल्ली में हुई। प्रेस परिषद् के सदस्यों ने इस उद्देश्य के लिए श्री उत्तम चंद्र शर्मा को सर्वसम्मति से समिति पर अपना नामिती चुना। इस संबंध में निर्धारित नियमों की अपेक्षा के अनुसार उनका नाम राज्य सभा के अध्यक्ष को भेज दिया गया।

नामांकन समिति ने न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से परिषद् का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। यह 19 मई 2008 को भारतीय गज़ट (संलग्नक ख) में अधिसूचित किया गया।

सदस्यता में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डॉ. के. केशव राव, संसद सदस्य, राज्य सभा को डॉ. (श्रीमती) प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य, राज्य सभा की रिक्ति में 19 सितंबर 2008 से दसवें कार्यकाल के शेष भाग के लिए प्रेस परिषद् का सदस्य नामित किया गया (संलग्नक-ग) । डॉ. प्रभा ठाकुर ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में अपनी नियुक्ति पर प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 की धारा 6 (5) के प्रावधानों के अंतर्गत परिषद् की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था।

श्रद्धांजलियाँ

श्री विनोद कुमार मिश्र, एक वरिष्ठ पत्रकार और 1982-88 के बीच भारतीय प्रेस परिषद् के पूर्व सदस्य की 15 नवंबर 2008 को मृत्यु हो गई। परिषद् ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया और उन्हें भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्होंने भारतीय प्रेस परिषद् में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान पर एक प्रस्ताव पारित किया।

प्रेस परिषद् ने सुश्री अमिता मलिक, वरिष्ठ स्तंभ लेखिका और फ़िल्म आलोचक के दुःखद निधन पर भी शोक प्रकट किया। इसने अस्वस्थता के बावजूद राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2006 स्मारिका पर प्रेस परिषद् के लिए लिखने में उनकी लगन को याद किया। दिवंगत आत्मा को भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

भारतीय प्रेस परिषद् का नया लोगो

भारतीय राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियम, 2007 और भारतीय राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 में एक संशोधन ने प्राधिकरण के नाम के साथ संप्रतीक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत निकायों के बीच सांविधिक प्राधिकरणों को मान्यता दी। संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित/काम कर रहे निकाय के सांविधिक स्वायत्त न्यायिक-कल्प स्वरूप को निरूपित करने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा आधिकारिक स्टेशनरी आदि में प्रयोग के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के लोगो और भारत के राज्य संप्रतीक को चित्रित करने वाला एक समक्रमिक डिज़ाइन अपनाया गया और इस रिपोर्ट के आवरण पर निरूपित है।

परिषद् का काम-काज

1 अप्रैल 2008 - 31 मार्च 2009

परिषद् और इसकी समितियों की बैठकें

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 8 (1) में निर्धारित है :

"इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कामों के निष्पादन के उद्देश्य से, परिषद् अपने सदस्यों में से सामान्य या विशेष उद्देश्यों के लिए ऐसी समितियाँ गठित कर सकती है जो वह ज़रूरी समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक समिति वे काम करेगी जो परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएँ।"

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 8 (1) के अनुसार, परिषद् अधिनियम के अंतर्गत अपने कामों के निष्पादन के उद्देश्य से अपने सदस्यों में से सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिए, सौंपे गए काम की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समितियाँ गठित करती है। सामान्यतः सभी समितियों, अर्थात् स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परिषद् की समितियाँ, विशेषतः जाँच समितियाँ काम का भारी बोझ उठाती हैं। परिषद् की दो जाँच समितियों का गठन नीचे लिखे अनुसार है।

जाँच समिति (I)

1. श्री विष्णु नागर
2. सुश्री सुमन गुप्ता
3. श्री के. श्रीनिवास रेड्डी
4. श्री एम.के. अजित कुमार
5. श्री जी. प्रभाकरन

6. श्री एस.एन. सिन्हा
7. श्री टी. वेंकटराम रेड्डी
8. श्री कुंदन रमण लाल व्यास
9. श्री रमेश गुप्ता
10. श्री सुशील झालानी
11. श्री मिलन कुमार डे
12. डॉ. सेबस्टियन पॉल, एम.पी.
13. श्री भरत सिंह माधव सिंह सोलंकी, एम.पी.
14. डॉ. के. केशव राव, एम.पी.
15. डॉ. प्रभा ठाकुर, एम.पी. (त्याग पत्र देने पर जाँच समिति/परिषद् की सदस्य नहीं रहीं)

जाँच समिति (II)

1. श्री उत्तम चंद्र शर्मा
2. श्री शीतला सिंह
3. श्री विजय कुमार चोपड़ा
4. श्री योगेश चंद्र हलन
5. श्री मिहिर गंगोपाध्याय (गांगुली)
6. श्री जोगिंदर चावला
7. श्री कल्याण बरुआ
8. श्री होरमुसजी नुसेरवानजी कामा
9. श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल
10. श्री वी. एस. चंद्रशेखर
11. श्री पारंजय गुहा ठाकुर्ता
12. डॉ. ललित मंगोत्रा
13. श्री एम.ए. खरबेला स्वाइन, एम.पी.
14. श्री यशवंत सिन्हा, एम.पी.

अध्यक्ष के सभापतित्व में दोनों जाँच समितियाँ परिषद् के काम का मुख्य भार संभालती हैं। समितियों के सामने जाँच में, जो जनता के लिए खुली है, पक्षकार संबंधित प्रमाण प्रस्तुत

कर सकते हैं, मौखिक या लिखित, और अपने दावे के पक्ष में तर्क दे सकते हैं। उन्हें वकील द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराने की भी अनुमति है। जाँच के अंत में, समिति शिकायत में निहित आरोपों पर अपने तर्कों सहित निष्कर्ष देती है और मामले का रिकॉर्ड अंतिम निर्णय के लिए परिषद् को भेज देती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, दोनों जाँच समितियों ने 10 बैठकें कीं, कुल 172 मामलों की सुनवाई की, स्थगित मामलों सहित, और 135 मामलों में अपनी सिफ़ारिशें अंतिम निर्णय के लिए परिषद् को भेजीं। इसके अतिरिक्त 443 मामलों का निर्णय प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14 (1) के प्रावधान के अंतर्गत किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके मानकों पर भारी प्रभाव डालने वाले मामलों पर चर्चा के लिए पूरी परिषद् की तीन बैठकें हुईं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान काम करने वाली प्रमुख उप-समितियाँ थीं :

1. सुश्री एन. पद्मजा, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर, खीरी, (उ.प्र.) के विरुद्ध श्री समीउद्दीन नीलू, रिपोर्टर, अमर उजाला, लखीमपुर, खीरी (उ.प्र.) की शिकायत में तथ्य अन्वेषण समिति।

2. समाज-विरोधी तत्त्वों तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख संपादक, करावली अली, मेंगलूर की शिकायत के बारे में आकलन समिति।

3. समाचार एकत्र करने के लिए छोटे तथा मझोले समाचार पत्रों के सामने आने वाली धमकियों/समस्याओं के मुद्दे और परिषद् द्वारा बनाए गए आदर्श प्रत्यायन-विज्ञापन नियमों को न अपनाने के कारण उनके स्थायित्व के दुष्प्रभावित होने की जाँच करने के लिए उप समिति।

परिषद् द्वारा स्वीकार की गई रिपोर्टें :

- **समाचार पत्र की स्थिति दृश्य - 2007**

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा 16-17 नवंबर 2006 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद की एक सिफ़ारिश में कहा गया था : प्रेस परिषदों तथा ऐसे अन्य निकायों को मीडिया वैश्वीकरण के समाजीय प्रभावों पर अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। तदनुसार भारतीय प्रेस परिषद् न्यूज़पेपर सिनेरिओ - 2007 के आकलन पर एक अल्पकालिक अनुसंधान परियोजना का काम सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़ को सौंपा। सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़ द्वारा 14 जुलाई 2008 को तैयार की गई रिपोर्ट परिषद् ने अपनी 13-14 अक्तूबर 2008 को हुई बैठक में स्वीकार की। उक्त रिपोर्ट परिषद् की गृह त्रैमासिक पत्रिका, पीसीआई रिव्यू के जनवरी 2009 के अंक में देखी जा सकती है और परिषद् की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

- **प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख संपादक, करावली अली, मेंगलूर की समाज - विरोधी तत्त्वों तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत पर परिषद् की रिपोर्ट ।**

करावली अली के संपादक की गिरफ़्तारी और उसे हथकड़ी लगा कर अदालत में पेश किए जाने की रिपोर्टों के बाद, एक आकलन समिति कर्नाटक भेजी गई थी। समाज-विरोधी तत्त्वों द्वारा करावली अली के प्रमुख संपादक और उसके कार्यालय पर आक्रमण और उसके बाद पुलिस की असंतोषजनक भूमिका के आरोपों की जाँच करने वाली आकलन समिति की रिपोर्ट परिषद् ने 2 मार्च 2009 को स्वीकार की। पूरी रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय - IV में देखी जा सकती है।

सम्मतियाँ

सलाहकार की हैसियत से परिषद् ने सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित पर अपने परामर्श दिए :

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के कुछ प्रावधानों में संशोधनों पर मंत्रिमंडल की प्रारूप टिप्पणी के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संदर्भ
2. "उदारीकृत अर्थव्यवस्था में प्रिंट मीडिया का विकास" : सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को
3. चुनाव प्रक्रिया के दौरान ओपिनियन एग्ज़िट पोल : कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति को - लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक - 2008 की जाँच
4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अशक्तता वाले लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के प्रावधानों के क्रियान्वयन के बारे में भारत सरकार से संदर्भ
5. "एनजीओ डाटाबेस" और "स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति" पर विभागों/मंत्रालयों के साथ बैठक

परिषद् के सामने शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् में कुल 726 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 185 शिकायतें प्रेस द्वारा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए थीं और 541 शिकायतें प्रेस के विरुद्ध पत्रकारिता के आचार के उल्लंघन के लिए थीं। पिछले साल के बकाया 759 मामलों के साथ परिषद् के पास निपटान के लिए कुल 1485 मामले थे। वर्ष के दौरान इनमें से 581 मामलों को निबटा दिया गया, या तो निर्णय करके या अध्यक्ष की मध्यस्थता द्वारा समझौते के कारण अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटारा करके या जाँच करने के लिए

पर्याप्त आधार के अभाव के कारण या या जारी न रखने, वापस ले लिए जाने के कारण या मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण। निर्णय किए गए इन 581 मामलों में से, तीन मामले निर्णय के लिए सीधे परिषद् के सामने रखे गए थे। वर्ष के अंत में कुल 904 मामले विचाराधीन थे। शिकायतें दर्ज करने और निपटाने का विस्तृत विवरण संलग्नक - 'क' में है।

स्वप्रेरणा से संज्ञान

परिषद् ने निम्नलिखित मामलों में मीडिया व्यक्तियों के विरुद्ध और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे की घटनाओं का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया :

1. जनसत्ता द्वारा अपने 21.4.2008 के अंक में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर पत्रकार का उत्पीड़न।

2. दी हिंदू के 27.5.2008 के अंक में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर आंध्र ज्योति के कार्यालयों पर आक्रमण।

3. हिंदू तथा इंडियन एक्सप्रेस में 2.6.2008 को और टाइम्स ऑफ़ इंडिया में 3.6.2008 को प्रकाशित समाचार मदों के आधार पर सिटी पुलिस आयुक्त द्वारा टाइम्स ऑफ़ इंडिया, अहमदाबाद के विरुद्ध राजद्रोह और देशद्रोह के आरोप।

क्योंकि सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और मामला न्यायाधीन है, अतः मुद्दे को अभी विचाराधीन रखा गया है।

4. दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू द्वारा 6.6.2008 को प्रकाशित लोक सत्ता के संपादक के घर पर आक्रमण।

5. सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति, गैंगटॉक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 5.7.2008 के अनुसार नेपाली दैनिक, समाचार रिपोर्ट के आधार हमरो प्रजाशक्ति, गैंगटॉक, सिक्किम के संपादकीय कार्यालय पर आक्रमण।

6. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली के 3.9.2008 के अंक में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के आधार पर जम्मू और कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता पर आक्रमण।

7. हिंदू द्वारा अपने 14.10.2008 के अंक में प्रकाशित समाचार मद के आधार पर कोयंबतूर में हिंदू के कार्यालय पर आक्रमण की कोशिश।

8. पीसीआई के पूर्व सदस्य द्वारा दिलाए गए ध्यान और असम पत्रकार संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और दी हिंदुस्तान टाइम्स दिनांक 25.11.2008 में प्रकाशित समाचार मदों के आधार पर असम और मणिपुर में पत्रकारों की हत्या।

9. एक एसओएस, प्रधान संपादक, करावली अली, मेंगलूर द्वारा दाखिल की गई शिकायत के आधार पर मेंगलूर तथा उडुपी में प्रेस की स्वतंत्रता का विनाश।

एचआईवी/एड्स रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशों को अद्यतन करना

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख) के अधिदेश के अंतर्गत मीडिया का काम सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् को दिशानिर्देशों का एक सैट तैयार करना है। अतः, मीडिया द्वारा एचआईवी/एड्स से ग्रस्त दो बच्चों के प्रदर्शित विज़ुअल से संबंधित एक घटना पर आपत्ति करते हुए नेशनल नेटवर्क ऑफ़ पॉज़िटिव पीपल द्वारा दाख़िल की गई एक रिट याचिका संख्या सीएमपी 52/2008 में माननीय किशोर न्यायालय, तिरुवनंतपुरम के आदेश के अनुसार, परिषद् ने अनेड्स के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों के परामर्श से एचआईवी/ एड्स और मीडिया पर 1993 में बनाए गए दिशानिर्देशों को अद्यतन किया है। परिषद् ने 13-14 अक्तूबर 2008 को उन दिशानिर्देशों को स्वीकार करते हुए अन्य भाषाओं में अनुवाद द्वारा उनके प्रसार का प्रस्ताव रखा ताकि प्रादेशिक और स्थानीय मीडिया द्वारा राज्य में इस मुद्दे को बेहतर समझने में सुविधा हो।

संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों/बैठकों के माध्यम से मीडिया के मामलों पर चर्चाओं को प्रोत्साहित किया।

"मीडिया द्वारा न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग और न्याय प्रशासन" पर भारत के उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतीय प्रेस परिषद् और भारतीय संपादक संघों द्वारा राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक कार्यशालाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद विधिक संवाददाताओं/ पत्रकारों के गहरे प्रशिक्षण की ज़रूरत महसूस की गई। इस प्रकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा इग्नू द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् तथा भारतीय संपादक संघ के सहयोग से 7-11 दिसंबर 2008 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में "मीडिया द्वारा न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग और न्याय प्रशासन" पर पाँच दिन का आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया,

भारतीय प्रेस परिषद ने भारतीय संपादक संघ और तिलक पत्रकार भवन ट्रस्ट के सहयोग से 21 जनवरी 2009 को नागपुर में 'संकटकाल में समाचार कवरेज : मीडिया के अधिकार और उत्तरदायित्व' पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला तीन सत्रों में बँटी हुई थी। उद्घाटन सत्र को परिषद् के सदस्यों और मीडिया के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संबोधित किया। अन्य अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने विषय पर सक्रिय सामूहिक चर्चाएँ कीं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह, 2008

राष्ट्रीस प्रेस दिवस 16 नवंबर को **"महिलाएँ और मीडिया"** पर चर्चा के साथ मनाया गया था। महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, भारत की राष्ट्रपति ने राजधानी में समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मूल्यवान लेखों वाली एक स्मारिका का

विमोचन भी किया गया। ऐसे आयोजन देश भर में विभिन्न स्तरों पर किए गए और समाचारपत्रों ने भी इस दिन को स्वतंत्र और नैतिक प्रेस के प्रति अपनी वचनबद्धता घोषित करने के लिए समर्पित किया।

वेबसाइट को अद्यतन करना

परिषद् द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए निर्धारित एक निष्पादकता लक्ष्य यह था कि परिषद् की स्थापना से प्रेस द्वारा और प्रेस के विरुद्ध दाख़िल की गई शिकायतों में परिषद् द्वारा दिए गए निर्णयों से संबंधित डाटा और 1982 से 'प्रेस और पंजीयन अपील बोर्ड' के आदेशों की सूची तैयार की जाए। यह लक्ष्य विधिवत् प्राप्त कर लिया गया है।

सूचियाँ परिषद् द्वारा दिए गए निर्णयों के स्वरूप का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करेंगी। उन्हें शीघ्र ही परिषद् की वेबसाइट में डाल दिया जाएगा ताकि सामान्य जनता की उन तक पहुंच हो सके। ब्राउज़र परिषद् के निर्णयों को विशिष्ट शिकायत के निर्णय के क्रम में और प्रकाशन के क्रम में भी ले सकेगा।

अधिक पारदर्शिता के उद्देश्य से परिषद् की वेबसाइट को परिषद् की नवीनतम गतिविधियों से भी समृद्ध कर दिया गया है।

परिषद् द्वारा विचार किए गए मामले

श्री वी.के. चोपड़ा, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् से डीएवीपी के बारे में प्राप्त पत्र

श्री वी.के. चोपड़ा, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद् ने प्रेस परिषद् के मुख्य उद्देश्यों - प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा सुधारना, का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसी समाचार पत्र की स्वतंत्रता उसकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है और सभी समाचारपत्रों के प्रकाशन के लिए डीएवीपी के विज्ञापन इस आय का प्रमुख स्रोत हैं और अधिकांश लघु तथा मझोले समाचार पत्रों के लिए यह उनकी आय का 80 से 100 प्रतिशत तक होता है। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा पैनल बनाने, भुगतान, दर में संशोधन आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में डीएवीपी को नोटिस जारी करने के अनेक उदाहरण हैं जिसके लिए हाल ही में समाचारपत्र प्रकाशनों ने प्रेस परिषद् के पास शिकायतें दर्ज की हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि डीएवीपी ने इनमें से किसी भी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा है कि अब प्रेस परिषद् के लिए ज़रूरी हो गया है कि एक सिविल न्यायालय में निहित अधिकारों का प्रयोग करे और अधिक विलंब किए बिना मुद्दों का हल निकालने के लिए डीएवीपी के संबंधित अधिकारियों को सम्मन करे। उन्होंने परिषद् से इस बारे में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।

मामले पर परिषद् द्वारा गहराई से चर्चा की गई और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा परिषद् के निदेशों तथा टिप्पणियों पर उचित

ध्यान दिया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए। डीएवीपी के सामने पड़ी शिकायतों पर उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मामला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

- **सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति की 2.6.2008 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र**

परिषद् ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति की 2 जून 2008 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। यह भारतीय प्रेस परिषद् को अधिक शक्ति देने और पत्रकारिता के संस्थान स्थापित करने की ज़रूरत के बारे में है जो पत्रकारों को आईआईएमसी की तरह उत्तम प्रशिक्षण उपलब्ध कराएँगे।

परिषद् ने मामले पर विस्तृत चर्चा की और परामर्श समिति की सराहना की, कि वह प्रेस परिषद् के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उत्सुक है और परिषद् के सशक्तिकरण के लिए सुधारों का समर्थन करती है और यह भी दोहराया कि मीडिया के कामकाज तथा उसकी स्वतंत्रता को मॉनीटर करने के लिए एक प्राधिकरण होना चाहिए, और केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद् के क्षेत्र में ले आए ताकि बनाए गए दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लागू हों और वह स्वतंत्रता के साथ-साथ उत्तरदायित्व के साथ काम करने के लिए प्रेरित हो।

- **विधिक विद्वान श्री फ़ाली एस. नरीमन से भारत में प्रकाशित समाचारपत्रों द्वारा आचार संहिता के पालन के बारे में प्राप्त संदर्भ**

श्री फ़ाली एस. नरीमन, विधिक विद्वान ने अपने पत्र दिनांक 13.6.2008 के साथ समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन सामग्री की एक प्रति भेजी है कि वे आयरलैंड प्रेस परिषद् और प्रेस लोकपाल की व्यवहार संहिता का पालन करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि यह रीति भारत में भी अपनाई जाए।

परिषद को उनका सुझाव अच्छा लगा क्योंकि यह समाचारपत्रों के लिए आचार संहिता का समर्थन करने का एक सकारात्मक चरण है जो उसने वर्षों तक बनाई है और भारतीय परिवेश के अनुसार उसमें संशोधन किया है। परिषद् द्वारा ऐसा ही जागरूकता अभियान 1999 में और 2004 में चलाया गया था। परिषद् की राय थी कि ऐसा ही अभ्यास फिर किया जाए ताकि मान्यताप्राप्त प्रेस एसोसिएशनों के अलावा, पी.आई.बी. सहित, पंजीकृत राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारपत्रों के माध्यम से मामले का व्यापक प्रचार हो सके।

जामिया कवरेज के बारे में डीयूजे का संदर्भ; बाटला हाउस मुठभेड़

दिल्ली पत्रकार संघ ने अपने पत्र दिनांक 4.10.2008 द्वारा स्वप्रेरित कार्रवाई के लिए

बाटला/जामिया मुठभेड़ की प्रेस कवरेज से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है। दिल्ली मुठभेड़ पर एक रिपोर्ट : मीडिया कवरेज पर एक दृष्टि, प्रस्तुत करते हुए डीयूजे ने कहा है कि उक्त घटना पर अनैतिक रिपोर्टिंग समुदायों में फूट डालने का प्रयास करती है। डीयूजे ने कहा है कि देश में क्रमिक धमाकों को देखते हुए संयम के लिए आह्वान और प्रेस परिषद् से आदेश अपेक्षित है। बाद में, उक्त मुठभेड़ पर मीडिया रिपोर्टों की जाँच के लिए ऐसा ही अनुरोध राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से भी प्राप्त हुआ था।

भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य, श्री योगेश चंद्र हलन ने, जिन्हें परिषद् द्वारा मामले की जाँच करने का अनुरोध किया गया था, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा।

- **विदेशों में नौकरी के विज्ञापनों के प्रति सावधानी पर दिशानिर्देश**

परिषद् ने सचिव, विदेशी भारतीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से, जो विदेशी भर्ती को विनियमित करने वाले उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का संचालन करता है, प्राप्त पत्र दिनांक 14.8.2008 पर विचार किया। उसमें यह सूचित किया गया था कि विज्ञापक विदेशी भर्ती के विज्ञापनों में पंजीकरण संख्या या परमिट संख्या लिखने की अपेक्षा का अनुपालन नहीं करते हैं। प्रायः ऐसे विज्ञापक अपंजीकृत या गैर-कानूनी भर्ती एजेंट निकलते हैं जो भावी उत्प्रवासियों से अधिक धन लेकर और उन्हें बेईमान विदेशी नियोक्ताओं के पास भेजकर उन्हें ठगते हैं। इसी प्रकार, जो विदेशी नियोक्ता परमिट लिए बिना विज्ञापन देते हैं वे भी विज्ञापन में उल्लिखित नौकरी की शर्तों से विचलित हो सकते हैं।

इस मामले पर परिषद् ने बहुत पहले 2003 में विचार किया था और इस बारे में प्रेस को एक परामर्श जारी किया था। प्रतीत होता है कि प्रेस उसे लागू करने का इच्छुक नहीं है, स्पष्ट है कि आय को ध्यान में रखकर।

उक्त मंत्रालय के अनुरोध पर परिषद् ने निर्णय लिया कि उसी सलाह में श्रम मंत्रालय के स्थान पर विदेशी मामलों का मंत्रालय नाम लिखकर उसे दोहराया जाएगा ताकि प्रेस विदेशी भर्ती के लिए केवल कानून का अनुपालन करने वाले विज्ञापन स्वीकार करने के महत्त्व को समझ ले।

- **सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 6.11.2008 और 12.12.2008 जिनमें महिलाओं के सशक्तिकरण तथा तीव्र आर्थिक विकास हेतु नीतियाँ सुझाने और अध्ययन करने के लिए राज्यपालों की समिति (सीओजी) के संबंध में टिप्पणी माँगी गई है।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2008 द्वारा, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नीतियाँ सुझाने और अध्ययन करने के

लिए राज्यपालों की समिति के गठन का उल्लेख करते हुए, उसके विचारणीय विषय की मद 4 (x) पर परिषद् की टिप्पणी माँगी है, जो नीचे लिखे अनुसार है :

> **"यह सुझाव देना कि समाज में लिंग की समानता के बारे में जागरूकता की उच्च भावना पैदा करने और सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, पारंपरिक भी और अधुनातन भी"**

परिषद् ने वर्षों से दिए जा रहे अपने प्रस्तावों को दोहराते हुए 2008 राष्ट्रीय प्रेस दिवस के विचार-विमर्श पर ज़ोर दिया जिससे उभरने वाले दो प्रमुख सुझाव सरकार को भेजे गए थे। ये थेः

1. "मीडिया के हाल के उत्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, मीडिया के सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सुविचारित नीति अपेक्षित है, न केवल महिलाओं को आजीविका का स्रोत उपलब्ध कराने के लिए बल्कि उनका पर्याप्त एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी क्योंकि महिला पत्रकार सक्षम हैं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने या संवेदिता के साथ संभालने की कुशलता रखती हैं। अतः समाज मीडिया में महिलाओं के नाज़ुक वर्ग को यथेष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करे ताकि सभी स्तरों पर उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिले," और
2. "मीडिया में महिलाओं की उन्नति के लिए योगदान करने की क्षमता है। यह स्वतः नियामक तंत्र की रचना कर सकता है जो भ्रामक तथा अनुचित लिंग आधारित प्रोग्रामिंग को समाप्त कर सके। मीडिया को चाहिए कि महिलाओं को विशिष्ट और अनन्य स्थान देने के लिए एक हितकारी और एक मोचक भूमिका निभाए, जो उन्हीं का हो और उन्हें समस्त समाज के लिए नीतिपरक एवं शिक्षाप्रद मनोवेग पैदा करने के योग्य बनाए।"

- **फ़ेलिक्स हाउफुएट - बायोग्नी शांति पुरस्कार - 2009 के लिए नामांकन**

देश में प्रेस के मानकों तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों में भारतीय प्रेस परिषद् के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद् को यूनेस्को द्वारा स्थापित फ़ेलिक्स हाउफुएट-बायोग्नी शांति पुरस्कार - 2009 के लिए नामित किया है।

- **सी. डब्ल्यू. 6804/2007 - भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ बनाम भारतीय प्रेस परिषद्**

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् के विरुद्ध प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5 (4) के अंतर्गत 10वीं अवधि के

लिए मान्यता के उसके दावे को स्वीकार न करने के लिए दायर की गई सी.डब्ल्यू. 6804/2007 में कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया है। तथापि, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ को इन निदेशों के साथ अगली प्रेस परिषद् के लिए आवेदन करने की छूट दी गई कि प्रेस परिषद् द्वारा अपने नए संगठन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार गुणागुण के आधार पर की जाएगी।

- **प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों का संशोधन**

समय-समय पर अनुभव के आधार पर परिषद् ने कई बार प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में संशोधनों के मामले पर विचार किया है। ये प्रस्ताव केंद्रीय सरकार द्वारा मामले में वर्तमान परिषद् के विचारों के लिए लौटा दिए गए थे। परिषद् ने 14 अक्तूबर 2008 को हुई अपनी बैठक में प्रस्तावित संशोधनों पर गहराई से चर्चा की। फिर, 2 मार्च 2009 की अपनी बैठक में परिषद् ने प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया। उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन संलग्नक-ञ में देखे जा सकते हैं।

- **सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में मीडिया फ़ैसिलिटेशन के लिए मीडिया परामर्श समिति के गठन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 17/2/08 - पीपीसी दिनांक 16.2.2009**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने मीडिया फ़ैसिलिटेशन के लिए सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक मीडिया परामर्श समिति का गठन किया है जो : सरकार तथा विभिन्न व्यावसायिक मीडिया निकायों के बीच नियमित परामर्श के एक मंच के रूप में काम करेगी; सिविल समाज के मामलों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगी; विभिन्न नियामक/नीतिगत/प्रक्रियात्मक मामलों पर मीडिया संगठनों की परेशानियों पर चर्चा करेगी। समिति वर्ष में कम से कम दो बार, या जब भी ज़रूरी हो, बैठक करेगी। समिति पर भारतीय प्रेस परिषद् का प्रतिनिधित्व इसका सचिव करेगा।

- **भारतीय प्रेस परिषद् के नाम का दुरुपयोग**

परिषद् ने कई बार चिंता के साथ देखा है कि प्रेस परिषद् के नाम का दुरुपयोग करने वाले कुछ नकली निकाय विद्यमान हैं। इसका ध्यान इस तथ्य की ओर भी गया कि कुछ अधिकारी भी भारतीय प्रेस परिषद् के नाम का दुरुपयोग करने वाले उक्त नकली संगठनों के बारे में अनभिज्ञ हैं।

परिषद् ने जनता को सावधान किया और राज्यों में संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया कि इन नकली संगठनों/निकायों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति भी 13 मई 2008 को जारी की गई थी। इस संबंध में प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में उपयुक्त संशोधन भी विचाराधीन है।

- **ओपिनियन पोल/एग्ज़िट पोल के परिणामों के प्रकाशन और प्रसार के लिए दिशानिर्देश**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत के चुनाव आयोग ने लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के चुनावों के संबंध में किसी भी मीडिया/ एजेंसी/संगठन/व्यक्ति द्वारा ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल के परिणामों के प्रसार के बारे में निम्नलिखित निर्देश जारी किए :

किसी भी समय किए गए किसी ओपिनियन पोल या एग्ज़िट पोल का कोई भी परिणाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा, किसी भी समय, किसी भी विधि से प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा :

(क) एकल चरण में आयोजित किसी चुनाव में मतदान बंद होने के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान; और

(ख) अनेक चरणों में होने वाले चुनाव में, और भिन्न राज्यों में एक-साथ घोषित चुनावों की स्थिति में, चुनाव के पहले चरण में मतदान बंद होने के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पहले से शुरू कर के सभी राज्यों में सभी चरणों में मतदान समाप्त हो जाने तक की अवधि के दौरान किसी भी समय।

आगामी लोक सभा चुनाव को देखते हुए मीडिया को, परिषद् ने चुनाव की रिपोर्टिंग पर इसके द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए परामर्श जारी किया। इसी प्रकार, समिति ने चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा भी अनुपालन के लिए परामर्श जारी किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियमों 32 तथा 53 के ढाँचों के भीतर, चुनाव प्रक्रिया के स्थान तक मीडिया को अनुमति दी जाए।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय प्रेस परिषद् का सचिव कार्यालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उप सचिव और अनुभाग अधिकारी (प्रशा.) से युक्त परिषद् के सतर्कता ढाँचे ने सचिव (सीवीओ) और परिषद् के अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में काम किया। उसने सचिवालय में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार को रोकने/दबाने के लिए नियमित आकस्मिक जाँच की।

शिकायत निवारण क्रियाविधि

आंतरिक और बाह्य स्तर पर शिकायत निवारण क्रियाविधि है जिसमें भारतीय प्रेस परिषद् की सचिव शिकायत निदेशक हैं। ऐसे सामान्य व्यथित लोग, जोकि अपनी शिकायतों के संबध में शिकायत निदेशक से मिलने के इच्छुक हैं, वे किसी भी बुधवार को कार्यालय में सांय 4.00 बजे से 5.00 बजे के बीच उनसे मिल सकते हैं। स्टाफ से संबंधित शिकायतों पर परिषद् के स्टाफ शिकायत अधिकारी, जोकि उप-सचिव हैं, द्वारा सुनवाई की जाती है।

सिटीज़न चार्टर

परिषद् का सिटीज़न चार्टर, जिसमें संस्था की पूर्ण आवश्यक जानकारी है, परिषद् के पुस्तकालय में पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है और इसे परिषद् की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारत की संसद के पुस्तकालय में भी चार्टर उपलब्ध है। नागरिकों में संतुष्टि के स्तर पर फीडबैक हेतु यथासमय पुर्नसमीक्षा/आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा।

हिंदी दिवस - 2008

भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस घोषित किया गया है। हर वर्ष की तरह सचिवालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर, भारतीय प्रेस परिषद् के कर्मचारियों के लिए 10 सितंबर को "प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली, टिप्पण और मसौदा लेखन" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। "हिंदी पखवाड़ा" के एक अंग के रूप में "राष्ट्र की एकता और अखंडता में हिंदी का योगदान" पर एक वाद-विवाद का भी आयोजन किया गया। परिषद् के कर्मचारियों के बीच दो पुरस्कार बाँटे गए। कार्यालय के व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं में भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में उनकी भागीदारी तथा योगदान के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के कर्मचारियों को 'प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत भी चार पुरस्कार दिए गए। परिषद् के निर्णय तथा अन्य घोषणाएँ द्विभाषी रूप में जारी की गईं और लोक क्षेत्र में लाई गईं।

परिषद् में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 24 मार्च 2009 को "राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3), अन्य नियम और राजभाषा की त्रैमासिक रिपोर्ट" विषय पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8 ग भारतीय प्रेस परिषद् को धारा 6 के अंतर्गत किसी घोषणा को अधिप्रमाणित न करने के मजिस्ट्रेट के आदेशों और फिर उक्त अधिनियम की धारा 8 ख के अंतर्गत उसके निरसन पर अपीली अधिकारिता देती है। बोर्ड में अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य शामिल है जो भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जाता है। वर्ष के दौरान श्री रमेश गुप्ता ने बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया।

समीक्षाधीन अवधि के शुरू में, बोर्ड के सामने 12 अपीलें विचाराधीन थीं और आठ नई अपीलें दाखिल की गईं। कुल 20 अपीलों में से आठ अपीलें निपटा दी गईं, 12 अपीलें बोर्ड के सामने विचार के लिए बाकी थीं।

प्रेस की स्थिति - भारत

भारत में मीडिया विरोधाभासों का एक संगम निरूपित करता है : परंपरा और आधुनिकता, अराजकता और व्यवस्था, विविधता और एकता, संघर्ष और सहयोग, समाचार और विचार, सामंतशाही और लोकतंत्र, मुक्त बाज़ार और एकाधिकार।

भारत के हाल के आर्थिक विकास और चिरस्थायी लोकतांत्रिक सरकार के बावजूद, यह देश पत्रकारों के लिए एक भयावह स्थान बना रहा। संघर्षरत उत्तर और उत्तरपूर्व में पत्रकार अग्नि रेखा में अपना व्यवसाय चलाते रहे और शेष देश में उनके साथी प्रायः राजनीतिक दलों तथा धार्मिक चरमपंथियों से अभित्रास और आक्रमणों का सामना करते रहे।

वर्ष 2008-2009 में देश तनाव से भरा रहा। वाणिज्यिक राजधानी, मुंबई में एक शृंखला में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर आतंकवादियों के समन्वित आक्रमण हुए। 170 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। साक्षी पत्रकार बन गए क्योंकि उन्होंने एक मिनट में 100 तक संदेश भेजे, झिलमिलाने के लिए तस्वीरें पोस्ट कीं और टेलीविज़न नेटवर्कों को सेल फ़ोन वीडियो प्रेषित किए जिनमें से सभी ने नवंबर 2008 के उत्तरार्ध में तीन दिन के भयंकर घेराव का उत्तेजक लेकिन फिर भी तात्कालिक विवरण उपलब्ध कराया। आक्रमण ने दो विशाल होटलों; एक रेलवे स्टेशन, एक यहूदी केंद्र, अस्पताल तथा अन्य स्थलों को निशाना बनाया। उस पर जानकारी के तात्क्षणिक प्रसार ने मीडिया तथा संचार में हाल के समय में असाधारण क्रांति का प्रदर्शन किया। आरुषि हत्या कांड में मीडिया की फड़फड़ाहट भी इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि जनता की राय तथा मानसिकता बदलने पर मीडिया का क्या प्रभाव हो सकता है, और राय बदलने में उसकी क्या भूमिका हो सकती है।

उपर्युक्त मुद्दों की रिपोर्टिंग से मीडिया की जितनी वाह-वाही हुई उतनी ही आलोचना भी। ऐसे संवेदी मुद्दों को कवर करने में मीडिया द्वारा स्वतः विनियमन के अभाव ने सरकार को विषय-वस्तु विनियमन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।

नीचे उन रिपोर्टों का एक संग्रह दिया जा रहा है जिन्होंने वर्ष 2008 के दौरान भारतीय प्रेस में महत्त्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया।

रीडरशिप सर्वेक्षण

प्रेस की स्वतंत्रता पर एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण ने 1 मई 2008 को कहा था - भारत में अधिक लोग चाहते हैं कि मीडिया को "सरकार के नियंत्रण के बिना" समाचार और विचार छापने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, उन लोगों की अपेक्षा जो सरकार का कुछ हस्तक्षेप पसंद करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोचित 'वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियम.ऑर्ग' द्वारा सर्वेक्षण ने यह भी पाया कि भारतीयों का एक "मर्यादित" बहुमत ही मीडिया की स्वतंत्रता के महत्त्व को समझता है। मीडिया के लिए अधिक स्वतंत्रता के प्रश्न पर, भारतीय कुछ विभाजित थे - लगभग

36 प्रतिशत ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 19 प्रतिशत यथा स्थिति के पक्ष में थे। परंतु, मज़े की बात है कि 32 प्रतिशत भारत में मीडिया के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के पक्ष में थे। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 2 मई, 2008)**

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने हाल की रिपोर्ट में कहा था, भारत में प्रिंट प्रकाशन विज्ञापन ने 2007 में 2.4 बिलियन डॉलर का राजस्व पैदा किया या देश के कुल मीडिया विज्ञापन राजस्व का 48 प्रतिशत। टीवी विज्ञापनों ने 41 प्रति शत पैदा किया। पिछले चार वर्षों में अर्थव्यवस्था की 8.75 प्रति शत की औसत दर से वृद्धि के फलस्वरूप, मध्य वर्ग की आय बढ़ी है और स्वास्थ्य, आमोद तथा वित्त पर पत्रिकाओं की माँग भी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई समृद्धि भी भारत की 20 से अधिक आधिकारिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशनों के लिए माँग को प्रोत्साहित कर रही है। पीडब्ल्यूसी ने कहा है कि भारत में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के लिए राजस्व - जहाँ सुबह के समय कम से कम एक समाचारपत्र पढ़ना अनिवार्य माना जाता है - पिछले चार वर्षों में 15 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा है, संसार में किसी भी जगह से अधिक। पीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि युवा जनसांख्यिकी, अधिक श्रमजीवी महिलाओं, तीव्र शहरीकरण और छोटे परिवारों ने वृद्धि में मदद की है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 2008)**

सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री पी.आर. दासमुंशी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास ने प्रिंट मीडिया को दुष्प्रभावित नहीं किया है जो वस्तुतः बिक्री और रीडरशिप दोनों दृष्टियों से और आगे बढ़ा है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में 284 पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए अनुमोदन दिया है। इनमें से अधिकतर वैज्ञानिक और तकनीकी कोटियों से संबंधित हैं, फिर भी काफ़ी संख्या सामान्य पाठक रुचि के विशेषज्ञता क्षेत्र से संबंधित है यथा जीवन शैली और मनोरंजन।

फ़िक्की और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा संयुक्त रूप से किए गए "भारत मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य" के सर्वेक्षण के अनुसार, प्रिंट मीडिया उद्योग 2007 में 149 बिलियन रुपए पर था और पिछले वर्ष उसमें 16 प्रति शत की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान पत्रिका उद्योग के आकार का अनुमान 19 बिलियन रुपए था और उसने 15 प्रति शत की वृद्धि दर्ज की। अध्ययन के अनुसार, अगले पाँच वर्षों में भारतीय प्रिंट मीडिया में 14 प्रति शत वृद्धि होने की संभावना है और पत्रिका प्रकाशन मे इससे भी अधिक 15 प्रति शत की दर से। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 2008)**

विश्व समाचारपत्र एसोसिएशन (वेन) द्वारा एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती हुई साक्षरता और नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप भारत संसार में समाचार पत्र के दूसरे सबसे बड़े बाज़ार के रूप में उभर रहा है। नए आँकड़े दर्शाते हैं कि समाचारपत्रों के चार सबसे बड़े बाज़ार हैं : चीन, प्रतिदिन 107 मिलियन प्रतियों की बिक्री; भारत, प्रतिदिन 99 मिलियन प्रतियाँ; जापान, प्रतिदिन 68 मिलियन प्रतियाँ; और संयुक्त राज्य, लगभग 51 मिलियन प्रतियाँ प्रतिदिन।

भारतीय समाचारपत्रों की बिक्री 2007 में 11.2 प्रतिशत बढ़ी और पाँच वर्ष की अवधि में 35.51 प्रति शत। पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत में समाचारपत्रों के विज्ञापनों के राजस्व में 64.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 2008)**

विदेशी बाज़ार से मंदी की प्रवृत्तियों के बावजूद, भारत में विज्ञापन उद्योग सही गति से बढ़ रहा है। 20,717 करोड़ रुपए के उद्योग ने 2007 की तुलना में 2008 में 17 प्रतिशत की भव्य वृद्धि दर्ज की है; प्रिंट में विज्ञापन का हिस्सा सबसे अधिक बना हुआ है, 47 प्रतिशत। नई विज्ञापन दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार, बॉक्स पर विज्ञापन 41 प्रतिशत हिस्से के साथ दूसरे स्थान पर है।

2008 के उत्तरार्ध में प्रिंट में 2007 की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी आई है। परंतु, टीवी के हिस्से में 2007 की तुलना में 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंट और टीवी दोनों मीडिया विज्ञापन बाज़ार पर छाए हुए हैं, अपने 88 प्रतिशत के संयुक्त हिस्से के साथ। वर्ष 2008 में विस्मयकारी घटना इन्टरनेट थी। चाहे बहुत छोटे आधार पर, नेट पर विज्ञापन में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 363 करोड़ रुपए के श्लाध्य आकार पर पहुंच गया है। रिपोर्ट ने 2009 में विज्ञापन उद्योग के लिए केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया नई दिल्ली, दिनांक 2 फ़रवरी, 2009)**

यदि न्यून कवर कीमत और विज्ञापन की आय पर अत्यधिक निर्भरता इस समय भारत के प्रिंट मीडिया (समाचारपत्रों और पत्रिकाओं) के लिए विष हैं, तो भविष्य में किसी राहत की कोई आशा नहीं है।

चालू वित्त वर्ष में आर्थिक गतिविधि के मंद होने से प्रिंट मीडिया के भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2008-09 में उद्योग का कुल राजस्व 18,390 करोड़ रुपए तक पहुँचने की आशा है, पिछले वित्तीय वर्ष से केवल 6 प्रतिशत अधिक। अनुमान है कि वर्ष 2009-10 कठिन भी होगा क्योंकि उद्योग के राजस्व में 7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होगी। **(दि डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूर, दिनांक 18 फ़रवरी, 2009)**

प्रेस - एक रिंगसाइड दृष्टिकोण

मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

इन्टरनेट पर वेब संस्करणों की बाढ़ को देखते हुए, यूपीए सरकार देश की मीडिया नीति में परिवर्तन करके विदेशी समाचार और सामयिक विषयों वाली पत्रिकाओं को अपने भारतीय संस्करण छापने की अनुमति देने पर विचार कर रही है, स्थानीय समाचारों की रिपोर्टिंग पर किसी प्रतिबंध के बिना।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि अनुमत विषय-वस्तु "100 प्रतिशत तक विदेशी पत्रिका जैसी ही" होगी, किंतु "भारतीय प्रकाशक स्थानीय सामग्री जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा"। प्रस्तावित दिशानिर्देश में कहा गया है कि भारतीय प्रकाशक स्थानीय विज्ञापन डालने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

परंतु, अनुमति केवल भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय कंपनियों को दी जाएगी जिसके अधिकतर शेयरधारकों के पास - व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से- प्रदत्त इक्विटी का कम से कम 51 प्रतिशत हो।

विदेशी निवेश की अनुमति अधिकतम 26 प्रतिशत होगी जिसमें विदेशी सत्त्वों अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और मान्यताप्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों से पोर्टफ़ोलियो निवेश शामिल है।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, "अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक भारतीय कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम तीन चौथाई निदेशक और सभी महत्त्वपूर्ण कार्यपालक तथा संपादकीय कर्मचारी निवासी भारतीय हों।" **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2008)**

विदेशी समाचारों तथा सामयिक विषयों की पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का राजनीतिक दलों, प्रमुख संपादकों और मत निर्माताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया है जिनका मानना है कि इससे मीडिया का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नष्ट हो जाएगा जो संविधान द्वारा दिया गया है, और यह भारतीय मीडिया के लिए हानिकारक होगा। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 27 जून, 2008)**

एक बड़े निर्णय में जो प्रिंट मीडिया में नई जान फूँक देगा, सरकार ने 18.9.2008 को समाचारों और सामयिक विषयों की सामग्री वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों की अनुमति दे दी, 26 प्रतिशत एफ़डीआई के साथ।

इस निर्णय के साथ, विदेशी पत्रिकाएँ स्थानीय और वैश्विक सामग्री के साथ भारतीय संस्करण सस्ते दामों पर निकाल पाएँगी।

पहले, केवल भारतीय प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत एफ़डीआई की अनुमति थी, जबकि विदेशी पत्रिकाओं की अनुमति फ़ैक्सिमिलि संस्करण द्वारा थी। **(दि डेक्कन क्रॉनिकल, हैदराबाद, दिनांक 19 सितंबर, 2008)**

भारत में विदेशी पत्रिकाओं के लिए सरकार के ढील देने के अनुक्रम में, केंद्र ने देश में विदेशी समाचारपत्रों के फ़ैक्सिमिलि संस्करणों के प्रकाशन की अनुमति दे दी है। दि वाल स्ट्रीट जर्नल स्वीकृति पाने वाला पहला विदेशी समाचारपत्र था।

दिशानिर्देश जारी करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया कि प्रकाशन कंपनियों के निदेशक मंडलों के 75 प्रतिशत निवासी भारतीय हों। पत्रिकाओं को अपने विदेशी संस्करण पूरी तरह मुद्रित करने की अनुमति दी गई है और स्थानीय सामग्री तथा विज्ञापन शामिल करने की भी। **(दि पॉयनियर, नई दिल्ली, दिनांक 12 फ़रवरी, 2009)**

सामग्री विनियमन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वतः विनियमन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनल की विषय-वस्तु पर नज़र रखने के लिए एक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना की है। आशा है कि मंत्रालय शीघ्र ही दिशानिर्देशों का एक सेट जारी करेगा, यद्यपि सरकार और निजी प्रसारकों के बीच इस मुद्दे पर मतैक्य नहीं है।

प्रसार भारती कार्यालय में स्थित 16 करोड़ रुपए का यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र, एक-साथ 100 टेलीविज़न चैनलों को मॉनिटर कर सकता है।

केंद्र का मुख्य काम उन प्रोग्रामों पर नज़र रखना होगा जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रोग्रामों और विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करते हैं। यह एक वेब-आधारित तंत्र पर बनाया गया है जो चैनलों तथा सिगनलों को मॉनिटर करने की सुविधा देता है, विषय-वस्तु को रिकॉर्ड कर सकता है और रिकॉर्ड की गई फ़ुटेज को पुनः प्राप्त कर सकता है।

परंतु, प्रस्तावित प्रसारण विधेयक के अंतर्गत निर्धारित संहिता पर टीवी चैनलों ने आपत्ति उठाई है और इसे मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास बताया है। राष्ट्रीय प्रसारक एसोसिएशन ने भी विषय-वस्तु के विनियमन पर मंत्रालय को अपने प्रस्ताव भेजे हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 2008)**

समाचार प्रसारक एसोसिएशन (एनबीए) - निजी समाचार और सामयिक विषयों के चैनलों का समूह - ने 22 अगस्त 2008 को एक "समाचार प्रसारण मानक (विवाद निराकरण) प्राधिकरण" की स्थापना की घोषणा की है जो उसकी आचार-शास्त्र संहिता और प्रसारण मानकों को लागू करेगा।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जे.एस. वर्मा, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, जो 2 अक्तूबर से काम करने लगेगा। अन्य सदस्य 'प्रतिष्ठित व्यक्तियों' और 'संपादकों' की कोटियों में बराबर बाँटे गए हैं।

प्राधिकरण की स्थापना एनबीए की स्वयं को विनियमित करने की सरकार को वचनबद्धता के एक अंग के रूप में और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक नियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए चिरकाल से विचाराधीन प्रस्ताव के एक विकल्प के रूप में की गई है। पहले, एनबीए ने अपनी आचार संहिता बनाकर सरकार को भेजी थी। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त, 2008)**

अब टेलीविज़न की विषय-वस्तु को सरकारी दिशानिर्देश का एक नया सेट विनियमित करेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी की विषय-वस्तु की गिरती हुई गुणता पर न्यायालयों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद अपनी विषय-वस्तु संहिता पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है।

अब तक, समाचार प्रसारक एसोसिएशन ने ही शिकायतों के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। मनोरंजन या खेलों के चैनलों के लिए ऐसा कोई निकाय नहीं है, यद्यपि भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान ने स्वतः विनियमन पर एक प्रारूप प्रस्तुत किया है। प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने कहा है, "सरकार को हमारा प्रारूप अनुमोदित कर देना चाहिए ताकि हम एक शिकायत निराकरण निकाय स्थापित कर सकें।"

परंतु, मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उद्योग स्वयं को विनियमित करने का इच्छुक नहीं है। और, केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्रोग्राम संहिता बिल्कुल अपर्याप्त पाई गई। एक अधिकरी ने कहा है, "नागरिकों के संस्कारों की रक्षा के लिए हमें अधिक व्यापक और परिष्कृत संहिता की ज़रूरत है।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर, 2008)**

यदि सरकार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफ़ारिशें स्वीकार कर ले तो धार्मिक और राजनीतिक सत्त्वों द्वारा चलाई जा रही टेलीविज़न चैनलें अधिक देर तक नहीं टिक पाएँगी। ट्राई प्रसारण क्षेत्र के लिए नीतियां सुझाने वाला निकाय है। ट्राई के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सूचना और प्रसारण सचिव सुषमा सिंह को अपने पत्र में लिखा था कि धार्मिक तथा राजनीतिक संगठनों को टीवी चैनलें चलाने से रोक कर "यह सुनिश्चित होगा कि मीडिया का प्रयोग जन हित को आगे बढ़ाने के लिए" और "पूर्ण तथा सही जानकारी प्राप्त करने के आम आदमी के अधिकार की अधिक सिद्धि के लिए" किया जाता है। ट्राई ने सुझाव दिया है ऐसी चैनलों को तीन-चार वर्षों में बंद कर दिया जाए। ट्राई ने प्रस्तावित प्रसारण नियामक विधेयक में धार्मिक विषय-वस्तु के लिए अधिक कड़ी संहिता की भी सिफ़ारिश की है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 13 नवंबर, 2008)**

वास्तविकता प्रदर्शन एक बिल्कुल अप्रत्याशित कारण से सरकार की नज़रों में आए हैं - यह जानने के लिए कि क्या बच्चों को लेकर बनाए गए प्रदर्शन उन पर तनाव डालते हैं और उनकी शिक्षा को दुष्प्रभावित करते हैं।

इस मुद्दे पर, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने श्रम सचिव, सुधा पिलै को नोटिस जारी करके मंत्रालय को कहा है कि अभिनय करने वाले बच्चों पर इन लोकप्रिय टीवी प्रदर्शनों के उनके पढ़ने तथा खेलने के समय पर प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट भेजें। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने हर बच्चे के लिए पढ़ने तथा खेलने का पर्याप्त समय निर्धारित किया है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2008)**

"सास बहू" धारावाहिकों पर महिलाओं के विषम प्रदर्शन और विधि तंत्र की अज्ञानता का दोष लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने टेलीविज़न और इंटरनेट पर विषय-वस्तु की जाँच के लिए एक नियामक तंत्र की माँग की है।

आयोग ने टेलीविज़न चैनलों की बहार, उनकी विषय-वस्तु और वेब पर प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को देखते हुए स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम में परिवर्तनों की चर्चा की है। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2008)**

परिषद् के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी. एन. रॉय ने कहा है कि भारतीय प्रेस परिषद् ने सरकार से आग्रह किया है कि मीडिया उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक मीडिया आयोग का गठन किया जाए।

उन्होंने कहा, "हमने सुझाव दिया है कि दृश्य मीडिया को शामिल करने के लिए प्रेस परिषद् को मीडिया परिषद् में बदल दिया जाए, परंतु सरकार की इसमें रुचि नहीं है," और बताया कि सरकार कुछ अन्य विनियमों पर विचार कर रही है।

सरकार एक मीडिया आयोग गठित कर सकती है और उस आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर नियामक निकाय के बारे में सोच सकती है। **(संडे एक्सप्रेस, कोज़ीकोड, दिनांक 21 सितंबर, 2008)**

एग्ज़िट पोल पर प्रतिबंध

केंद्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है कि किसी चुनाव में अंतिम मतदान के पूरा हो जाने तक एग्ज़िट पोल के प्रसारण पर पाबंदी लगाई जाए और इस बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में भी संशोधन किया जाए।

सरकार ने कहा है कि एग्ज़िट पोल के प्रसारण पर पाबंदी से मतदाता, मतदान का एक चरण पूरा हो जाने के बाद जबकि अन्य चरणों का मतदान पूरा होना अभी बाकी हो, एग्ज़िट पोल के अनुमान से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 17 अक्तूबर, 2008)**

यद्यपि भारतीय चुनाव आयुक्त ने मतदान की समाप्ति से पहले 48 घंटे की अवधि में एग्ज़िट तथा ओपिनियन पोलों के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगाकर उन पर लगाम कसने की कोशिश की है, तथापि कानून और न्याय पर संसदीय समिति एग्ज़िट पोल का समर्थन कर रही है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग बताती है।

संसद में 18 फ़रवरी 2009 को रखी गई "लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008" पर अपनी 33वीं रिपोर्ट में उसने एग्ज़िट पोल का समर्थन किया है।

समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि सरकार को यह जटिल मामला सावधानी से संभालना चाहिए और मीडिया को चुनावों के दौरान एग्ज़िट पोल करने की अनुमति दी जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "फिर भी, यथोचित प्रतिबंध होने चाहिएँ ताकि एग्ज़िट पोलों के परिणामों के प्रसार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी तरह दुष्प्रभावित न हों।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 19 फ़रवरी, 2009)**

मतदान के अंतिम चरण के पूरा होने तक चुनाव के दौरान एग्ज़िट पोल के प्रसारण तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय का निजी प्रसारकों ने 10.10.2008 को भारी विरोध किया और इसे उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। **(डेक्कन हेराल्ड, बैंगलूर, दिनांक 11 अक्तूबर, 2008)**

• जम्मू और कश्मीर सरकार ने देशी भाषाओं की प्रेस से कहा है कि वे लोगों को राज्य में आगामी चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कहने वाले पृथक्तावादियों के विज्ञापन न छापें या अपने विज्ञापनों से वंचित होने के लिए तैयार रहें।

सरकार की विज्ञापन नीति कुछ आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन का स्पष्ट रूप से निषेध करती है। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापनों के लिए अनुमोदित समाचारपत्रों की सूची से निकाल दिया जाता है। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 5 नवंबर, 2008)**

• केंद्र ने 11 फ़रवरी 2009 को न्यूज़प्रिंट और ग्लेज़्ड न्यूज़प्रिंट से आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 12 फ़रवरी, 2009)**

• इन्टरनेट, इन्टरनेट टीवी तथा एफ़एम रेडियो जैसे नए और उभरते हुए मीडिया की प्रचुरता के साथ सरकार समस्त मीडिया को कवर करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश बनाने के लिए एक आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री, जवाहर लाल नेहरू तथा मोरारजी देसाई द्वारा शुरू किए गए पहले के ऐसे प्रयास की तरह एक मीडिया आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर सांसदों की परामर्श समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 16 फ़रवरी, 2009)**

• सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 फ़रवरी 2009 को मीडिया के लिए एक अल्पकालीन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के विज्ञापनों के लिए दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। बढ़ी हुई विज्ञापन दर केवल 30 जून 2009 तक लागू होगी और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गैर-सरकारी विज्ञापनों में राजस्व की हानि के लिखित प्रमाण के अधीन होगी।

मंत्रालय इस वर्ष की 30 जून तक डीएवीपी के विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेंसी कमीशन भी छोड़ देगा। यह घोषणा राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आनंद शर्मा ने 27 फ़रवरी 2009 को की थी। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 28 फ़रवरी, 2009)**

आईपीएल मैचों की मीडिया कवरेज

खेल को उजागर करने में मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर ध्यान न देते हुए, आईपीएल शासी निकाय ने इस घटना के लिए वेबसाइटों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, और खेलों के दौरान समाचारपत्रों तथा एजेंसियों द्वारा खींचे गए सभी समाचार चित्रों पर अनन्य कॉपीराइट का दावा किया है।

सभी समाचारपत्रों के ऑन लाइन संस्करण हैं, अतः इसका अर्थ यह है कि मीडिया संगठनों को स्वयं अपने चित्र ऑन लाइन अपलोड करने से वंचित कर दिया गया है, जो एक बेतुकी माँग है और अब इस बहु-प्रचारित घटना का मीडिया द्वारा बायकाट कर दिए जाने का खतरा है जब तक कि बीसीसीआई अपने क्षुद्र वाणिज्यिक मुद्दे पर पुनर्विचार न करे। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 2008)**

आईपीएल के प्रिंट मीडिया के साथ विवाद को देखते हुए टीवी चैनलों ने आईपीएल मैचों की कवरेज का बायकाट करने का निर्णय लिया है। मुख्य टीवी चैनलों ने 18 अप्रैल 2008 की मध्य रात्रि से आईपीएल की कवरेज के बायकाट का निर्णय लिया है। यह निर्णय टीवी चैनलों के प्रमुख संगठन 'समाचार प्रसारक एसोसिएशन' द्वारा लिया गया है। एसोसिएशन ने अपने निर्णय की जानकारी श्री ललित मोदी, अध्यक्ष, आईपीएल को दे दी है। ये टीवी चैनलें आईपीएल मैचों के अनन्य अधिकार सोनी नेटवर्क को दिए जाने के आईपीएल के निर्णय और मुद्दे पर चर्चा करने से आईपीएल के इनकार का विरोध कर रही थीं। **(दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल, 2008)**

प्रमुख टेलीविज़न समाचार चैनलों के एक संगठन, समाचार प्रसारक एसोसिएशन (एनबीए) ने "फ़ुटेज और मान्यता के मुद्दों के सौहार्दपूर्ण ढंग से तय" हो जाने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को कवर करने का निर्णय लिया।

यह निर्णय एनबीए के प्रतिनिधियों और आईपीएल के अध्यक्ष एवं आयुक्त ललित मोदी के बीच मुंबई में हुई बैठक में लिया गया। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल, 2008)**

आरुषि हत्याकांड की मीडिया रिपोर्टिंग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय कुछ टेलीविज़न चैनलों को आरुषि तलवार के कथित चरित्र हनन के लिए, नोएडा पुलिस के इस दावे के बाद कि वह और घर का नौकर हेमराज बहुत घनिष्ठ थे, कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है। आरुषि के पिता राजेश तलवार को दोनों की हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आरुषि कांड पर कुछ बाल अधिकार संगठनों से अभिवेदन प्राप्त हुए थे, किंतु अधिकारियों ने बताया कि वे जाँच कर रहे हैं कि क्या प्रोग्राम संहिता के अंतर्गत चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कार्रवाई करने के लिए लिखा है। बाल अधिकारों के लिए एचएक्यू जैसे संगठन भी इस मामले में असंवेदी रिपोर्टिंग के लिए मीडिया के विरुद्ध कार्रवाई की माँग करते रहे हैं। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 2008)**

युवा आरुषि, जो पिछले महीने पड़ोस के नोएडा में मरी हुई पाई गई थी, की माँ नुपूर तलवार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से आग्रह किया है कि फ़िल्म निर्माताओं को उसकी बेटी के वध पर धारावाहिक बनाने से रोका जाए।

पत्र में नुपूर ने कहा है कि मामले के प्रचार का अनुचित लाभ उठाते हुए बालाजी टेलीफ़िल्म ने दावा किया है कि वह आरुषि की हत्या को अपने लोकप्रिय दैनिक धारावाहिक "कहानी घर घर की" के एक अंग के रूप में शामिल करेगा। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2008)**

सरकार ने स्टार टीवी को निदेश दिया है कि टीवी धारावाहिक 'कहानी घर घर की' के उस प्रकरण का प्रसारण रोक ले जिसमें आरुषि हत्याकांड को प्रदर्शित करने का विचार है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीईआर) और केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधुरी से शिकायतों के बाद सूचना और प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय के अधिकारी स्टार टीवी के प्रतिनिधियों से मिले थे। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 11 जून, 2008)**

भारत-भर से संकलित टीवी देखने वालों के डाटा से पता चलता है कि हर कोई आरुषि के उन्माद में मुग्ध है और हत्याकांड में मिलने वाली हर जानकारी का मज़ा ले रहा है। डाटा दर्शाता है कि लोग टीवी पर आईपीएल, क्रिकेट मैच या लोकप्रिय सितारे शाहरुख खान तथा सलमान खान देखने की बजाए यह जानने में अधिक रुचि रखते हैं कि नोएडा की छात्रा की हत्या किसने की। समाचार चैनलों ने बताया है कि हत्या का समाचार मिलने के बाद से उनके देखने वालों की संख्या में उछाल आया है, शायद 2006 के निठारी क्रमिक हत्याकांड के बाद यह भारत की सबसे बड़ी अपराध कथा है।

समाचार चैनलों के लिए यह 16 मई को शुरू हुआ जब हत्या का समाचार आया। टीएएम के अनुसार, हिंदी समाचार चैनलों का टीआरपी लगभग दो पॉइंट उछला। एएमएपी ने भी उछाल की पुष्टि की। हिंदी समाचार चैनलों के अध्यक्ष ने कहा कि इस उछाल के लिए अकेला सब से महत्त्वपूर्ण कारक आरुषि कांड था।

उसने कहा : "मेरे लिए इस अवधि के दौरान समाचार की विषय वस्तु में एकमात्र अंतर आरुषि हत्याकांड था। सभी समाचार चैनलें चौबीसों घंटे युगल हत्या कांड पर प्रोग्राम चलाती थीं और उसी से टीआरपी में वृद्धि हुई।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 13 जून, 2008)**

उच्चतम न्यायालय ने मीडिया को निदेश दिया कि आरुषि-हेमराज युगल हत्याकांड पर रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतें। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि समाचारपत्र और टेलीविज़न के पत्रकारों को यह मामला यथार्थता के साथ रिपोर्ट करना चाहिए ताकि किशोरी के परिवार तथा मित्रों की प्रतिष्ठा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यह निदेश उस समय आया जब न्यायालय एडवोकेट सूरत सिंह द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें आरुषि के परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निदेश माँगा गया था। उसने कहा कि मीडिया तथा पुलिस ने आरुषि के परिवार का अहित किया है और किशोरी के पिता को निर्दोष घोषित करने से पहले 50 दिन तक हिरासत में रखने के लिए अन्वेषकों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग की।

याचिका-दाता ने मीडिया तथा पुलिस पर दिवंगत बालिका के चरित्र हनन में लिप्त होने का आरोप लगाया है। सिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए जाएँ कि जब तक अन्वेषण चल रहा हो, तब तक मीडिया को अपराधी के बारे में कोई जानकारी न दी जाए। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2008)**

मुंबई आतंकवादी हमलों की मीडिया कवरेज

मुंबई में हाल में आतंकवादी हमलों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सीधे प्रसारण को अधिकारियों ने उचित नहीं माना है। महाराष्ट्र सरकार एक प्रस्ताव बना रही है जिसके द्वारा वह आतंकवादी हमलों जैसी स्थिति में समाचार चैनलों को ब्लैक आउट कर सकेगी।

राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा क्योंकि यह विषय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसने कहा कि "समाचार चैनलों ने रक्षा की कार्रवाई को सीधा दिखाया। यदि आतंकवादियों की समाचार चैनलों तक पहुंच होती तो यह खतरनाक सिद्ध हो सकता था। उन्हें सुरक्षा बलों की हर चेष्टा का पता चल जाता।" नया प्रस्ताव सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की पूरी अवधि के दौरान समाचार चैनलों को ब्लैक आउट कर देने का है। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 4 सितंबर, 2008)**

मुंबई आतंकवादी घेराबंदी की मीडिया की कथित रूप से अनुत्तरदायित्वपूर्ण कवरेज को देखते हुए, सूचना और प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय "आपात स्थितियों" पर रिपोर्टिंग के विशिष्ट दिशानिर्देशों का सेट समाविष्ट करने के लिए तैयार है।

ऐसा पता चला है कि राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आनंद शर्मा ने आतंकवादी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं, दंगों आदि जैसी आपात स्थितियों की कवरेज के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु सूचना और प्रसारण सचिव के अधीन एक "स्थायी मीडिया परामर्श समिति" स्थापित

करने के लिए निदेश जारी किए हैं। इस समिति के सदस्य भारतीय संपादक संघ और प्रसारक एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसंबर, 2008)**

पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने, जो समाचार प्रसारण मानक विवाद निवारण प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, 18 दिसंबर 2008 को "आपात स्थिति के दौरान समाचारों के प्रसारण के लिए दिशानिर्देशों" की घोषणा की। कहा गया है कि 22 समाचार चैनल चलाने वाले सभी 14 प्रसारकों ने दिशानिर्देशों को तत्काल स्वीकार कर लिया।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अपराध करने वालों, उनके बंधकों/पीड़ितों तथा संबंधित सुरक्षा कर्मियों के साथ कार्रवाई के दौरान कोई 'सीधा' संपर्क नहीं बनाया जा सकता, कार्रवाई के दौरान संक्रिया का कोई ब्योरा प्रकट नहीं किया जा सकता, अभिलेखीय फ़ुटेज के अनावश्यक पुनरावर्तन और दुःखद दृश्यों तथा ग्राफ़िक्स के प्रसारण से बचा जाए।

इन दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए प्राधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट दंड के प्रावधान का उल्लेख तो नहीं किया गया है, फिर भी न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रावधान और प्राधिकारी में निहित अधिकार यहाँ भी लागू होंगे। प्राधिकारी प्रसारक की भर्त्सना कर सकता है, उसे चेतावनी दे सकता है, परिनिंदा कर सकता है, असहमति व्यक्त कर सकता है और/या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकता है और/या संबंधित प्राधिकारी को ऐसे प्रसारक का लाइसेंस रद्द/प्रतिसंहरण करने की सिफ़ारिश कर सकता है और शिकायतों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन के लिए स्वप्रेरणा से भी अभिज्ञान ले सकता है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसंबर, 2008)**

मीडिया से विरोध के फलस्वरूप, सरकार ने आपात स्थिति के दौरान टेलीविज़न चैनलों को अधिकृत वीडियो फ़ुटेज उपलब्ध कराने की अपनी योजना बंद कर दी है। स्वयं को केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियम अधिनियम में संशोधन के विवादास्पद प्रस्ताव से दूर रखने के उद्देश्य से सरकार के उच्च स्रोतों ने कहा है कि प्रस्ताव विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिया गया मात्र एक सुझाव था और इसे राजनीतिक स्थापना का अनुमोदन प्राप्त नहीं था। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 2009)**

प्रेस पर हमले

• एक दलित संगठन के सक्रियतावादियों ने 26 मई 2008 को एक प्रमुख तेलुगु समाचारपत्र "आंध्र ज्योति" के कार्यालय पर हमला किया, उधम मचाया, खिड़कियों के शीशे तोड़े और फ़र्नीचर को आग लगा दी। उनके रोष का कारण दैनिक में प्रकाशित एक मुख्य समाचार था जिसमें दलित संगठनों के नेताओं के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी जो ब्लैकमेल के दाँवपेच अपनाते हैं और सत्तासीन राजनीतिक व्यक्तियों के साथ सौदेबाज़ी करते हैं।

रिपोर्ट से क्रुद्ध होकर, 20 से अधिक एमआरपीएस कार्यकर्ता, लाठियों, पैट्रोल की बोतलों और पत्थरों से लैस होकर, दो गाड़ियों में जुबली हिल्स के पॉश क्षेत्र में समाचार पत्र के कार्यालय में गए और अपना रोष निकाला। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 27 मई, 2008)**

एक अनुसूचित जाति संगठन द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत किए जाने के बाद तेलुगु दैनिक "आंध्र ज्योति" के संपादक तथा दो पत्रकारों को 24 जून 2008 की रात को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गिरफ़्तार कर लिया गया।

गिरफ़्तारी मडिगा आरक्षण समिति अध्यक्ष, कृष्ण मडिगा द्वारा 28 मई को की गई शिकायत के बाद हुई जिसमें समाचारपत्र के स्टाफ़ पर "उसे उसकी जाति के नाम पर अपशब्द कहने" का आरोप लगाया गया था। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2008)**

25 जून 2008 को सारे आंध्र प्रदेश में मीडिया तथा प्रमुख राजनीतिक दलों ने आंध्र ज्योति के संपादक के. श्रीनिवास और दैनिक के दो रिपोर्टरों को गिरफ़्तार और कैद किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

श्री श्रीनिवास और दोनों पत्रकारों को 24 जून 2008 की मध्य रात्रि को छठे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रात भर बंजारा हिल्स पुलिस थाने में रखने के बाद 25 जून 2008 को सुबह उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में ले जाया गया। आंध्र ज्योति के प्रबंधकों ने उनके मोचन के लिए अनुरोध करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में ज़मानत की अर्ज़ी दी है और न्यायालय ने मामले पर 26 जून को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 26 जून, 2008)**

आंध्र ज्योति, तेलुगु दैनिक, के संपादक के. श्रीनिवास और दोनों पत्रकारों को 26 जून को ज़मानत दे दी गई लेकिन कारागार से मुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि ज़मानत के कागज़ जेल अधिकारियों के पास 5.30 अपराह्न से पहले नहीं पहुंचे।

छठे अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश ने के. श्रीनिवास को 10,000 रु. प्रतिभूति के भुगतान पर बिना शर्त ज़मानत दे दी। **(डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूर, दिनांक 27 जून, 2008)**

• एक उग्र मराठी-समर्थक संगठन के कार्यकर्ताओं ने 5 जून 2008 को इंडियन एक्सप्रेस समूह के मराठी समाचारपत्र, लोक सत्ता, के संपादक कुमार केटकर के घर पर आक्रमण किया और तोड़-फोड़ की। वे एक संपादकीय का विरोध कर रहे थे जिसमें मैरिन ड्राइव के पार अरब सागर में शिवाजी की 309 फ़ुट ऊँची प्रतिमा स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना की हँसी उड़ाई गई थी।

शिव संग्राम के लगभग 70-80 लोगों ने, जिसे एक सामाजिक-धार्मिक संस्था माना जाता है, पूर्व एनसीपी एमएलसी विनायक मेथे के नेतृत्व में पत्थर फेंके, खिड़कियों के शीशे तोड़े, दरवाज़ों तथा खिड़कियों पर तारकोल पोता और थाणे के कोपरी क्षेत्र में केटकर के घर में घुसने की कोशिश की। उन्होंने घर के बाहर सड़क पर लोकसत्ता की प्रतियाँ भी जलाईं ।

आक्रमण को उचित ठहराते हुए मेथे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहाः "इतने वर्षों के बाद राज्य सरकार ने अरब सागर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उसने (केटकर ने) इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। सो, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए उसके घर पर आक्रमण किया।"

मेथे ने कहा, "यह नृशंस लेखन पर एक भौतिक प्रतिक्रिया थी।" **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 2008)**

• सारे मणिपुर के समाचारपत्र कार्यालयों ने निर्णय लिया है कि भूमिगत आतंकवादी संस्था कंगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) के कामबंदी के आदेश का उल्लंघन किया जाए और 18 जून 2008 से प्रकाशन शुरू कर दिया जाए। यह निर्णय केसीपी के लनहेइबा समूह (सैन्य परिषद्) से, उसके प्रचार, संचार तथा तकनीकी अधिकारी तमनगंबा मेइती द्वारा जारी एक वक्तव्य के प्रकाशन पर धमकियों के परिणामस्वरूप 17 जून 2008 को अखिल मणिपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ और मणिपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ और मणिपुर संपादक फ़ोरम की आपातकालीन आम बैठक में लिया गया था।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 7.00 अपराह्न के बाद आने वाली किसी प्रेस विज्ञप्ति को स्वीकार न किया जाए और न ही आतंकवादी दलों द्वारा जारी किसी वक्तव्य को स्वीकार किया जाए। समूह ने 15 जून को मीडिया घरानों को कहा था कि 16 जून 2008 से प्रकाशन बंद कर दें और संपादकों तथा रिपोर्टरों को धमकी दी थी कि यदि वे अपने कार्यालय खुले रखेंगे और काम करते रहेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

फलस्वरूप, 16 और 17 जून 2008 को कोई प्रकाशन नहीं निकले। 16 जून 2008 को भारी शस्त्रों वाले राज्य पुलिस के कमांडो इम्फाल में कुछ मीडिया घरों की रक्षा करते हुए दिखाई दिए। अखिल मणिपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने, जिसने पिछले दो दिनों में मुद्दे पर चर्चा की थी, आतंकवादियों से अपील की कि राज्य में दैनिक समाचारपत्रों के कामकाज में बाधा न डालें। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 18 जून, 2008)**

20 नवंबर 2008 से इम्फाल में समाचारपत्र स्टैंडों पर दिखाई नहीं देंगे। वे 17 नवंबर 2008 की रात को शहर में एक पत्रकार की हत्या की न्यायिक जाँच की माँग कर रहे हैं। स्थानीय टेलीविज़न समाचार चैनलें 19 नवंबर 2008 से ही प्रसारण बंद कर चुकी हैं।

कोन्साम ऋषि कांत सिंह, राज्य राजधानी से प्रकाशित प्रमुख अंग्रेजी समाचारपत्र, *दि इम्फाल फ़्री प्रेस* में काम करने वाला एक उप-संपादक, 17 नवंबर 2008 को रात की पाली में नहीं आया। जल्दी ही उसका गोलियों से छलनी हुआ शरीर इम्फाल से बाहर लान्गोल पहाड़ियों के निकट मिला। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 20 नवंबर, 2008)**

श्री जगजीत सिंह सैकिया, एक युवा प्रतिभाशाली पत्रकार और कोकराझार से अमर असम का स्टाफ़ रिपोर्टर, ब्रह्म परिसर स्थित अपने कार्यालय में कथित रूप से कुछ आतंकवादियों द्वारा गोलियों से मार दिया गया था। असम पत्रकार संघ ने हत्या की निंदा की है और उच्च स्तरीय जाँच की माँग की है ताकि दोषी को सज़ा दी जा सके। (**असम पत्रकार संघ, गुवाहाटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 22 नवंबर, 2008**)

असम और मणिपुर में हाल में पत्रकारों की हत्याओं पर प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की है। पीएमओ के मीडिया यूनिट द्वारा 24 नवंबर 2008 को जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात करके उन्हें सलाह दी है कि हत्याओं में शीघ्र एवं निष्पक्ष जाँच के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए और अपने राज्यों में सभी पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ट उपाय किए जाएँ। (**दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 25 नवंबर, 2008**)

अनिल मजूमदार, 37 असमिया दैनिक आजी का कार्यकारी संपादक, असम का 21वाँ पत्रकार बन गया जिनकी हत्या 1991 में शुरू हुई मीडिया का मुँहबंद करने की प्रवृत्ति से की गई। मजूमदार को 24 मार्च 2009 की रात को गुवाहाटी में उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। इस वर्ष की अन्य तीन हत्याओं की भांति ही, पुलिस अभी तक हत्यारों की पहचान नहीं कर पाई है।

1991 में, दि यूनाइटेड लिबरेशन फ़्रन्ट ऑफ़ असम (उल्फ़ा) ने उसकी विचारधारा की आलोचना करने के लिए अध्यापक पत्रकार कमल सैकिया को मार कर इस प्रवृत्ति की शुरूआत की थी। अगले कुछ वर्षों में छह प्रमुख लिपिकों की जान ली गई और 17 मई 1996 को कथित रूप से उल्फ़ा-समर्थक लिपिक पराग कुमार दास की हत्या हुई। (**दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च, 2009**)

• कश्मीर घाटी में समाचार ब्लैक आउट के सातवें दिन श्रीनगर का एक अंग्रेज़ी समाचार पत्र *ग्रेटर कश्मीर* और उर्दू में उसका सह-प्रकाशन *कश्मीर उज़मा* 31.3.2008 को स्टैंडों पर प्रकट हुए, यद्यपि पृष्ठों की कम संख्या के साथ।

सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से बनी प्रतिकूल परिस्थितियों और सुरक्षा कर्मियों के हाथों पत्रकारों तथा अन्य स्टाफ़ के उत्पीड़न के कारण, जिन्होंने प्रतिबंध लागू करने के बहाने उनमें से कइयों पर आक्रमण भी किया, ग्रीष्मकालीन राजधानी से कोई अन्य समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सका।

24 अगस्त को, जब पृथक्तावादियों की धर पकड़ शुरू हुई, स्थानीय टेलीविज़न समाचार प्रसारणों के बंद कर दिए जाने के विरोध में केबल संचालकों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रसारण बंद कर दिए हैं और, प्राधिकारियों ने कुछ वेबसाइटें अवरुद्ध कर दी हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में इन्टरनेट सेवाएँ भी दुष्प्रभावित हुई हैं। नई दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू से प्रकाशित समाचारपत्रों

की घाटी में भारी माँग है, परंतु कर्फ़्यू ने उनके वितरण को भी अवरुद्ध कर दिया। (**दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 1 सितंबर, 2008**)

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक प्रमुख अंग्रेज़ी दैनिक, *ग्रेटर कश्मीर* और उर्दू दैनिक, *कश्मीर उज़मा* की सभी प्रतियों को ज़ब्त कर लिया। इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण बताते हुए *ग्रेटर कश्मीर* के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम ऐसे उपायों से दबने वाले नहीं हैं और हम जम्मू और कश्मीर के लोगों की समस्याओं को उजगार करते रहेंगे।" (**दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 8 नवंबर, 2008**)

• पेरियार द्रविड़र कज़गम (पीडीके) के कार्यकर्ताओं ने कुछ वकीलों और लॉ कालेज के छात्रों के साथ, श्री लंकाई तमिलों के मुद्दे पर एक लेख की आलोचना करते हुए, जो *दि हिंदू* के संपादकीय पृष्ठ पर छपा था, 14 अक्तूबर 2008 को कोयंबत्तूर में नारे लगाए और *दि हिंदू* की प्रतियों को आग लगा दी। कुछ छात्रों ने समाचारपत्र के कार्यालय में घुसने का प्रयास किया और भवन पर एक पत्थर फेंका गया।

प्रदर्शनकारी माँग कर रहे थे कि *दि हिंदू* लेख को वापस ले और क्षमा याचना करे। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, तब भी उन्होंने समाचारपत्र की प्रतियाँ जला दीं। भारतीय पत्रकार संघ, कोयंबत्तूर प्रेस क्लब और चैन्नई प्रेस क्लब के महासचिवों ने इस घटना की निंदा की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण कहा है। (**दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर, 2008**)

• पुलिस ने 4 जनवरी 2009 को उडुपी ज़िला में करकला के निकट चित्रा प्रकाशन प्रा. लि. के निदेशक एवं अध्यक्ष बी.वी. सीताराम को एक पुराने मामले के संबंध में गिरफ़्तार कर लिया।

सब-डिवीज़न करकला के उप पुलिस अधीक्षक, संतोष कुमार ने कहा कि श्री सीताराम को उडुपी ज़िले में शिखा गांव में पुलिस थाने में दर्ज किए गए एक पुराने मामले के संबंध में गिरफ़्तार किया जा रहा है। (**दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2009**)

संघ परिवार के तत्त्वों द्वारा, जिन्हें शायद कर्नाटक सरकार का समर्थन प्राप्त है, मेंगलूर तथा धारवाड़ से प्रकाशित *करावली अली* को जिस क्रमबद्ध तरीके से लक्षित किया जा रहा है, उसकी भारतीय समाचारपत्र सोसायटी ने निंदा की है।

सोसायटी की प्रेस स्वतंत्रता समिति के अध्यक्ष और *दि स्टेट्समैन* के संपादक, रवींद्र कुमार ने भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह किया है कि कर्नाटक सरकार की लगाम कसने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और सीताराम को हथकड़ी लगाने में निहित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र में ऐसे व्यवहार का कोई स्थान नहीं है और राज्य द्वारा वक्तृता की स्वतंत्रता का सांविधानिक अधिकार अवश्य सुनिश्चित किया जाए। (**दि संडे स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी, 2009**)

"करावली अली" के प्रकाशक चित्रा प्रकाशन प्रा. लि. के अध्यक्ष एवं निदेशक बी.वी. सीताराम को हथकड़ी लगाने और अन्य मुद्दों की जाँच करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) द्वारा स्थापित समिति के सदस्य फ़रवरी 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आकलन समिति के दोनों सदस्यों के. श्रीनिवास रेड्डी और कुंदन आर. व्यास के अनुसार रिपोर्ट में समाचारपत्र की बिक्री रोकने के लिए अपनाई गई प्रपीड़क विधियों की जाँच की जाएगी। वे 19 जनवरी 2009 को "करावली अली" के कार्यालय में गए और पुलिस अधीक्षक एन. सुरेश कुमार से मिले। **(दि हिंदू, बेंगलूर, दिनांक 20 जनवरी, 2009)**

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चित्रा प्रकाशन के प्रबंध निदेशक, बी.वी. सीताराम को अवैध तरीके से हिरासत में रखने के लिए 11 फ़रवरी 2009 को राज्य सरकार को 10,000 रुपए लागत का जुर्माना किया, और जिस यांत्रिक विधि से मजिस्ट्रेटों ने उसके विरुद्ध गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए थे, उसकी निंदा की।

इसने श्री सीताराम की पत्नी, एस. रोहिणी की उसे अवैध रूप से हिरासत में रखने के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और उसे तत्काल मुक्त करने के 3 फ़रवरी 2009 के अपने अंतरिम आदेश को अंतिम बना दिया। पुलिस की आलोचना करते हुए एक खंड पीठ ने कहा कि किसी-न-किसी मामले में श्री सीताराम को हिरासत में रखने का उनका प्रयास दिखाई देता है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 12 फ़रवरी, 2009)**

न्यायालय के मामले

एक नाटकीय विचार परिवर्तन में, तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विरुद्ध वारंट जारी करने के गुजरात के एक नगर न्यायालय के टीवी स्टिंग मामले की सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, वी.एन. खरे, उच्चतम न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ एडवोकेट ने कथित रूप से न्यायपालिका को अभद्र रूप से प्रदर्शित करने के लिए मीडिया पर अपने आक्रमण को ढीला करने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष तक न्यायालय की माँग थी कि एक गलत काम करने - 2004 में अहमदाबाद में एक स्थानीय न्यायालय से झूठी शिकायतों पर वारंट प्राप्त करने के लिए चार एडवोकेटों को 40,000 रुपए की रिश्वत देने - के लिए टीवी रिपोर्टर, विजय शेखर क्षमा याचना करे। मुख्य न्यायाधीश, के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में पीठ ने केंद्र, भारतीय बार काउंसिल, भारतीय बार एसोसिएशन तथा अन्य संबंधित पक्षकारों से संशोधित सुझाव आमंत्रित किए ताकि तंत्र में उन दरारों की जाँच की जा सके जिन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा चूक को उद्घाटित किया।

विचार परिवर्तन 9 अप्रैल 2008 को मामले पर बहस के दौरान एक रोचक वाद विवाद के बाद आया कि स्टिंग कर रहे किसी रिपोर्टर का आकलन एक दोष को उद्घाटित करने के

लिए उसके कोई अन्य दोष करने से किया जाए या जैसे भी हो किसी दोष को उद्घाटित करने के उसके इरादे से।

पीठ ने इस मत का पक्ष लिया था कि पत्रकार दोषी है क्योंकि उसने रिश्वत देकर गलत काम किया है। और, उसने न्यायालय से अनुमति लिए बिना स्टिंग को प्रसारित कर दिया और समस्त न्यायपालिका को अभद्र रूप से प्रदर्शित किया। तथापि, पीठ पत्रकार को बिना शर्त क्षमा याचना पर छोड़ देने के लिए सहमत हो गई।

पत्रकार ने यह तर्क दिया कि क्षमा याचना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने प्रसारण से पहले मुद्दे को उच्चतम न्यायालय के सामने रखकर ज़िम्मेदारी से काम किया है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, वी.एन. खरे ने, जिनके विरुद्ध भी वारंट जारी कराया गया था, इस मामले को गंभीरता से लिया और केंद्र तथा भारतीय बार काउंसिल को तंत्र में इस चूक का नियंत्रण करने के सुझावों सहित उत्तर देने के लिए कहा।

न्यायालय ने यह मानने के बाद कि रिपोर्टर ने यह काम सदायशी इरादे के साथ किया था, अपने विचार में ढील देने का निर्णय लिया, इस सुझाव के साथ कि वह रिपोर्टर द्वारा किसी भी काम के लिए उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2008)**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ पत्रकार, आलोक तोमर द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई बंद कर देने के लिए दायर की गई याचिका पर 6 मई 2008 को दिल्ली पुलिस से उत्तर माँगा। तोमर के विरुद्ध उस द्वारा 2006 में संपादित एक पत्रिका में पैगंबर मुहम्मद के विवादास्पद चित्रण को पुनर्मुद्रित करने के लिए कार्रवाई चल रही है। उसने तर्क दिया कि वही कार्टून अन्य समाचार पत्रों में भी छपा था लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 7 मई, 2008)**

अहमदाबाद नगर के नव नियुक्त पुलिस आयुक्त, ओ.पी. माथुर ने *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के अहमदाबाद संस्करण, उसके आवासी संपादक, भरत देसाई और उसके अपराध रिपोर्टर, प्रशांत दयाल के विरुद्ध "देशद्रोह और राजद्रोह" का मामला दर्ज किया है। पिछले पाँच दिनों के दौरान संस्करण के मुख पृष्ठ पर श्री माथुर के विरुद्ध एक अभियान चलाने के लिए रंगपुरा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

श्री दयाल द्वारा लिखे गए लेखों में कहा गया था कि श्री माथुर अपराध जगत के पूर्व सरगना अब्दुल लतीफ़ का एक एजेंट है जो 1998 में एक मुठभेड़ में मारा गया था, और उसके माध्यम से दाऊद इब्राहिम तथा इन्टर सर्विसिज़ इन्टेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2008)**

गुजरात के राज्यपाल, नवल किशोर शर्मा ने 3 जून 2008 को वादा किया कि वे अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, ओ.पी. माथुर द्वारा *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के विरुद्ध लगाए गए

राजद्रोह के आरोपों पर राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट माँगेंगे। शर्मा ने कहा कि यदि ज़रूरी हुआ तो वे इस मामले के बारे में राजनीतिक नेताओं से भी मिलेंगे।

जिस दिन *टीओआई* ने गुजरात उच्च न्यायालय को राजद्रोह के आरोप रद्द करने के लिए आवेदन किया, उसी दिन शर्मा ने पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल को यह वादा किया था जो आरोप वापस लेने की माँग के साथ उनसे मिले थे। उन्होंने उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जो उन्होंने पूरी तरह पढ़ने का वादा किया। टीओआई की याचिका पर उच्च न्यायालय के एक अवकाश न्यायाधीश द्वारा 4 जून 2008 को सुनवाई की जाएगी। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 2008)**

गुजरात उच्च न्यायालय ने नगर पुलिस आयुक्त ओ.पी. माथुर द्वारा *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के अहमदाबाद संस्करण के आवासी संपादक, भरत देसाई और उसके अपराध रिपोर्टर, प्रशांत दयाल के विरुद्ध राजद्रोह तथा आपराधिक षड्यंत्र की शिकायतों को देखते हुए उन्हें 5 जून 2008 को अग्रिम ज़मानत दे दी। जस्टिस ज़ेड. के. सैयद द्वारा दी गई ज़मानत में एक ही प्रकार की तीनों शिकायतें शामिल थीं जो श्री माथुर ने 1 और 2 जून 2008 को समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर लेखों की एक शृंखला के बाद दायर की थीं, जिनमें श्री माथुर पर अपराध जगत् के पूर्व सरगना, अब्दुल लतीफ़ से संबंध होने का आरोप लगाया गया था जिसकी 1998 में एक मुठभेड़ में मृत्यु हो गई थी।

परंतु, समाचारपत्र ने श्री माथुर द्वारा दायर की गई शिकायतों को रद्द करने की प्रार्थना वाली अपनी याचिका वापस ले ली। अपना आवेदन वापस लेते हुए समाचारपत्र के एडवोकेट ने उच्च न्यायालय को बताया कि शिकायतें दायर करने पर *माथुर-टीओआई* गतिरोध के हल पर राज्य सरकार द्वारा विचार किए जाने की संभावना है।

उसने राज्य सरकार का प्रयास असफल हो जाने की स्थिति में शिकायतों को रद्द करने के लिए अपनी याचिका पुनः दायर करने का अधिकार सुरक्षित रखा। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 2008)**

अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, ओ.पी. माथुर ने *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के विरुद्ध दो नई प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करा दीं जबकि *टाइम्स ऑफ़ इंडिया* ने एक प्रतिवेदन मोदी के प्रमुख सचिव के. कैलाशनाथन को सौंपा और उसकी प्रतियाँ गृह राज्य मंत्री अमित शाह, मुख्य सचिव, मंजुला सुब्रमण्यम और प्रमुख सचिव (गृह), बलवंत सिंह को दीं।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के कर्मचारियों को अग्रिम ज़मानत दिए जाने के अगले दिन दर्ज की गई दो नई एफ़आईआर से एफ़आईआर की कुल संख्या पाँच हो गई। माथुर ने *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के एक चित्रकार का नाम भी एफ़आईआर में शामिल कर दिया है। *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* ने एफ़आईआर को रद्द करने के लिए न्यायालय को आवेदन करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए राज्य से अनुरोध किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता

सुरक्षित रखने के लिए आरोपों को वापस ले लिया जाए। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 7 जून, 2008)**

भारतीय प्रेस परिषद् ने गुजरात के मुख्य मंत्री, नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिख कर कहा है कि अहमदाबाद के नव नियुक्त नगर पुलिस आयुक्त, ओ.पी. माथुर को *टीओआई* के विरुद्ध मामले दर्ज करने से रोका जाए।

पीसीआई के अध्यक्ष, जस्टिस जी.एन. रॉय ने अपने पत्र दिनांक 4 जून में *टीओआई*, अहमदाबाद के विरुद्ध दर्ज किए गए राजद्रोह के मामलों पर विभिन्न समाचारपत्रों की रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा, "आप उपयुक्त प्राधिकारियों को परामर्श देने पर विचार करें कि उसे (माथुर को) मामले दर्ज करने की अनुमति न दी जाए।"

जस्टिस रॉय के पत्र के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेश संलग्न हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मानहानि के लिए मुकदमे दायर करने से रोकते हैं। माथुर ने *टीओआई*, अहमदाबाद के आवासी संपादक और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध राजद्रोह तथा षड्यंत्र के अंतर्गत पाँच एफ़आईआर दर्ज की हैं जब अपराध जगत् के साथ उसके कथित संबंधों की दृष्टि से अहमदाबाद के वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माथुर की योग्यता पर रिपोर्टों की एक शृंखला प्रकाशित की गई। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 11 जून, 2008)**

दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया समाचारपत्र के आवासी संपादक तथा संवावदाता एक बार फिर 16 जून 2008 को गुजरात उच्च न्यायालय गए और उनके विरुद्ध दर्ज देशद्रोह की पुलिस रिपोर्टों को रद्द करने के लिए कहा, जब कि सीआईडी ने कुछ पत्रकारों के बयान लिए। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 2008)**

उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2008 को यह जाँच शुरू की, कि क्या केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कोई ऐसा तंत्र विद्यमान है जो इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को असत्यापित तथ्यों या अर्ध सत्यों के साथ प्रसारण से रोके।

केंद्र तथा चैनलों को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दोषी चैनलों के मामले में कानून को लागू करने के लिए तंत्र के बारे में विस्तृत सुझाव देने को कहा। ये नोटिस बापू आसाराम आश्रम ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका के परिणामस्वरूप जारी किए गए थे जिसने टेलीविज़न पर मीडिया रिपोर्टों के प्रति विद्रोह किया जिनमें अहमदाबाद तथा मध्य प्रदेश में अवयस्क बालकों की मृत्यु की दो अलग-अलग घटनाओं पर आश्रम को बुरे रूप में दिखाया गया था। परंतु न्यायालय ने ट्रस्ट द्वारा की गई इस अंतरिम प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि भविष्य में आश्रम के विरुद्ध किसी भी प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसे एक "आम प्रार्थना" के रूप में ख़ारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश, के.जी. बालाकृष्णन और जस्टिस पी. सतशिवम की पीठ ने कहा, "हम नहीं जानते कि सत्य क्या है? आप एक सामान्य दिशानिर्देश नहीं माँग सकते कि कुछ भी प्रकाशित न किया जाए"। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2008)**

यह देखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा "स्टिंग ऑपरेशन" आजकल "व्यवसाय" बन गए हैं, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ एडवोकेटों आर.के. आनंद तथा आई. यू. खान को चार महीने के लिए बहिष्कृत कर दिए जाने से संबंधित मामले में 14 अक्तूबर 2008 को *एनडीटीवी* को नोटिस जारी किया।

एनडीटीवी के सीईओ को एक नोटिस पर, जिसने यह दिखाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण किया था कि आनंद और ख़ान ने दुर्घटना के मामले में अभियोजन के मूल साक्षी (कुलकरणी) को प्रभावित करने की कोशिश की थी, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाचार चैनल को मामले में औपचारिक पक्षकार नहीं बनाया जा रहा। चैनल को स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित चिपों, सीडी तथा कैसेटों की प्रामाणिकता स्पष्ट करनी होगी।

दो घंटे लंबी सुनवाई के दौरान उभरने वाला एक अन्य विचार यह था कि स्टिंग ऑपरेशनों का प्रयोग ब्लैकमेल के लिए किया जा रहा है। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 15 अक्तूबर, 2008)**

जेएमएफ़सी, कल्याण द्वारा दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश से पीड़ित होकर, संपादक, जन्म भूमि ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कल्याण की अदालत में एक दांडिक अपील दायर की थी। उसे श्री नितिन बी. शाह द्वारा दायर एक मुकदमे में मैच फ़िक्सिंग के बारे में एक लेख प्रकाशित करने के लिए, जिनमें श्री शाह के नाम का उल्लेख था, मानहानि के मामले में भा.दं.सं. की धारा 500 के अंतर्गत दोषी पाया गया था और पाँच महीने के कठोर कारावास का दंड दिया गया था।

इस तथ्य को देखते हुए कि श्री नितिन बी. शाह के विरुद्ध मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित कराने में संपादक का कोई दख़ल नहीं था, उक्त न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15 नवंबर 2008 द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया। **[दांडिक अपील सं. 14/2004 (श्री कुंदन रमण लाल व्यास, संपादक, जन्मभूमि बनाम महाराष्ट्र राज्य और श्री नितिन बी.शाह) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में निर्णय दिनांक 15 नवंबर 2008]**

केबल ओपरेटरों द्वारा नेमी परेशनी शीघ्र ही अतीत का किस्सा बन जाएगी। सेटेलाइट टीवी चैनल्ज़ एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य आदि के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हाल के एक निर्णय का संदर्भ देते हुए उत्तर उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), गुड़गाँव, जे.एस. संगवन ने शहर में सभी केबल ओपरेटरों को नोटिस जारी किए हैं कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का पालन करें या परिणाम भुगतें।

नोटिस में, एसडीएम ने सभी केबल ओपरेटरों को चेतावनी दी है कि स्थानीय केबल चैनल पर समाचार और विज्ञापन स्ट्रिप्स रीले करने से बाज़ आएँ जो अधिनियम का उल्लंघन है और उनसे कहा है कि स्ट्रिप्स को रीले करना तत्काल बंद कर दें। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 27 नवंबर, 2008)**

समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ जो फोटो छापना चाहती हैं उसमें आने वाले सिगरेट या तंबाकू के अन्य उत्पादों के ब्रांड नाम या लोगो को अब छिपाने या कतरने की ज़रूरत नहीं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में फ़िल्मों में धूम्रपान के दृश्यों से पाबंदी उठा ली है और स्वास्थ्य मंत्रालय के उस नियम को भी निरस्त कर दिया है जो सामचारपत्रों को सिगरेटों या तंबाकू के अन्य ब्रांडों को प्रदर्शित करने वाले फोटो छापने से रोकता था। चैन्नई आधारित प्रकाशक, कस्तूरी एंड सन्ज़ ने एक 'कारण बताओ' नोटिस के प्रति न्यायालय से संपर्क किया था जो मंत्रालय द्वारा उनके समाचार पत्र, *दि हिंदू*, में फ़ॉर्मूला वन रेस ड्राइवर की फोटो छापने के लिए जारी किया गया था जिसकी जैकेट पर सिगरेट कंपनी का लोगो था। इसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के नियम 4 (8) के अंतर्गत व्यावसायिक विज्ञापन माना गया था। जस्टिस एस. के. कौल ने कहा कि नियम 4 (8) के अंतर्गत समाचारपत्रों पर पाबंदी समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बीच भेद करती है, जो अनुचित है और प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करती है।

उन्होंने कहा, "नियम 4 (8) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए निर्धारित कसौटी प्रिंट मीडिया के लिए निर्धारित कसौटी से भिन्न है। इस प्रकार, फ़ॉर्मूला वन रेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्रत्यक्ष फ़ुटेज दिखा सकता है जिसमें विजेता कोई तंबाकू ब्रांड पहने हुए हो सकता है परंतु प्रिंट मीडिया उसी रूप मे विजेता की फोटो नहीं दिखा सकता। ऐसा भेद-भाव और फलस्वरूप प्रिंट मीडिया पर पाबंदी सर्वथा अनुचित है।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 2009)**

ईलियट लेन, कोलकाता के एक निवासी द्वारा शिकायत पर *दि स्टेट्समैन* के संपादक श्री रवींद्र कुमार और मुद्रक एवं प्रकाशक श्री आनंद सिन्हा को 11 फ़रवरी 2009 को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर भा.द.सं. की धारा 295 क (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए दुर्भावपूर्ण इरादे के साथ जान बूझकर कृत्य) और 34 (साँझे इरादे के साथ अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के अंतर्गत आरोप लगाए गए।

उन्हें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, श्री एस.एस. आनंद के सामने प्रस्तुत किया गया जिसने उन्हें ज़मानत दे दी। गिरफ़्तारी *दि स्टेट्समैन* द्वारा अपने 5 फ़रवरी के अंक में लंडन के *दि इंडिपेंडेंट* के जोहान्न हैरी के एक लेख के प्रकाशन के संबंध में थी।

यह पता चलने के बाद कि कोलकाता पुलिस द्वारा मामला रजिस्टर कर लिया गया है, *दि स्टेट्समैन* ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और उसके अन्वेषण में तथा शहर में तनाव को शांत करने के प्रयासों में मदद करने की पेशकश की। उसके बाद, 11 फ़रवरी को गिरफ़्तारियाँ की गईं। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 12 फ़रवरी, 2009)**

मीडिया अपडेट - भारत

पुरस्कार, प्रक्षेपण आदि

पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने 31 मार्च 2008 को उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी पुरस्कार 2007-08 *सीएनएन-आईबीएन* की रूपश्री नंदा को ग्रामीण भारत के वंचित और निरीह लोगों पर उनकी केंद्रित रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया। जूरी ने भारतीय पाठकों को चीन के भिन्न-भिन्न पहलुओं की झलकी दिखाने के लिए चीन में आधारित *दि हिंदू* की पल्लवी अय्यर और *दि हिंदू* की ही निरुपमा सुब्रमण्यम की कठिन परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तान से रिपोर्टिंग के लिए सराहना की। दि *ट्रिब्यून* में खोजपूर्ण लेखों के लिए अदिति टंडन की और *ईटीवी* की दीप्ति की भी प्रशंसा की गई। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 2008)**

प्रतीत होता है कि 70 वर्ष पूर्व जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए देश के एक प्राचीनतम समाचार पत्र *नेशनल हेराल्ड* के लिए परदा गिर गया है क्योंकि 1 अप्रैल 2008 से उसका प्रकाशन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए समाचारपत्र ने भारी वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में अपना प्रकाशन निलंबित किया है। 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में शुरू किया गया *नेशनल हेराल्ड,* लगभग दो दशक पहले तक एक अग्रणी दैनिक था, परंतु इधर उसे भारी हानि होने लगी थी। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2008)**

जामिया मिलिया इस्लामिया ने हाल में संस्कृति, मीडिया और शासन केंद्र (सीसीएमजी) खोला है जिसका उद्देश्य भारत तथा दक्षिण एशिया में अंतःशास्त्रीय अनुसंधान के एकीकरण और विकास को बढ़ाना है।

केंद्र का लक्ष्य है कि नए दृष्टिकोणों की जाँच तथा विकास में योगदान किया जाए, मीडिया अनुसंधान डाटा का एक अभिलेखागार बनाया जाए जो दक्षिण एशिया में अनुसंधानकर्ताओं के लिए और मीडियास्केपों तथा प्रदेशों में तुलनात्मक परिदृश्यों के लिए उपयोगी होगा। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 10 अप्रैल, 2008)**

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण भटनागर को एम.वी. कामथ की जगह प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 2 मई, 2008)**

दि हिंदुस्तान टाइम्स के एक वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक जी. दस्तीदार को पर्यावरण तथा सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उनके काम के लिए 2008 के 32वें मातृश्री मीडिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 5 मई, 2008)**

दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने एक संस्करण जयपुर ले जाकर जो वहीं छपता है और वहां के निवासियों की भावनाओं को निरूपित करता है, अपने राष्ट्रीय पदचिन्ह को बढ़ाने की दिशा में एक और भारी कदम उठाया है। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 5 मई, 2008)**

दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया की प्रगति गाथा जारी है। 35 लाख की बिक्री के साथ यह फ़ार्मेट, आकार तथा शैली की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी समाचारपत्र है और यह नए उपक्रम करता रहता है। एक कदम और बढ़ाकर *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* ने गोवा में अपना संस्करण शुरू किया है। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 7 मई, 2008)**

सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए 2008 का प्रेम भाटिया स्मारक पुरस्कार पाकिस्तान में *दि हिंदू* की संवाददाता निरुपमा सुब्रमण्यम को दिया गया। पर्यावरणी पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार बेंगलूर आधारित एक स्वतंत्र पत्रकार, केया आचार्य को दिया गया। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 9 मई, 2008)**

भारत के एक प्राचीनतम उर्दू दैनिक, *क़ौमी आवाज़,* ने अप्रैल में दिल्ली में प्रकाशन बंद कर दिया और इसके साथ ही उर्दू पत्रकारिता में एक शानदार अध्याय का अंत हो गया। *क़ौमी आवाज़* कोई साधारण समाचारपत्र नहीं था। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1945 में की गई थी, जो इसे स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रभावी वाहन बनाना चाहते थे। नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू प्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका को अच्छी तरह समझ लिया था। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 13 मई, 2008)**

एचटी मीडिया लि. ने 9 जून 2008 को कहा कि भारत में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए उसने जर्मन मीडिया समूह ह्यूबर्ट बुर्डा मीडिया के साथ एक उद्यम बनाया है ताकि यहाँ और शेष एशिया में बढ़ते हुए मीडिया प्लेटफ़ार्मों को काम में लाया जा सके।

इस संयुक्त उद्यम से बुर्डा का भारतीय बाज़ार में प्रवेश होता है जो संसार में एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मीडिया बाज़ार है। बुर्डा अपनी वैश्विक मुद्रण अपेक्षाओं का कुछ हिस्सा इस संयुक्त उद्यम से कराएगा। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2008)**

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने 12 जून 2008 को घोषणा की कि भारतीय जन संचार संस्थान को अंतरराष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में बदल दिया जाएगा। "योजना आयोग ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और मंत्रालय, संसद के एक अधिनियम द्वारा इस संस्थान को एक विश्वस्तरीय मीडिया शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान विश्व विद्यालय बनाने के लिए यत्नशील है। यह अधिक प्रशिक्षित और अर्हताप्राप्त व्यावसायिक उपलब्ध कराने के लिए मीडिया उद्योग की बढ़ती हुई माँग को पूरा करेगा।" **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 13 जून, 2008)**

अनुभवी पत्रकार एवं *दि इंडियन एक्सप्रेस* के पूर्व संपादक, बी.जी. वर्गीज़ और विख्यात असमिया विद्वान एवं वैष्णव कला के एक प्रतिपादक, केशवानंद देव गोस्वामी, को 13 जून 2008 को प्रतिष्ठित श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार प्रदान किया गया। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2008)**

प्रतिष्ठित गेरल्ड लोयब पुरस्कार दरभंगा, बिहार के श्री संजय झा को प्रस्तुत किया गया। श्री संजय इस पुरस्कार को जीतने वाला पहला भारतीय है। उसके तीन विदेशी सहायकों के साथ श्री झा को यह पुरस्कार टेलीविज़न डेली कैटेगरी में कार्यक्रम "इंडियाज़ प्रॉमिज़" के लिए दिया गया था। **(दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई, 2008)**

मुख्य मंत्री, शीला दीक्षित ने 12 जुलाई 2008 को भारतीय पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में विभिन्न पत्रकारों को पुरस्कार बाँटे। *दि ट्रिब्यून* के विशेष संवाददाता, रवि भाटिया को प्रिंट मीडिया में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पत्रकार का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार सूची में अन्य हैं : आजीवन उपलब्धि खेल पत्रकारिता पुरस्कार *टाइम्स ऑफ़ इंडिया* के केवल कौशिक को, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार (सर्वतोमुखी) *यूएनआई* के प्रकाश भार्गव को, सर्वश्रेष्ठ अपराध रिपोर्टर (पुरुष) *ज़ी टीवी* के नीरज ठाकुर को,सर्वश्रेष्ठ पत्रकार (महिला) सरिता बरारा को और सर्वश्रेष्ठ सामयिक विषय आलोचक करण थापर (आईटीवी) को। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 13 जुलाई, 2008)**

शलाका पुरस्कार मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित की उपस्थिति में कमानी ऑडिटोरियम में प्रतिष्ठित कवि, कुँवर नारायण द्वारा वरिष्ठ पत्रकार प्रभाश जोशी को दिया गया था। शलाका हिंदी अकादमी का उच्चतम पुरस्कार है। **(जनसत्ता, नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2008)**

340 टेलीविज़न चैनलों वाले देश में - 60 इसी वर्ष शुरू किये गये थे - ऑस्ट्रेलियाई मीडिया उद्योगपति रिपोर्ट मुर्डोच ने छह और शुरू करने की घोषणा की है।

अगले 24 महीनों में 420 करोड़ रुपए (100 मिलियन डॉलर) के निवेश के साथ मुर्डोच के न्यूज़ कॉर्प के स्वामित्व वाला *स्टार टीवी* प्रादेशिक चैनलों के अपने गुलदस्ते के प्रसार के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यू यॉर्क स्थित मल्टी-बिलियन डॉलर मीडिया समूह, न्यूज़कॉर्प, के अध्यक्ष ने कहा, "हम स्टार ब्रांड के अंतर्गत छह प्रादेशिक चैनलें स्थापित करने के लिए अगले 12 महीनों में भारत में 100 मिलियन डॉलर का निवेश करेंगे।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त, 2008)**

एनडीटीवी ने समाचार टेलीविज़न पुरस्कार 2008 में 25 पुरस्कार जीते हैं। एनडीटीवी ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अंग्रेज़ी समाचार चैनल के साथ वर्ष का नंबर एक हिंदी और व्यापार समाचार चैनल पुरस्कार जीता। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 2008)**

संजय नारायण ने *दि हिंदुस्तान टाइम्स* के प्रधान-संपादक का पद संभाल लिया है। वे *बिज़नस टुडे* से यहाँ आए हैं जिसका संपादन उन्होंने आठ से अधिक वर्षों तक किया। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त, 2008)**

जवाहरलाल नहेरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) एक मीडिया अनुसंधान केंद्र शुरू करने की योजना पर काम रहा है - देश में अपनी किस्म का पहला। मीडिया अनुसंधान केंद्र का प्रस्ताव

650 करोड़ रुपए की उस योजना का अंग है जो विश्वविद्यालय ने अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेजी है। जेएनयू के कुलपति ने बताया है, "आयोग की समीक्षा समिति पिछले सप्ताह विश्वविद्यालय में आई थी। समिति 13 नए स्कूलों तथा केंद्रों के लिए प्रस्तावों से खुश दिखाई दी जो जेएनयू शुरू करना चाहता है। मीडिया अनुसंधान केंद्र उनमें से एक है और आशा है कि इसे उनकी स्वीकृति मिल जाएगी।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2008)**

कोलकाता ने प्रतिष्ठित उद्योगपति, पूर्व राज्य सभा सदस्य और हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लि. के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार बिड़ला को 29 अगस्त 2008 को अश्रुपूर्ण विदाई दी। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2008)**

इंदिरा गांधी और दो अन्य प्रधान मंत्रियों के सर्वतोमुखी मीडिया सलाहकार और प्रकांड विद्वान, एच.वाई. शारदा प्रसाद की 2 सितंबर 2008 को मृत्यु हो गई। वे अपने स्तभों में अपने तीक्ष्ण लेखन के लिए विख्यात थे। 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में उन्हें राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला था। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 3 सितंबर, 2008)**

चौ. किरोन, प्रबंध निदेशक, ऊषोदय एन्टरप्राइज़िज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो एक तेलुगु दैनिक समाचारपत्र, *ईनाडु* प्रकाशित करता है, को 2008-2009 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ़ सर्कुलेशन (एबीसी) का अध्यक्ष चुना गया। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 16 सितंबर, 2008)**

दिल्ली पत्रकार संघ (डीयूजे) को आगामी वर्ष में अनुसंधान तथा प्रकाशनों के लिए अपने दिल्ली मीडिया केंद्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 का अप्पन मेनन स्मारक पुरस्कर दिया गया है।

ट्रस्ट के अनुसार, डीयूजे को पुरस्कार प्रकाशन तैयार करने और फ़िल्म शो, प्रदर्शनियों, विख्यात पुरुषों के सार्वजनिक भाषणों जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलाने का काम जारी रखने के लिए दिया गया है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 18 सितंबर, 2008)**

बंबई समाचार साप्ताहिक के होरमुसजी एन. कामा को 2008-09 के लिए भारतीय समाचारपत्र सोसायटी (आईएनएस) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

विमेन्ज़ ईरा के पारेश नाथ, *डेक्कन क्रॉनिकल* के टी. वेंकटराम रेड्डी और *हिंदुस्तान टाइम्स* (पटना) के राकेश शर्मा को क्रमशः उपाध्यक्ष, वाइस अध्यक्ष और मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। **(दि डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूर, दिनांक 20 सितंबर, 2008)**

असम सरकार ने राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिष्ठित फ़ख़रुद्दीन अली अहमद पुरस्कार *दि इंडियन एक्सप्रेस* के प्रधान संपादक, शेखर गुप्ता को और अभिनेत्री शाबाना आज़मी को देने का

निर्णय लिया है। यह पुरस्कार असम सरकार द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति के जन्म शती आयोजन के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया था और गुप्ता को 2006 के लिए तथा आज़मी को 2007 के लिए दिया जाएगा। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 28 सितंबर, 2008)**

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 16 अक्तूबर 2008 को एक समारोह में विभिन्न व्यवसायों के 22 लोगों को नागरिक पत्रकार पुरस्कार दिए।

आईबीएन नेटवर्क द्वारा नागरिक पत्रकार पुरस्कार उन नागरिकों को दिए जाते हैं जो निडर होकर रिपोर्टिंग करते रहे हैं और बेहतर कल के लिए तंत्र में परिवर्तन करते रहे हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर, 2008)**

दि ट्रिब्यून, देश का एक अत्यंत स्वतंत्र समाचार पत्र, एक अन्य संस्करण शुरू कर रहा है : इस बार देहरादून के प्रसिद्ध नगर से। 19 अक्तूबर 2008 को शुरू किया जाने वाला देहरादून संस्करण नगर के और आसपास के प्रदेश के पाठकों की चिरकाल से चली आ रही ज़रूरत को पूरा करेगा। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 20 अक्तूबर, 2008)**

पी.आर. दासमुंशी की अस्वस्थता के दौरान, जो दिल के दौरे के बाद अस्पताल में है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास रहेगा। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सिंह आई एंड बी का प्रभार तब तक संभालेंगे जब तक दासमुंशी, 62, काम संभालने के योग्य न हो जाएँ। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 12 नवंबर, 2008)**

पत्रकारिता, साहित्य, कला, संगीत और सामाजिक कार्य से उभरती हुई प्रतिभाओं को 14 नवंबर 2008 को संस्कृति पुरस्कार 2008 बाँटे गए।

सभी पाँच पुरस्कार महिलाओं को मिले। *हिंदुस्तान टाइम्स* मुंबई की संवाददाता, चित्रांगदा चौधरी को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वालों में वह सबसे कम आयु की भी थी।

इंद्रजीत नंदन को साहित्य के लिए, रंजनी शेट्टर को कला के लिए और दो बहनों रंजनी तथा गायत्री को संगीत के लिए पुरस्कार मिला। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 15 नवंबर, 2008)**

राजदीप सरदेसाई, प्रमुख संपादक, आईबीएन नेटवर्क को सर्वसम्मति से भारतीय संपादक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने आलोक मेहता, मुख्य संपादक, नई दुनिया का स्थान लिया है। 19 नवंबर 2008 को हुई संघ की वार्षिक साधारण बैठक में, के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति, आवासी संपादक, *मलयाला मनोरमा* और *दि वीक* को पुनः महासचिव चुना गया। रोहित बंसल, वरिष्ठ संपादक और सीओओ, *इंडिया टीवी* को कोषाध्यक्ष चुना गया। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 20 नवंबर, 2008)**

पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दि प्रभादत्त फ़ेलोशिप - 2008 की घोषणा राजधानी में एक उत्सव में की गई थी। फ़ेलोशिप स्तंभकार एवं लेखिका, सेवंती नीनन द्वारा रांची की एक रिपोर्टर अनुपमा कुमारी को दी गई थी। अनुपमा ने "बाढ़ नियंत्रण की मरीचिका : झूठे वायदे, संदिग्ध इरादे, (बिहार और नेपाल में कोशी परियोजनाएँ)" पर अपनी प्रस्तावित परियोजना के बारे में चर्चा की। यह फ़ेलोशिप 25 से 40 के आयु वर्ग में समर्पित महिला पत्रकारों को सार्थक परियोजनाएँ चलाने के लिए प्रोत्साहन हेतु है, अंग्रेज़ी, हिंदी या किसी प्रादेशिक भाषा में किसी पुस्तक पर अनुसंधान सहित। यह केवल प्रिंट पत्रकारों के लिए **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसंबर, 2008)**

जम्मू और कश्मीर से तीन युवा पत्रकारों - नुसरत आरा, तनवीन कावूसा और दीपिका थुस्सू - को संजय घोष मीडिया फ़ेलोशिप पुरस्कर 2008-09 दिया गया है। यह फ़ेलोशिप पत्रकारों को उस समाज में तृणमूल रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्दिष्ट है जिसने खलबली का सामना किया है और सकारात्मक परिवर्तन चाहता है। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 14 दिसंबर, 2008)**

भारत की सिलिकॉन घाटी में पहले से संकुल अंग्रेज़ी समाचारपत्र बाज़ार में 14 दिसंबर 2008 को *डीएनए* समाचारपत्र के बेंगलूर संस्करण का प्रकाशन शुरू हुआ।

यदि इस नए समाचारपत्र के प्रवर्तन संस्करण को देखा जाए, तो नया समाचारपत्र सुस्थापित समाचारपत्रों को कड़ी चुनौती देने वाला है। *दैनिक भास्कर* और *ज़ी ग्रुप* के संयुक्त स्वामित्व वाले, बेंगलूर में लॉन्च किए गए इस पूरे रंगीन समाचारपत्र की संकल्पना तब की गई थी जब अर्थव्यवस्था तेज़ी के चरण में थी, परंतु इसका प्रवर्तन तब हुआ जब भारत की अर्थव्यवस्था भारी मंदी से गुज़र रही है। मज़े की बात है कि बेंगलूर से प्रकाशित सबसे पुराने अंग्रेज़ी समाचारपत्र, *डेक्कन हेराल्ड,* ने 14 दिसंबर 2008 को घोषणा की, कि वह अपने सभी पृष्ठों को रंगीन कर देगा।

प्रतिष्ठित *दि हिंदू* भी शीघ्र ही सभी रंगीन पृष्ठों के बारे में सोच रहा है जब उनका नया प्रिंटिंग प्रेस काम करने लगेगा। **(दि पॉयनियर, नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसंबर, 2008)**

मीडिया पुरुष और एनडीटीवी अध्यक्ष, प्रणय राय को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए केरल आधारित मीडिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित थोप्पिल गोपालकृष्णन स्मारक पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉ. राय को भारतीय पत्रकारिता में उनके विशिष्ट योगदान के लिए केरल शिक्षा मंत्री, एम.ए. बेबी की अध्यक्षता में छह सदस्यों की एक ज्यूरी द्वारा चुना गया था। *दि हिंदू* की पार्वती मेनन और *मुंबई मिरर* के सेबस्टेन डीसूजा को विशेष ज्यूरी पुरस्कारों के लिए चुना गया है। सुश्री मेनन को आदिवासी ईसाइयों पर हमले के दौरान उड़ीसा के कंढामल ज़िले में एक नन पर बलात्कार का भेद खोलने के लिए चुना गया है और श्री डीसूज़ा को मुंबई हमलों पर उनके चित्रों के लिए। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी, 2009)**

दि हिंदुस्तान टाइम्स की वरिष्ठ रिपोर्टर, जया शरॉफ़ ने "आज की दासता, विशेष रूप से बाल दासता और अवैध व्यापार, के उन्मूलन में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान" के लिए बचपन बचाओ आंदोलन का बूमदास पुरस्कार 2009 जीता। एक समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.के. शर्मा ने पुरस्कार दिया और बाल श्रम का अंत करने के लिए काम कर रहे छह अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 2009)**

एचटी मीडिया ग्रुप के हिंदी दैनिक, हिंदुस्तान ने अपना इलाहाबाद संस्करण शुरू किया, उ.प्र. में छठा। देश के तीसरे सबसे बड़े दैनिक समाचारपत्र, हिंदुस्तान के बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ में संस्करण हैं। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2009)**

दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने अंग्रेज़ी भाषा को सरल और प्रभावी प्रयोग के लिए संसार का एक प्रमुख मीडिया पुरस्कार जीता है। ब्रिटेन का प्लेन इंग्लिश कैम्पेन इन्टरनेशनल मीडिया पुरस्कार 2008 *दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया* को "सारे भारत में अपनी प्रेस कवरेज के भीतर सादा अंग्रेज़ी की जागरूकता पैदा करने में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाने" के लिए दिया गया था। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 13 फ़रवरी, 2009)**

श्री आलोक मेहता, मुख्य संपादक, *नई दुनिया* को हिंदी पत्रकारिता में उनके भव्य योगदान के लिए राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया। **(नई दुनिया, नई दिल्ली, दिनांक 13 फ़रवरी, 2009)**

पूर्व विदेश सचिव, कोकिला अय्यर को नई चैनलों के लिए आचार और प्रसारण मानकों की संहिता को लागू करने के लिए स्थापित नए प्रसारण मानक (विवाद निवारण) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री अय्यर, पहली महिला विदेश सचिव को "प्रतिष्ठित व्यक्ति" कोटि के अंतर्गत प्राधिकरण में नियुक्त किया गया है। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 20 फ़रवरी, 2009)**

केंद्र ने जस्टिस गुरबख़्श राय मजीठिया को श्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्रों के अन्य कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मज़दूरी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2009)**

दि इंडियन एक्सप्रेस, अहमदाबाद की सहायक संपादक, आयेशा ख़ान को इस वर्ष के दृष्टि मीडिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2009)**

यू.के. आधारित एक पत्रिका द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) को "वर्ष की समाचार एजेंसी" घोषित किया गया है। विजेता का निर्णय पत्रिका की वेबसाइट पर उसके पाठकों के मतदान के आधार पर किया गया था। द्विभाषी साप्ताहिक, *एशियन वॉयस* के प्रकाशक सी.बी.

पटेल ने बताया कि पीटीआई को उसकी समग्र निष्पादकता के आधार पर चुना गया था। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2009)**

2008 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया परसन का चमेली देवी जैन पुरस्कार दि हिंदू की इस्लामाबाद संवाददाता, निरुपमा सुब्रमण्यन को और इन्टेलिजेंट पुणे की संपादक विनीता देशमुख को 27 मार्च 2008 को दिया गया। सुश्री सुब्रमण्यन को जटिल एवं नाज़ुक वातावरण में उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारिता के प्रति उनके समर्पण के लिए चुना गया था। सुश्री देशमुख को उनके अभियानों के लिए पुरस्कार दिया गया है जो सत्य और जन कल्याण के हित में साहस और धैर्य का परिचय देते हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2009)**

भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया

संयुक्त राज्य अमरीका

7 अप्रैल 2008 को पत्रकारिता के लिए 92वें पुलिट्ज़र पुरस्कारों में छह पुरस्कार जीत कर *दि वाशिंगटन पोस्ट* छाया रहा, दि वाल्टर रीड सैन्य चिकित्सा केंद्र, यूएस में निम्नस्तरीय परिस्थितियों को उजागर करने वाली उसकी शृंखला के लिए प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार सहित।

दि पोस्ट को विभिन्न विषयों की कवरेज के लिए सम्मान मिला यथा इराक़ में निजी सुरक्षा ठेकेदार, वाशिंगटन के एक सब-वे स्टेशन में किसी वायलन कलाविज्ञ का विसंगत (और अधिकांशतः उपेक्षित) प्रदर्शन, और यूएस उप-राष्ट्रपति डिक चेनी का अपने अधिकरों का निजी तौर पर प्रयोग।

समाचारपत्र उद्योग राजस्व की हानि और पाठकों के इन्टरनेट में चले जाने से भ्रमित था, वहीं *पोस्ट* के पत्रकारों ने सामचारपत्र के अनेक पुरस्कारों को हठी रिपोर्टिंग तथा कलात्मक लेखन के सतत मूल्य की पुष्टि के रूप में देखा। *पोस्ट* के स्टाफ़ लेखक और ब्लॉगर, जोएल एचनबाच ने 7 अप्रैल 2008 को समाचारपत्र की वेबसाइट पर लिखा था, "मौलिक रिपोर्टिंग का महत्त्व अब भी है।" अन्य विजेता थे - दि *न्यूयॉर्क* टाइम्स, जिसे विदेशी आयात पर अन्वेषणात्मक रिपोर्टिंग के लिए और *डीएनए* के बारे में व्याख्यात्मक पत्रकारिता के लिए पुरस्कार मिले, और *इन्वेस्टर्ज़ बिज़नस डेली।* मेरीना डेल रे, कैलिफ़ोर्निया के निकट आधारित वित्तीय समाचारपत्र ने माइकल रैमिरेज़ की संपादकीय कार्टूनिंग के लिए अपना पहला पुलिट्ज़र लिया। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल, 2008)**

चर्चा में शामिल लोगों के अनुसार, रूपर्ट मुर्डोक की न्यूज़ कॉर्पोरेशन याहू के लिए उसकी प्रतिस्पर्धी बोली में शामिल होने के बारे में माइक्रोसॉफ़्ट से बातचीत कर रही है। याहू, माइक्रोसॉफ़्ट के एमएसएन और न्यूज़ कॉर्पोरेशन के माइस्पेस के मिलने से बना यह संगठन एक विशालकाय पशु की रचना करेगा जो इन्टरनेट भूदृश्य को उलट देगा।

यह बातचीत दो महीने लंबी अधिकरण कथा में एक विस्मयकारी मोड़ है जो उस समय शुरू हुई थी जब माइक्रोसॉफ़्ट ने याहू के लिए 44.6 बिलियन डॉलर की बोली लगाई थी।

याहू ने माइक्रोसॉफ़्ट के प्रस्ताव का प्रतिरोध किया है और कहा है कि जब तक माइक्रोसॉफ़्ट अपनी पेशकश नहीं बढ़ाता, तब तक वह बातचीत नहीं करेगा।

यदि न्यूज़ कार्पोरेशन अपना भार माइक्रोसॉफ्ट की पेशकश के पीछे डाल दे, तो माइक्रोसॉफ़्ट अपनी बोली बढ़ा सकेगा और याहू तथा उसके शेयरधारकों पर और अधिक दवाब पड़ेगा। साथ ही, माइक्रोसॉफ़्ट और न्यूज़ कार्पोरेशन के मिल जाने से याहू के लिए संभावित विकल्प नहीं रहेगा और उसके पास माइक्रोसॉफ़्ट के चंगुल से बचने के बहुत कम अवसर रह जाएँगे। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2008)**

एक मंजिल पर अमरीकी पत्रकारों द्वारा बलकान्ज़ में प्रयुक्त गोलियों से विक्षत कार है। एक अन्य मंजिल पर वह फ़ोन है जिसका प्रयोग रूपर्ट मुर्डोच मल्टीबिलियन डॉलर के मीडिया सौदों के लिए किया करता था।

और बीच में बर्लिन दीवार का बचा हुआ एक विशालतम खंड है और 9/11 के आक्रमण के कम्यूनिकेशन टावर के क्षत विक्षत अवशेष।

यह पत्रकारिता को समर्पित विश्व का नवीनतम और सबसे महँगा संग्रहालय है जो 11 अप्रैल 2008 को वाशिंगटन में खुला था। 450 मिलियन डॉलर (225 मिलियन पौंड) का यह संग्रहालय, जिसे संस्थापकों ने न्यूज़ियम का नाम दिया है, अमरीका में और विश्व भर में पत्रकारिता का अनुष्ठान है, जो मुख्यतः 20वीं और 21वीं शताब्दियों पर केंद्रित है।

धुंधली दीवारें उन पत्रकारों को समर्पित हैं जिन्होंने समाचार एकत्र करने में अपनी जानें गँवा दीं और विवर्ण नक्शे संसार के उन हिस्सों को दर्शाते हैं जहाँ स्वतंत्र प्रेस नहीं है।

चुपके से पूर्व दर्शन पाने वाले पत्रकारों ने प्रशंसा की है किंतु संकोच के साथ। *वाशिंगटन पोस्ट* के लिए लिखने वाले यूएस के एक मीडिया टीकाकार, होवर्ड कुट्र्ज ने छह-मंज़िला भवन का वर्णन अपने में वास्तुकला के एक आश्चर्यजनक नमूने, कांग्रेस के निकट, राजधानी की सांस्कृतिक संस्थाओं में एक उत्तम वृद्धि के रूप में किया है।

ब्रिटिश प्रेस को समर्पित संग्रहालय का सबसे बड़ा भाग 'कामुकता, अपराध, चुगलखोरी' नामक खंड के अंतर्गत है, और मुख पृष्ठ दि *सन* और *मिरर* से लिए गए हैं।

इस संग्रहालय का सुझाव फ़्रीडम फ़ाउन्डेशन का था जो मुक्त भाषण के प्रोत्साहन को समर्पित एक निर्लाभ संगठन है। **(डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूर, दिनांक 13 अप्रैल, 2008)**

यूएस केबल ओपरेटर केबलविज़न, मीडिया ग्रुप ट्रिब्यून कंपनी से 650 मिलियन डॉलर के एक सौदे में *न्यूयॉर्क डेली न्यूज़डे* खरीद रहा है, यह कंपनियों ने 12 मई 2008 को घोषित किया।

समझौते की शर्तों के अनुसार, केबलविज़न सिस्टम्ज़ कार्पोरेशन 632 मिलियन डॉलर में न्यूज़डे मीडिया ग्रुप का लगभग 97 प्रतिशत अधिग्रहण करेगा। यह सौदा ट्रिब्यून कंपनी के साथ भागीदारी में किया जा रहा है, जिसकी *न्यूज़डे* में तीन प्रतिशत इक्विटी होगी। ट्रिब्यून के मीडिया साम्राज्य में यूएस के प्रमुख समाचारपत्र *दि लॉस एन्जेलस टाइम्स* और *दि शिकागो ट्रिब्यून* शामिल हैं। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 13 मई, 2008)**

टाइम वार्नर इंक और टाइम वार्नर केबल इंक ने कहा है कि वे दो कंपनियों में बँट जाएँगे और टाइम वार्नर केबल के शेयरधारकों को एकबारगी 10.9 बिलियन डॉलर के लाभांश का भुगतान करेंगे। यह प्रस्ताव टाइम वार्नर के निवेशकों से इस दबाव के बाद आया कि इसे एक शुद्ध मीडिया विषय की कंपनी के रूप में चलाया जाए और इसके स्टॉक की कीमत की रक्षा की जाए। टाइम वार्नर केबल का 10.27 डॉलर प्रति साधारण शेयर का एकबारगी लाभांश, पृथकन के पूरा होने से पहले तत्काल देय होगा। टाइम वार्नर को इस लाभांश के 9.25 बिलियन डॉलर मिलेंगे। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 22 मई, 2008)**

चिकित्सा अनुसंधान पर अधिकांश मीडिया कवरेज अज्ञानता, संवेदनवाद और अध्ययन को सनसनीख़ेज बनाने पर उत्सुक वैज्ञानिकों, रिपोर्टरों तथा पत्रकारों के बीच एक अंतःसंबंध द्वारा बिगाड़ दी जाती है। मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ जर्नलिज़म के गैरी श्विट्ज़र द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसी रिपोर्टें लागतों, हानियों, लाभों, साक्ष्य की गुणता, और उपचार के अन्य विकल्पों पर ध्यान नहीं दे पातीं। परियोजना ने अधिकतम बिक्री वाले 50 शीर्षस्थ अमरीकी दैनिकों और तार सेवाओं द्वारा कवरेज को मॉनीटर किया। इसमें शामिल थेः *एसोसिएटिड प्रेस;* टाइम, *न्यूज़वीक*, तथा *यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट* और *एबीसी, सीबीएस* तथा *एनबीसी* टेलीविज़न नेटवर्क आदि। श्विट्ज़र ने दो वर्षों के दौरान प्रकाशित या प्रसारित 500 यूएस स्वास्थ्य समाचार कथाओं के लिए रेटिंग की समीक्षा की और उनमें से 62 से 77 प्रतिशत को दोषपूर्ण पाया। श्विट्ज़र ने कहा, "ख़राब और अपर्याप्त रिपोर्टिंग इन स्वास्थ्य समाचार विषयों पर समाचार मीडिया से यूएस के उपभोक्ताओं को मिलने वाली जानकारी की गुणता के बारे में महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 29 मई, 2008)**

बुरे समाचार में प्लावित किसी उद्योग के लिए भी, यूएस समाचारपत्र व्यवसाय हाल की स्मृति में अपनी एक अत्यंत गंभीर छँटनी के दौर से गुज़रा। आधा दर्जन समाचारपत्रों ने कहा कि वे वेतन-पत्रक बहुत घटा देंगे, एक ने कहा कि वह अपना सारा मुद्रण बाहर से कराएगा, और देश में एक सबसे बड़े प्रकाशक, ट्रिब्यून कंपनी ने कहा कि शायद वह शिकागो में अपना मूर्तिपरक मुख्यालय टावर और वह भवन जिसमें *लॉस एन्जेलस टाइम्स* है, बेच देगी।

हाल के महीनों में समाचारपत्र व्यवसाय में तीव्र और व्यापक पतन ने अत्यंत निराशावादी वित्तीय विश्लेषकों को भी विस्मय में डाल दिया है। उनमें से अनेक ने कहा है कि यह बताना बहुत कठिन है कि अवपात कहाँ तक जाएगा। पिछले सप्ताह ही, ट्रिब्यून के दो समाचारपत्रों *दि हार्टफ़ोर्ड कूरांट* और *दि (बाल्टीमोर) सन* में और फ़्लोरिडा में *दि पाम बीच पोस्ट* तथा दि *डटोना*

बीच-जर्नल में भी स्टाफ़ में भारी कटौती की घोषणा की गई, जबकि *डेट्रॉयट न्यूज़* और *डेट्रॉयट फ़्री प्रेस* ने कहा कि वे बाई-आउट के माध्यम से अपने संयुक्त प्रचालन में कर्मचारियों में 7 प्रतिशत की कमी करने की आशा करते हैं। द *बोस्टन हेराल्ड* ने कहा कि मुद्रण का काम बाहर दे देने से लगभग 160 कर्मचारी निकाल दिए जाएँगे, और अपने कार्य सुरक्षा वचन की शर्तों को स्पष्ट करते हुए नेवार्क, न्यू जर्सी में दि *स्टार-लेजर* ने कहा कि वह घाटे में चल रहा है। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 2008)**

जब मार्च में *दि मियामी हेराल्ड* ने ब्रेडन सिम्स को पूर्णकालिक कॉपी संपादक के रूप में रखा था तो उसने सोचा था कि नया पद उसके लिए काम की नई सुरक्षा है। यह उसकी भूल थी। मध्य जून में उसे पता चला कि उसका काम माइंड वर्क्स ग्लोबल मीडिया को दे दिया गया है, एक नोएडा आधारित फ़र्म जो अमरीकी पत्रकारिता के काम क्रमशः भारत में ला रही है। अमरीकी समाचारपत्रों के साथ भागीदारी करने वाली भारतीय कंपनियाँ अब केवल विज्ञापनों तक सीमित नहीं हैं और उन्हें संपादन का काम भी मिल सकता है। एडमॉन्ड्स ने कहा है, "राजस्व से इतना गिर जाने के बाद, समाचारपत्र अपने समाचार स्टाफ़ में उससे अधिक कटौती नहीं करना चाहते जो नितांत आवश्यक है, विशेषतः रिपोर्टरों के मामले में।" आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति निश्चय ही पनप रही है। यह माइन्ड वर्क्स जैसी कंपनियों के लिए शुभ लक्षण है जिसने पिछले वर्ष में अपना स्टाफ़ 35 से बढ़ाकर 100 कर लिया है। इसी प्रकार, गुड़गाँव आधारित एक्सप्रेस केसीएस में पिछले डेढ़ वर्ष में कर्मचारियों की संख्या 20 से बढ़कर 400 हो गई है। फ़र्म अपने ग्राहकों में अमरीकी समाचारपत्रों की शृंखला को गिन रही है, मक् क्लैची और मीडिया न्यूज़ ग्रुप सहित। अभी तक इसने किसी अमरीकी समाचारपत्र के लिए संपादन का काम शुरू नहीं किया, परंतु मुख्य प्रचालन अधिकारी, तारीक़ हुसैन का कहना है कि सात-आठ समाचारपत्रों के साथ कपंनी की बातचीत चल रही है।

एक्सप्रेस केसीएस में संपादक प्रायः भारतीय प्रकाशनों से लिए गए पत्रकार होते हैं। कंपनी उन्हें अमरीकी संपादन मानकों से अवगत करा देती है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई, 2008)**

एक सर्वेक्षण के अनुसार, कम अमरीकी समाचारपत्र पढ़ते हैं और अपने समाचार ऑन-लाइन ले लेते हैं, परंतु टेलीविज़न देश में समाचार का मुख्य स्रोत बना हुआ है। 18 अगस्त 2008 को मोचित सामचार उपभोग आदतों पर पेव अनुसंधान केंद्र के द्विवार्षिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोई विस्मय नहीं, युवा लोग अपने अधिकतर समाचार इन्टरनेट से लेते हैं, जबकि वृद्ध लोग टेलीविज़न तथा समाचारपत्रों के पारंपरिक साधनों का प्रयोग करते हैं।

पेव ने कहा है कि परिणाम ऑन-लाइन समाचार उपभोग की ओर अधिक रुझान दिखाते हैं, परंतु अब अधिक व्यस्त, शिष्ट तथा संपन्न लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या अपने समाचार लेने के लिए पारंपरिक और ऑन-लाइन दोनों स्रोतों का प्रयोग करती है।

पेव ने पाया कि समाचार उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा समूह - मत देने वालों का 46 प्रतिशत - दिन में हर समय अपने समाचारों के लिए टेलीविज़न पर "भारी भरोसा" करता है। यह समूह बड़ी आयु वालों का है, मध्यम आयु 52 वर्ष, और सबसे कम संपन्न, 43 प्रतिशत बेरोज़गार।

कुल मिलाकर, अपने कुछ समाचार टीवी से लेने वालों में, सायंकालीन नेटवर्क समाचार प्रसारण देखने वाले कम हैं और केबल समाचार स्रोतों को पसंद करते हैं यथा सीएनएन या फ़ॉक्स समाचार चैनल। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2008)**

इलेक्ट्रॉनिक समाचारपत्र की कल्पना तो अभी सपना ही है, परंतु प्लास्टिक लॉजिक एक इलेक्ट्रॉनिक समाचारपत्र रीडर का अपना रूप 8.9.2008 को जनता के सामने लाएगा : प्लास्टिक की एक हल्की स्क्रीन जो देखने में मुद्रित समाचारपत्र जैसी है लेकिन छूने में नहीं। अभी तक बिना नाम का यह साधन उसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है जो सोनी रीडर तथा एमेज़न काम का किंडल करते हैं, ई इन्क कार्पोरेशन द्वारा विकसित एक बिल्कुल स्पष्ट श्वेत-श्याम प्रदर्शन। वैसे तो ये दोनों साधन मूलतः बुक रीडरों के रूप में उद्दिष्ट हैं, फिर भी प्लास्टिक लॉजिक के साधन, जिसे सैन डिएगो में एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी व्यापार प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा, की स्क्रीन एक कॉपियर पेपर के आकार के दुगने से भी अधिक बड़ी है। इसे एक बेतार के संपर्क द्वारा अद्यतन किया जा सकता है, और यह समाचारपत्रों, पुस्तकों तथा प्रलेखों के सैकड़ों पृष्ठों को भंडारित और प्रदर्शित कर सकता है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 9 सितंबर, 2008)**

इन्टरनेट खोज नेता ने 8.9.2008 को कहा कि गूगल ने दर्जनों ऐतिहासिक समाचारपत्रों के अंकीकरण और ऑन-लाइन उपलब्ध मूल कागज़ात की क्रमवीक्षित छवियाँ बनाने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। गूगल ने कहा कि सिलिकॉन घाटी स्थित कंपनी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट में वह समाचार पुरालेखों के लाखों पृष्ठों के अंकीकरण के लिए समाचारपत्र प्रकाशकों के साथ भागीदारी करके पुराने समाचारपत्रों को ऑन-लाइन उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।

इस प्रयास में दर्जनों समाचारपत्र शीर्षकों के पुरालेख निहित हैं और यह गूगल समाचार अभिलेख में पुराने पत्रों की सूची बनाने के लिए यूएस के दो प्रमुख समाचार पत्रों - *दि न्यूयॉर्क टाइम्स* और *वाशिंगटन पोस्ट* - के साथ दो वर्ष पुराने प्रयास पर फैला हुआ है। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 10 सितंबर, 2008)**

यूएस *पत्रिका एस्क्वायर* ने अनेक देशों में प्रिंट मीडिया में छाई हुई उदासी को दूर करने के लिए एक वास्तविक पहल प्रकट की है; अंशतः इलेक्ट्रॉनिक स्याही का एक कवर।

इस अभिनवता ने पत्रिका संसार में जोश भर दिया है जो बिक्री में तथा विज्ञापन से राजस्व में कमी के साथ संघर्ष कर रहा है क्योंकि पाठक इन्टरनेट की ओर जाने लगे हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 11 सितंबर, 2008)**

केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि यूएस का समाचारपत्र उद्योग भी इन दिनों कठिन दौर से गुज़र रहा है। बिक्री में कमी, विज्ञापनों से राजस्व में ह्रास, इन्टरनेट संस्करण का विकास और न्यूज़-प्रिंट का बढ़ता हुआ दाम - सबने मिल कर उनके लाभ पर दबाव डाला है। सर्वोत्तम और सुस्थापित यूएस समाचारपत्र भी परेशानी अनुभव कर रहे हैं।

इस दबाव से निपटने के लिए, अधिकांश समाचारपत्रों ने लागत कम करने के तरीके अपनाए हैं। वैश्विक कवरेज कम करना, पृष्ठों की संख्या घटाना, संसाधनों को सुकर बनाना और अतिरिक्त नौकरियों को काटना - वे आगे बने रहने के लिए हर उपाय कर रहे हैं। अब उद्योग, लागत कम करने के लिए कुछ काम देश से बाहर भेजने पर भी विचार करने लगा है। यह प्रवृत्ति कुछ वर्ष पहले शुरू हो गई थी, जब कुछ यूएस आधारित समाचारपत्रों ने अपना संपादकीय कार्य भारत में भेजा। अगले पाँच वर्षों में इस प्रवृत्ति के वेग पकड़ने की आशा है। पुणे आधारित अनुसंधान फ़र्म, वेल्यू नोट्स, द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, समाचारपत्र प्रकाशकों (यूएस और यूके दोनों सहित) से काम को विदेशों में भेजने के अवसर लगभग 3.5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 23 सितंबर, 2008)**

यूएस समाचारपत्र *दि क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर* 100 वर्ष के बाद एक दैनिक के रूप में अपना प्रकाशन बंद कर रहा है, बढ़ती हुई लागत और प्रिंट की घटती हुई बिक्री का सामना करने के लिए अपना मुद्रण घटा कर यूएस में उच्चतम प्रोफ़ाइल वाला राष्ट्रीय नाम बन जाएगा। सीएसएम ने 28 अक्तूबर 2008 को घोषणा की कि अगले वर्ष अप्रैल से वह सभी नए समाचार एक 24/7 वेब ओपरेशन में डाल देगा, यद्यपि एक नई 'संडे' पत्रिका के रूप में वह प्रिंट में बना रहेगा।

सीएसएम के संपादक जॉन येम्मा ने कहा कि नया मॉडल प्रकाशन को अपने आठ अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो रखने देगा और फिर भी बचत करेगा। **(डेक्कन हेराल्ड, बेंगलूर, दिनांक 30 अक्तूबर, 2008)**

विज्ञापन से घटती हुई आय और बढ़ते हुए ऋण के कारण यूएस मीडिया गहरे वित्तीय संकट में पड़ गया है। दो अत्यंत लोकप्रिय दैनिकों, *दि लॉस एन्जेलस टाइम्स* और *दि शिकागो ट्रिब्यून* के प्रकाशक ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। *दि न्यूयॉर्क टाइम्स* मनहट्टन नगर में अपने मुख्यालय पर 225 मिलियन डॉलर का ऋण ले रहा है। लोक प्रिय *मियामी हेराल्ड* को उसका स्वामी बेच रहा है और एक लोकप्रिय समाचार चैनल, सीबीएस का शेयर हाल के सप्ताहों में घट कर 5 डॉलर से नीचे चला गया है। अधिकांश अमरीकी मीडिया बाज़ार अब जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने व्यय में भारी कटौती की है जिसके फलस्वरूप, हाल के महीनों में, मुख्यधारा मीडिया में सैकड़ों पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। किसी समय पनप रहे यूएस मीडिया पर छाने वाले संकट के नवीनतम संकेत के रूप में ट्रिब्यून कंपनी ने - जिसके 23 टेलीविज़न स्टेशन और 12 समाचारपत्र हैं, उसके फ़्लैगशिप *लॉस एन्जेलस टाइम्स* और *दि शिकागो ट्रिब्यून* सहित - 8 दिसंबर 2008 को घोषणा की है कि उसने

दीवालियापन के लिए आवेदन किया है। कहा जाता है कि कंपनी की लगभग 7.6 बिलियन डॉलर की संपत्तियों की तुलना में लगभग 13 बिलियन डॉलर का ऋण है। ट्रिब्यून सीईओ, साम ज़ेल ने 8 दिसंबर 2008 को एक वक्तव्य में कहा, "दुर्भागयवश, हमारे नियंत्रण से बाहर के कारकों ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है - राजस्व में तीव्र ह्रास, कड़ी अर्थव्यवस्था और ऊपर से उधार के संकट ने ऋण को संभालना अत्यंत कठिन कर दिया है।"

अमरीकी समाचारपत्र एसोसिएशन द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष की तीसरी तिमाही में समाचारपत्रों के विज्ञापनों से राजस्व 2 बिलियन डॉलर घट गया है, 18.1 प्रतिशत की भारी कमी। उसमें कहा गया है कि दूसरी तिमाही का ऑन-लाइन विज्ञापन राजस्व भी निरंतर घटा। 17 सदस्यों वाली कॉक्स समाचारपत्र शृंखला ने घोषित किया है कि वह अपना वाशिंगटन ब्यूरो बंद कर रही है और अब समाचार एजेंसियों पर निर्भर करेगी। स्वतंत्र रूप से चालित मिलवॉकी जर्नल-सेंटिनल ने पिछले 18 महीने में अपना 20 प्रतिशत स्टाफ़ खो दिया है। अधिकतर यूएस मीडिया ने अपने विदेशी ब्यूरो पहले ही बंद कर दिए हैं या लागत में भारी कमी कर दी है। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसंबर, 2008)**

दि वाशिंगटन पोस्ट ने 13 जनवरी 2009 को एलिज़ाबेथ स्पेड और राजू नारिसेट्टी को *दि वाशिंगटन पोस्ट* के प्रबंध संपादकों के रूप में नामित किया। दोनों कार्यपालक संपादक, मार्कस डब्ल्यू बरॉच्ली को रिपोर्ट करेंगे। *दि पोस्ट* ने कहा कि स्पेड और नारिसेट्टी इसकी पुरस्कार जीतने वाली पत्रकारिता के लिए ज़िम्मेदारी बाँटेंगे, चाहे प्रिंट में, ऑन-लाइन में या मोबाइल साधनों, पर, और वे *दि पोस्ट* के प्रिंट तथा ऑन-लाइन समाचार कक्षों का एकीकरण करेंगे। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 2009)**

प्रिंट विज्ञापन के घटते हुए राजस्व, बिक्री में कमी और पाठकों के ऑन-लाइन चले जाने से लड़खड़ा रहे यूएस के समाचारपत्र फिर संघर्ष करने लगे हैं।

2 फ़रवरी 2009 को *दि न्यूयॉर्क टाइम्स, दि वाशिंगटन पोस्ट* तथा अन्य समाचारपत्रों में एक पूरे पृष्ठ के विज्ञापन में "न्यूज़पेपर प्रॉजेक्ट" नामक एक समूह ने बताया कि मुद्रित पृष्ठ विलोपन की कगार पर नहीं है।

यूएस समाचारपत्र उद्योग का संकट मंदी और विज्ञापन में भारी कमी के कारण तीव्र हो गया। पिछले वर्ष समाचारपत्रों के 15,600 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया गया या उन्होंने बाइ-आउट ले लिया। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 4 फ़रवरी, 2009)**

दो दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद, *दि न्यूयॉर्क पोस्ट* ने 19 फ़रवरी 2009 को एक कार्टून के लिए क्षमा माँग ली जिसे कुछ लोगों ने यह माना था कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की तुलना एक हिंसक चिम्पैंजी के साथ की गई है जिसे पुलिस ने गोली मार दी। किंतु समाचारपत्र ने यह भी कहा कि उसके विरोधियों ने बदले के लिए चित्र का दुरुपयोग किया। समाचारपत्र ने 19 फ़रवरी 2009 की शाम को अपनी वेबसाइट पर एक संपादकीय डाला कि कार्टून फ़ेडरल

इकॉनोमिक स्टिमुलस बिल की खिल्ली उड़ाने के लिए उद्दिष्ट था, परंतु "जिन्हें चित्र से ठेस पहुंची, हम उनसे क्षमा माँगते हैं।"

यह संदेश उन प्रदर्शनकारियों के चले जाने के घंटों बाद डाला गया जो "*द पोस्ट* का बहिष्कार करो! इसे बंद कर दो !" के नारे लगाते हुए समाचारपत्र के कार्यालय के सामने से गुज़रे और कहा कि कार्टून में काले लोगों को बंदरों की तरह दिखाया गया है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 21 फ़रवरी, 2009)**

एक बंदर के कार्टून पर जातीय विवाद में फँस कर, जिसे अनेक लोगों ने यूएस के राष्ट्रपति बराक ओबामा का व्यंग्य चित्र माना, *न्यूयॉर्क पोस्ट* के अध्यक्ष, रूपर्ट मुर्डोच ने उसे एक "भूल" कहते हुए 24 फ़रवरी 2009 को क्षमा माँगी। समाचारपत्र में प्रकाशित एक वक्तव्य में मुर्डोच ने "इसके (समाचारपत्र के) पृष्ठों में जो कुछ भी छपा है उसके लिए" ज़िम्मेदारी ली किंतु प्रकाशन के उद्देश्य का समर्थन किया। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 25 फ़रवरी, 2009)**

एक और अमरीकी समाचारपत्र को धूल चाटनी पड़ी जबकि प्रिंट मीडिया ख़राब अर्थव्यवस्था के संकट का और इन्टरनेट के सतत आघात का सामना कर रहा है। साधारण अंतिम मुख्य पृष्ठ की शीर्ष पंक्ति थी, "गुडबाई, कोलोरैडो", जब लगभग 150 वर्ष व्यवसाय में रहने के बाद *दि रॉकी माउंटेन न्यूज़* शुक्रवार को सिमट गया, समाचारपत्र उद्योग को सता रही तालाबंदियों, छँटनियों और कट-आउट के युग में एक नया शिकार। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2009)**

यूनाइटेड किंगडम

मीडिया प्रहरी ने कहा है कि जो चैनलें प्रीमियम दर की टेलीफ़ोन प्रश्नोत्तरियों, वयस्क गपशप और मानसिक वाचन से धन कमाती हैं उन्हें बंद किया जा सकता है जब तक कि वे अपने उत्पादन में आमूल परिवर्तन न करें।

ऑफ़कॉम ने कहा है कि दर्शकों की रक्षा के लिए बनाए गए कड़े नियमों का अर्थ है कि चैनलें महँगी फोन लाइनों का प्रयोग तभी कर सकती हैं जब "संपादकीय औचित्य" हो।

प्रस्तावित परिवर्तनों के अंतर्गत, जो चैनलें केवल प्रीमियम दर लाइनों के वाहकों के रूप में विद्यमान हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्हें "टेलीशॉपिंग" चैनलों के रूप में पुनः स्थापित होना होगा; परंतु तब वे विज्ञापन नियमों द्वारा नियंत्रित होंगी जिनका अधिकांश वर्तमान वयस्क या मानसिक चैनलें उल्लंघन करेंगी।

टीवी चैनलों को प्रीमियम दर कॉलों की ऑफ़कॉम की समीक्षा ऐसे अनेक मामलों के बाद आई जिनमें फोन-इन के दौरान दर्शकों को गुमराह किया गया था। *दि बीबीसी, चैनल 4*, और *जीएमटीवी* उन प्रसारकों में थे जिन्हें उल्लंघन के लिए जुर्माना किया गया था।

ऑफ़कॉम के मुख्य कार्यपालक, एड रिचर्ड्स ने कहा, "इन नए नियमों का अर्थ है कि इन चैनलों को बहुत कड़े नियामक शासन का सामना करना पड़ेगा जिनका अनुपालन वे अवश्य करें।" उन्होंने कहा, "ऑफ़कॉम सुनिश्चित करेगा कि प्रोग्राम प्रीमियम दल वाली टेलीफोन लाइनों का प्रयोग तभी करें जब यथेष्ट संपादकीय औचित्य हो।" **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2008)**

एक वरिष्ठ एयर इंडिया कार्यपालक ने ब्रिटिश ईवनिंजर के विरुद्ध इस झूठे आरोप पर एक अपमान का मुकदमा जीता है कि उसने एक महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया है और वह एक "क्रमिक यौन पीड़क" है।

कैप्टेन अश्विनी कुमार शर्मा, आर्मी कैप्टेन और भारत के राष्ट्रपति का पूर्व एडी-डी-कैम्प, अब एयरलाइन के मुंबई मुख्यालय में कार्यपालक निदेशक है। उसे 85,000 पौंड क्षति के और 500,000 पौंड ख़र्चे के दिए गए हैं।

परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने समाचारपत्र द्वारा अपील की अनुमति के लिए संभावित आवेदन तक भुगतान पर "रोक" का आदेश दे दिया है।

आठ दिन के मुकदमे के दौरान, कैप्टेन शर्मा ने, जो एयर इंडिया का प्रादेशिक निदेशक और यूके तथा आयरलैंड का प्रभारी था, कहा : दि *ईवनिंग स्टैंडर्ड* में "एयरलाइन प्रमुख का यौन कलंक" शीर्षक से मुख पृष्ठ पर "अत्यंत मानहानिकारक और मूलतः झूठे लेख" ने उसकी प्रतिष्ठा तथा स्वास्थ्य दोनों की क्षति की है। **(डेक्कन हेराल्ड, हैदराबाद, दिनांक 2 मई, 2008)**

पिछले सप्ताह एक न्यायालय ने *दि सन, दि डेली मेल* और *दि न्यूज़ ऑफ़ दि वर्ल्ड* सहित 11 विख्यात ब्रिटिश पत्रिकाओं को उस आदमी से क्षमा माँगने और मिलकर 60,000 पौंड हर्जाने के देने का आदेश दिया जिस पर उन्होंने एक तीन साल की बच्ची, मैडेलीन मक्-कैन, के गुम होने में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था जब वह पिछले वर्ष अपने माता-पिता के साथ पुर्तगाल में छुट्टी मना रही थी।

समाचारपत्रों ने मामले में दो अन्य व्यक्तियों की भूमिका के बारे में मानहानिकारक रिपोर्टें प्रकाशित करने के लिए भी सार्वजनिक माफ़ी माँगी और उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमति जताई। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 2008)**

मीडिया प्रहरी ऑफ़डॉग ने जाली प्रश्नावलियों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनता को पथभ्रष्ट करने के लिए 30 जुलाई 2008 को बीबीसी को 400,000 पौंड का जुर्माना किया, लोक प्रसारक के विरुद्ध अब तक जारी सबसे बड़ा आर्थिक दंड।

ऑफ़कॉम ने कहा कि बीबीसी के आठ प्रदर्शन, चार टीवी पर और चार रेडियो पर, बहुत गंभीर त्रुटियों के दोषी थे।

ऑफ़कॉम ने कहा कि अन्वेषणों से पता चला कि कुछ मामलों में निर्माता दल ने प्रतियोगिताएँ प्रसारित करने और श्रोताओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के पूर्व-निर्धारित निर्णय ले लिए थे, अच्छी तरह जानते हुए कि श्रोताओं के जीतने का कोई अवसर नहीं है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2008)**

न्यूज़ कार्पोरेशन ने बताया है कि सितंबर में समाप्त होने वाले तीन महीनों में लाभ में 30 प्रतिशत की कमी आई है, और विज्ञापन बाज़ार की कठिन परिस्थिति के कारण स्मर्ट मुर्डोच अपने यूके तथा ऑस्ट्रेलियाई समाचारपत्रों में नौकरियों की और कटौती पर विचार कर रहा है।

न्यूज़ कार्पोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, मुर्डोच ने सभी मीडिया कंपनियों के लिए आगे एक कठिन वर्ष की भविष्यवाणी की है और कहा है कि यूके तथा ऑस्ट्रेलियाई समाचारपत्र व्यवसाय में उसकी कंपनी का कारोबार और भी कम होगा।

न्यूज़ कार्पोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक, मुर्डोच ने कहा है कि प्रचालन लाभ में पूर्वानुमानित कमी "वर्तमान आर्थिक मंदी का एक स्पष्ट निरूपण था जो पूरे वित्तीय वर्ष 2009 में बनी रहेगी और मीडिया क्षेत्र के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगी।"

कंपनी ने कहा है कि वह व्यवसाय में लागत घटाने के उपाय अपनाएगी यथा 17 डब्ल्यूएसजे मुद्रण संयंत्रों में से 10 का काम बाहर दे देना और बैक-ऑफिस कार्यों को मिला देना, नौकरियों में संभावित कटौती सहित। **(गार्डियन, यूनाइटेड किंगडम का वेब संस्करण, दिनांक 6 नवंबर, 2008)**

ब्रिटेन के विज्ञापन प्रहरी ने 26 नवंबर 2008 को एक "भ्रामक" विज्ञापन के लिए जिसमें एप्पल के नए आईफोन की गति की अतिशयोक्ति की गई थी, उसके विरुद्ध निर्णय दिया।

विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2008 को आइफोन 3 जी के लिए उस टेलीविज़न विज्ञापन के बारे में ब्रिटिश दर्शकों की शिकायतों को स्वीकार कर लिया जिसमें फोन के "वस्तुतः तेज़" इन्टरनेट निष्पादन की डींग मारी गई थी।

प्रहरी ने आदेश दिया कि विज्ञापन अपने वर्तमान रूप में फिर प्रकाशित न हो। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 27 नवंबर, 2008)**

ब्रिटेन के प्रमुख समाचारपत्रों को देख कर आप सोचेंगे कि वे मज़े में हैं, परंतु हर कोई मंदी और नौकरियों में कटौती के बारे में विलाप कर रहा है। वस्तुतः, यह एक दीवालिया नवाब की प्रामाणिक कहानी की तरह है जो अपने जूतों की वास्तविक दशा छिपाने के लिए उन्हें विशेष रूप से पॉलिश करके पहनता था : उस चमकदार ऊपरी भाग के नीचे कोई तल्ला नहीं होता था। चमकीले परिशिष्ट, प्रतिष्ठित स्तंभकार और खर्चीले पुनरुद्धार - इस सारी तड़क-भड़क के पीछे कटु वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश समाचारपत्र गंभीर संकट में हैं, उद्योग के गिर्द बंद होने की धमकियाँ और आडंबर मंडरा रहे हैं। इस संकट की पहली आहुति ब्रिटेन के एक प्राचीनतम

समाचारपत्र के रूप में है, अर्थात् 181 वर्ष पुराना *लंडन ईवनिंग स्टैंडर्ड* जो कम से कम 10 मिलियन पौंड प्रति वर्ष की हानि उठा रहा था, अब एक पूर्व केजीबी एजेंट एलेग्ज़ेंडर लेबेडेव की संपत्ति है।

टेलीविज़न में भी परेशानी खड़ी हो रही है; लोक स्वामित्व वाली चैनल 4 ढहने की कगार पर है और अगले तीन वर्षों में उसका वार्षिक घाटा बढ़ कर 150 मिलियन पौंड हो जाने का अनुमान है। सरकार उसे बचाने के लिए अनेक विकल्पों पर विचार कर रही है जिनमें से एक है बीबीसी के साथ धन बाँटने की व्यवस्था और निजीकरण : बजाय परियोजना के एक व्यंग्यपूर्ण अंत के जिसे एक ओर बीबीसी की स्थापना ध्वनि और दूसरी ओर वाणिज्यिक प्रसारण के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2009)**

कनाडा

कनाडा के समाचारपत्र अभी तक उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं जितने यूएस में। भारी गिरावट के बढ़ते हुए संकेत हैं क्योंकि विज्ञापक छोड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी क्षति टोरस्टार कॉर्प और कैनवेस्ट ग्लोबल कॉम्यूनिकेशन्ज़ जैसे विशाल प्रकाशकों की होने की संभावना है।

टोरस्टार ने, जो कनाडा का सबसे अधिक बिकने वाला समाचारपत्र, *दि टोरंटो स्टार* छापता है, टोरंटो के गिर्द अपने शहरी और प्रादेशिक समाचारपत्रों से 270 पद काट दिए हैं। परंतु उसके मुख्य कार्यपालक, रॉबर्ट प्रिचर्ड का कहना है कि आर्थिक स्थिति निराशाजनक बनी हुई है। पिछली तिमाही में विज्ञापन से *दि स्टार* की आय 805 प्रतिशत कम हो गई और न्यूज़प्रिंट के दाम 18 प्रतिशत बढ़ गए।

इस बीच, दैनिक समाचारपत्रों के कनाडा के सबसे बड़े प्रकाशक, कैनवेस्ट ने अपने फ़्लैगशिप *नेशनल पोस्ट* दैनिक की दो प्रांतों में मौजूदगी काट दी है ताकि वितरण व्यय की बचत हो सके।

आशा है कि तीसरा बड़ा प्रकाशक, क्यूबेकोर इन्क. 6 नवंबर 2008 को अपने लघुपत्र दैनिकों की सन मीडिया शृंखला पर अपने ख़राब आँकड़े प्रस्तुत करेगा। **(गार्डियन, यूनाइटेड किंगडम का वेब संस्करण, दिनांक 6 नवंबर, 2009)**

फ़्रांस

समाचारपत्र *ले मॉन्डे* ने 14 नवंबर 2008 को रिपोर्ट दी है कि यूरोपीय मामलों के लिए फ्रेंच मंत्री, जीन-पियरे जूयेट इस वर्ष के अंत में फ़्रांस के बाजार प्रहरी का अध्यक्ष बनने के लिए अपना पद छोड़ देगा। पिछले वर्ष निकोलस सरकोज़ी द्वारा भरती किए गए अनेक सामाजिक मंत्रियों में से एक, जूयेट ने कहा था कि अगले वर्ष के यूरोपीय चुनावों के लिए प्रचार के दौरान पद पर बने रहना अनुचित होगा। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 15 नवंबर, 2008)**

राष्ट्रपति निकोलस सरकोज़ी ने 23 जनवरी 2009 को घोषणा की कि फ़्रेंच सरकार किशोरों को उनके 18वें जन्मदिन के लिए निःशुल्क समाचारपत्र उपलब्ध कराने में मदद करेगी। परंतु इससे भी बड़ा उपहार फ़्रांस के परेशान प्रिंट मीडिया के लिए है।

उन्होंने समाचारपत्र वितरण के लिए राज्य की सहायता में नौ-गुणा वृद्धि और उद्योग के बढ़ते हुए संकट में अपने वार्षिक प्रिंट विज्ञापन व्यय को दुगुना करने की भी घोषणा की।

अगले महीने से प्रभावी होने वाले उपायों में राज्य समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के लिए अपनी वार्षिक सहायता पिछले वर्ष के आठ मिलियन यूरो से बढ़ा कर 70 मिलियन यूरो कर देगा, और प्रिंट प्रकाशनों में अपने विज्ञापनों के लिए हर वर्ष 20 मिलियन यूरो अधिक ख़र्च करेगा। राज्य कुछ शुल्कों को भी स्थगित कर देगा जो प्रकाशनों को देने पड़ते हैं। (**दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2009**)

एशिया

दक्षिण एशिया पत्रकारों के काम करने के लिए ख़तरनाक क्षेत्र बना हुआ है, विशेषतः गंभीर आंतरिक संघर्ष वाले देशों में यथा अफ़गानिस्तान तथा श्रीलंका, जबकि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अच्छी होते हुए भी, मीडिया के कुछ ही हाथों में संकेंद्रित हो जाने की चुनौती है। यह दक्षिण एशिया मीडिया एकता नेटवर्क (सेमसन) के लिए अंतरराष्ट्रीय पत्रकार परिसंघ द्वारा तैयार की गई छठी वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में दिए गए कुछ विवरण हैं जो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से पहले 30 अप्रैल 2008 को मोचित की गई थी। (**दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 2 मई, 2008**)

किसी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता प्रहरी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2008 में पत्रकारों के लिए पाकिस्तान दूसरा सबसे घातक स्थान था और भारत उससे थोड़ा ही पीछे था। रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशिया ने मीडिया व्यक्तियों के लिए संसार में सबसे खतरनाक प्रदेश के रूप में पश्चिम एशिया का स्थान ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने कहा है, निरंतर छह वर्षों से इराक़ में, पिछले वर्ष में किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक पत्रकारों की हत्या हुई (14) और पाकिस्तान छह मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा क्योंकि "देश की राजनीति को अव्यवस्था ने जकड़ लिया और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष फैल गया।"

विएना-आधारित समूह ने अपनी वार्षिक "विश्व प्रेस स्वतंत्रता समीक्षा" में कहा है कि भारत पाँच पत्रकारों की मृत्यु के साथ तीसरे स्थान पर था - मेक्सिको और फिलिपीन्ज़ के साथ।

आईपीआई के निदेशक, डेविड डैडगे ने कहा है कि इस प्रदेश में दंड मुक्ति एक विष बनी हुई है, विशेषतः फिलीपीन्ज़ और श्रीलंका में, परंतु भारत जैसे प्रमुख लोकतंत्रों में भी पत्रकारों के हत्यारे अभियोग से बच रहे हैं। (**दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 4 फ़रवरी, 2009**)

अब पाकिस्तान में पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनकी नियमित रूप से हत्या हो रही है, काम करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है और न्यू यॉर्क आधारित 'पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति' (सीपीजे) के हाल के सर्वेक्षण की 2009 वैश्विक दंडमुक्ति तालिका में 14 देशों के बीच पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। इराक़, सिएरा लियोन और सोमालिया दंडमुक्ति तालिका में सबसे ऊपर हैं। दक्षिण एशिया प्रदेश के अन्य देश - भारत, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल और बाँगला देश का नाम भी तालिका में है, उन देशों की सूची जहाँ पत्रकारों की निरंतर हत्या होती है और सरकारें अपराध को सुलझाने में असफल रहती हैं। **(दि एशियन एज, नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 2009)**

मलेशिया

मलेशिया सरकार ने तमिल समाचारपत्र मक्कल ओसाई के नवीकरण के आवेदन को अस्वीकार करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

तमिल दैनिक के महाप्रबंधक, एस.एम. पेरियासामी ने कहा, गृह मंत्रालय ने प्रकाशन परमिट नवीकरण के लिए मक्कल ओसाई का आवेदन अस्वीकार कर दिया है। प्रबंधन को मंत्रालय से अस्वीकृति का पत्र 17 अप्रैल 2008 को मिला।

उसने कहा, "हमने नवीकरण के लिए पिछले वर्ष 18 जुलाई को आवेदन किया था, क्योंकि हमारा परमिट अक्तूबर 2007 मे समाप्त हो रहा था। हमारा परमिट समाप्त हो जाने के बाद भी हम मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा में अपना प्रकाशन करते रहे।" तथापि, प्रबंधन इस आदेश के विरुद्ध 17 अप्रैल 2008 को अपील करेगा।

बरमाना समाचार एजेंसी ने बताया कि उसे मंत्रालय से मदद की आशा है। उसने कहा, "हम 1992 से प्रकाशन कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि अब कर्मचारी क्या करेंगे। वे कैसे जीवित रहेंगे?" उन्होंने यह भी बताया कि समाचारपत्र का दैनिक प्रकाशन देश भर में लगभग 52,000 प्रतियों का था।

पिछले अगस्त में इसके 21 अगस्त के अंक के 'आज का उद्धरण' स्तंभ में ईसा मसीह का एक व्यंग्य चित्र छापने के लिए, जिसके हाथ में सिगरेट और कोई ऐसी चीज़ थी जो बियर के डिब्बे जैसी दिखती थी, *मक्कल ओसाई* का मुद्रण परमिट तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा मंत्री द्वारा निलंबित कर दिया गया था। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 18 अप्रैल, 2008)**

विपक्षी नेताओं द्वारा कड़ी आलोचना और मीडिया के प्रतिनिधियों से दबाव के कारण मलेशिया सरकार ने 24 अप्रैल 2008 को प्रमुख तमिल दैनिक के प्रकाशन पर प्रतिबंध हटा दिया।

देश के गृह मंत्रालय ने *मक्कल ओसाई* अर्थात् 'जनता की आवाज़' के प्रकाशन का परमिट इस आधार पर निलंबित कर दिया था कि समाचारपत्र ने प्रकाशन के दिशानिर्देशों की अवज्ञा की है।

समाचारपत्र के महाप्रबंधक, एस.एम. पेरियासामी ने 24 अप्रैल 2008 को कहा कि उसे मंत्रालय ने इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि प्रतिबंध हटा लिया गया है।

गृह मंत्री, सैयद हामिद अलबार ने पुष्टि की, कि उन्होंने *मक्कल ओसाई* या "जनता की आवाज़" के लिए नए वार्षिक परमिट का अनुमोदन कर दिया है और कहा कि उसके संपादकों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि "वे दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान करेंगे।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2008)**

मलेशिया में एक कैथोलिक समाचारपत्र ने "गॉड" के अनुवाद के रूप में "अल्लाह" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध का उल्लंघन करके सरकार से झगड़ा मोल ले लिया है जिसने साप्ताहिक प्रकाशन को बंद कर देने की धमकी दी है। *हेराल्ड* समाचारपत्र के संपादक, फ़ादर लारेंस एन्ड्रयू ने कहा कि इस सप्ताह का संस्करण प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग करता है और वह अगले महीने इस मुद्दे पर अदालत का निर्णय मिलने तक ऐसा करता रहेगा।

सरकार ने पिछले महीने *हेराल्ड* के मलय संस्करण पर प्रतिबंध का आदेश दिया जब तक अदालत अपना निर्णय न दे दे। यह उसके अंग्रेज़ी, चीनी तथा तमिल संस्करणों का प्रकाशन जारी रखने की अनुमति की शर्तों के एक अंग के रूप में किया गया। दि हेराल्ड की बिक्री देश के 850,000 कैथोलिक लोगों के बीच है। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 2009)**

चीन

18 मई 2008 को सिचुआन प्रांत में भारी भूकंप के ढाई घंटे बाद शक्तिशाली केंद्रीय प्रचार विभाग से चीन भर के समाचारपत्रों को एक आदेश भेजा गया, "किसी मीडिया को आपदा क्षेत्र में कोई रिपोर्टर भेजने की अनुमति नहीं है।" चीनी पत्रकार इससे परिचित हैं।

जब आदेश मिला तब अनेक रिपोर्टर सिचुआन प्रांत की राजधानी, चेंगडू की उड़ान के लिए शंघाई हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ को उनके संपादकों ने तत्काल वापस बुला लिया, किंतु शंघाई समाचारपत्र, *दि ओरियंटल मार्निंग पोस्ट* के दो रिपोर्टर, यू साँग और वाँग जुलिआँग किसी तरह विमान में चढ़ गए।

परंतु, सबसे बड़ी चुनौती देश का प्रचार तंत्र है - कभी जटिल, कभी कठोर। चीन के सेंसरों ने स्वयं को पंगु पाया जब उन्होंने भूकंप की समाचार कवरेज को माइक्रोमैनेज करने की कोशिश की, जैसा चीन में अधिकांश प्रमुख समाचार कथाओं को किया जाता है।

चीन के सेंसर गुप्त रूप से काम करते हैं। संपादकों का कहना है कि उनके आदेश हज़ारों समाचारपत्रों के संपादकों, वेबसाइटों तथा टेलीविज़न केंद्रों को मौखिक रूप से जारी किए जाते हैं ताकि उनके आदेशों का कोई लिखित रिकॉर्ड न रहे। प्रचार विभाग का कोई सार्वजनिक पता या फोन नंबर नहीं है और वह अपनी क्रियाओं के बारे में प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। बड़ी

दुर्घटनाओं, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं की कवरेज चिरकाल से कलह का स्रोत बनी हुई है।

इस सारी आक्रामक रिपोर्टिंग के लिए, चीन की लगभग संपूर्ण समाचार कवरेज भूंकप से संबंधित राजनीतिक दृष्टि से नाज़ुक प्रश्नों का अन्वेषण करने से संकोच करती रही यथा स्कूलों के भवनों का व्यापक ध्वंस, और उसकी जगह मानव विपत्ति तथा बचाव की सुरक्षित कथाएँ देती रही। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 19 मई, 2008)**

ओलिंपिक खेलों के इतिहास में सबसे बड़ा मीडिया ग्राम उत्तरी बीजिंग में 25 जुलाई को आधिकारिक रूप से खोला गया।

नॉर्थ स्टार, जो हुइयुआन के साथ ग्राम के दो आवासीय परिसर बनाता है, का पर्यवेक्षण कर रहे ज़्हाओ जिन्फ़ाँग ने कहा, "हमारे बीच वर्ण, भाषा तथा राष्ट्रीयता के अंतर के बावजूद हम ओलिंपिक खेलों की भव्यता तथा आनंद को आपस में बाँटते हैं।" चीन में मुक्त रिपोर्टिंग के बारे में कुछ विदेशी मीडिया की शंका के बीच गाँव को 21,600 घरेलू और विदेशी पंजीकृत रिपोर्टरों के लिए खोला गया।

आशा है कि लगभग 30,000 रिपोर्टर खेलों को कवर करेंगे, ओलिंपिक के इतिहास में सबसे अधिक, जिसका अर्थ है कि दर्शकों की संख्या भी पहले से अधिक हो सकती है।

खेलों के दौरान विदेशी मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग गतिविधियों पर एक विनियम ने पिछले वर्ष जनवरी से अनेक नियम हटा दिए हैं। उन्हें अब स्थानीय सरकार से अनुमोदन की नहीं, बल्कि केवल इंटरव्यू किए जा रहे व्यक्तियों या संगठनों से सहमति की ज़रूरत है।

स्थानीय अधिकारियों को कहा गया है कि मीडिया के साथ सहयोग करें, संवेदनशील विषयों पर भेंटवार्ता में भी यथा पर्यावरण की रक्षा, एड्स तथा आवास का विस्थापन।

14 मार्च को ल्हासा हिंसा के तत्काल बाद किसी विदेशी मीडिया को तिब्बत में प्रवेश करने की अनुमति न देने के लिए देश की आलोचना की गई, यद्यपि पहले से वहाँ मौजूद रिपोर्टरों को अपने परमिट समाप्त होने तक रिपोर्टिंग करते रहने की अनुमति दे दी गई। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2008)**

अपने घरेलू मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त नियंत्रणों में वृद्धि करते हुए, राज्य मीडिया ने 13 फरवरी 2009 को कहा कि चीन उन पत्रकारों की एक ब्लैक लिस्ट बनाने की सोच रहा है जो रिपोर्टिंग के नियमों को तोड़ते हैं।

चाइना प्रेस एंड पब्लिशिंग जर्नल में एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाले चीनी मीडिया पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसी "ख़राब रिकॉर्ड वाले मीडिया व्यवसायियों का एक डाटाबेस स्थापित" करने की सोच रही है।

उसने कहा है कि जो रिपोर्टर नियमों या कानूनों का उल्लंघन करेंगे, उनके प्रेस कार्ड वापस ले लिए जाएँगे। श्री ली डांगडांग, उप निदेशक, प्रेस और प्रकाशन का सामान्य प्रशासन, के हवाले से कहा गया है, "उनके नाम सूची में दर्ज कर लिए जाएँगे और उन्हें समाचार रिपोर्टिंग या संपादन कार्य करने से रोक दिया जाएगा।"

संवदेनशील या नकारात्मक मुद्दों की प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, जबकि चीनी पत्रकारों को निजी क्षेत्र या सरकार में भ्रष्टाचार पर आक्रामक रिपोर्टिंग के लिए बंदी बना लिया जाता है।

ये प्रतिबंध चीन में विदेशी पत्रकारों पर लागू नहीं होते जो विदेश मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होते हैं।

चीनी नागरिकों को विदेशी मीडिया संगठनों के लिए पत्रकारों के रूप में काम करने की मनाही है। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 14 फ़रवरी, 2009)**

नेपाल

माओवादी अध्यक्ष, प्रचंड ने, जो अगली नेपाल सरकार का नेतृत्व करने वाले हैं, मीडिया को "गंभीर परिणामों" की चेतावनी दी है, यदि वह उनके दल की आलोचना करता रहा। देश के पत्रकारों के शीर्षस्थ निकाय ने इसकी भर्त्सना की है।

देश के गणतंत्र में बदलने के उपलक्ष्य में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अब हम आलोचना सहन नहीं करेंगे क्योंकि हम जनता द्वारा निर्वाचित किए जा चुके हैं।"

नेपाली पत्रकार परिसंघ (एफ़एनजे) ने प्रचंड के वक्तव्य की भर्त्सना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध निदेशित टिप्पणी कहा है।

एफ़एनजे ने माओवादियों से यह भी कहा है कि वे अपने दल की स्वतंत्र प्रेस वाली नीति को जनता के सामने रखकर देश में स्वतंत्र प्रेस की अपनी वचनबद्धता निभाएँ। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2008)**

नेपाल में पत्रकारों ने मीडिया घरानों पर व्यापक आक्रमण के प्रति एक सांकेतिक विरोध के रूप में 27 दिसंबर 2008 को एक घंटे के लिए अपने पेन, कैमरे और रिकार्डर नीचे रख दिए।

दो माओवादी श्रमिक संघ नेताओं की गिरफ़्तारी के बावजूद, जिन्होंने कथित रूप से हिमल मीडिया पर हमले का नेतृत्व किया था, नेपाली पत्रकार परिसंघ (एफ़एनजे) ने यह कहते हुए अपना आंदोलन जारी रखा कि प्रेस पर व्यापक हमले किए जा रहे हैं और अन्य अपराधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसंबर, 2008)**

नेपाल के युवा गणतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से डर लगता है। पत्रकारों और मीडिया घरानों पर निरंतर हमलों को देखते हुए, किसी भी मुद्दे को कवर करने से पहले रिपोर्टर दो बार सोचते हैं। उनमें से अनेक इस व्यवसाय को छोड़ने की सोच रहे हैं।

1996 में माओवादियों के नेतृत्व में जनता का युद्ध शुरू होने के बाद 29 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, कुछ माओवादियों ने मार दिए, कुछ हिरासत में मर गए।

दंडमुक्ति की बढ़ती हुई संस्कृति प्रेस और पत्रकारों पर हमलों का मुख्य कारण है। हिमल मीडिया पर हमलों के बाद, सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एफ़एनजे के साथ एक 10-सूत्री समझौता किया। ये वादे पूरे नहीं किए गए। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 7 फ़रवरी, 2009)**

पाकिस्तान

पाकिस्तान की नई सरकार ने उन सभी कानूनों को रद्द करने का वादा किया है जो मीडिया की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं या विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति से वंचित करते हैं।

सूचना मंत्री, शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) के "काले नियमों" को जल्दी रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार मुक्त मीडिया में विश्वास रखती है और पत्रकार समुदाय को सुविधा देना चाहती है।

उसने कहा कि पणधारियों की एक त्रिपक्षीय समिति बनाई जाएगी जिसमें पत्रकार निकायों के प्रतिनिधि, संसद सदस्य और मानवाधिकार के प्रतिनिधि होंगे जो पीईएमआरए के अध्यादेशों की समीक्षा करेंगे और भावी रणनीति बताएँगे।

उसने कहा, "वह सुझाव भेजेगी और हम उसे क्रियान्वित करेंगे।"

उसने कहा कि मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र होगा और 2007 में लगाए गए पीईएमआरए के काले कानून रद्द कर दिए जाएँगे और इस बारे में एक पूरा प्रारूप 8 अप्रैल 2008 तक बना लिया जाएगा। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2008)**

पाकिस्तान की सूचना मंत्री शेरी रहमान ने कहा है कि सरकार ने "मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी कानून" रद्द करने के लिए एक संक्षेप तैयार किया है।

फ़्रांस के एक छह-सदस्यी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक के दौरान उसने कहा, "मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी कानूनों को रद्द करने के लिए हमने एक संक्षेप तैयार किया है। सरकार अभिव्यक्ति के अधिकार और देश में मीडिया की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2008)**

मौलवी फ़क़ीर मुहम्मद, उपाध्यक्ष, तहरीके-तालिबान पाकिस्तान, ने राष्ट्रीय समाचारपत्रों को चेतावनी दी है कि वे महिलाओं की ऐसी तस्वीरें न छापें जो उन्हें ठेस पहुँचाती हों।

आजकल और *एक्सप्रेस* जैसे राष्ट्रीय समाचारपत्र विशेष रूप से लक्षित थे। मुहम्मद ने यह नहीं बताया कि अंतिम तिथि के बाद तालिबान किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। **(दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 3 मई, 2008)**

उच्चतम न्यायालय बनाम जियो टेलीविज़न में 12 मई 2008 को पत्रकारों के लिए पहला दौर था जब न्यायालय से पूर्व अनुमति के बिना न्यायपालिका के बारे में कुछ भी लिखने या प्रसारित करने से रोकने वाले एक आदेश से पूर्ण पीठ पीछे हट गई।

पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास को देखते हुए भी, एक ही मीडिया केंद्र से *जियो टेलीविज़न* और *जंग* तथा *दि न्यूज़ डेलीज़* के विरुद्ध स्वप्रेरणा से न्यायालय के अवमान की कार्यवाही की पहली सुनवाई अनोखी थी।

जियो को सुबह, चैनल पर एक रिपोर्ट के लिए न्यायालय में बुलाया गया था कि गृह सचिव ने "एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति" से कोई संदेश देने के लिए पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीशों के साथ बैठक की थी।

9 मई 2008 को सम्मन जारी करते हुए न्यायालय ने सभी पत्रकारों को न्यायालय के रजिस्ट्रार या जन संपर्क अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना न्यायपलिका के बारे में कुछ भी लिखने या प्रसारित करने से रोका था।

पीठ ने सूचना मंत्रालय और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण को भी आदेश दिया कि न्यायालय को वे सभी प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाएँ जो चैनल ने 3 नवंबर, 2007 से, जिस दिन राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने आपात स्थिति लागू की थी, न्यायापालिका पर बनाए हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 13 मई, 2008)**

जियो टीवी ने कहा है कि यूएई सरकार द्वारा उसके संचारण को रोके जाने के पीछे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, परवेज़ मुशर्रफ़ है।

जियो टीवी ने कहा है कि उसे दुबई प्रशासन से एक 'पत्र' मिला था कि सामयिक विषयों पर वार्ता के दो प्रदर्शन रोक दे या फिर चैनल को बंद कर दे। चैनल का मुख्यालय दुबई में है और 2007 से वहाँ की सरकार के साथ परेशानी चल रही है जब पाकिस्तान में आपातस्थिति घोषित की गई।

दोनों वार्ता प्रदर्शन, *कैपिटल टॉक* और *मेरे मुताबिक* जो दुबई के अधिकारियों ने बंद कर दिए थे, चुनाव के बाद मार्च में ही जियो पर वापस आए।

चैनल ने बताया कि उसे कहा गया था कि प्रोग्राम, जो सेवानिवृत्त जनरल, परवेज़ मुशर्रफ़ द्वारा निकाले गए न्यायाधीशों की बहाली का खुला समर्थन कर रहे हैं, दुबई और पाकिस्तान के बीच संबंधों को ख़राब कर रहे हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2008)**

पाकिस्तान में सबसे अधिक देखी जाने वाली दो टेलीविज़न चैनलों ने 17 नवंबर 2008 को सरकार पर आरोप लगाया कि सिंध प्रांत में उनके संचारण को अवरुद्ध किया जा रहा है।

प्रमुख समाचार चैनल के एक प्रवक्ता ने कहा, "जियो नेटवर्क का केबल पर संचारण सिंध के अनेक नगरों में, कराची सहित, रोक दिया गया है। केबल ओपरेटरों ने 17 नवंबर 2008 की सुबह को, बिना कोई कारण बताए, नगर के अनेक क्षेत्रों में जियो नेटवर्क का संचारण अवरुद्ध कर दिया।"

सरकार और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने चैनलों को रोके जाने के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है।

एक अन्य प्रमुख चैनल, *एआरवाई वन वर्ल्ड* ने भी सरकार के विरुद्ध यही आरोप लगाते हुए कहा कि सिंध प्रांत में संचारण दिखाई नहीं दे रहा।

सिंध के सूचना मंत्री शाज़िया मारी ने कहा कि *जियो* या *एआरवाई वन वर्ल्ड* के बंद होने से सरकार का कोई वास्ता नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चैनलों का प्रसारण बहाल किया जाए। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर, 2008)**

डेली टाइम्स, फ़्राइडे टाइम्स और उर्दू दैनिक *आजकल* के प्रमुख संपादक नजाम सेठी को 2009 गोल्डन पेन ऑफ़ फ़्रीडम दिया गया है - विश्व समाचारपत्र एसोसिएशन का वार्षिक पुरस्कार।

वैन वेबसाइट पर एक वक्तव्य में कहा गया है कि श्री सेठी को "कठिन परिस्थितियों और सतत निजी खतरे के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है।" यह भी कहा गया है कि उनके समाचारपत्रों ने देश में उदार तथा धर्म-निरपेक्ष विचारों को प्रोत्साहित किया है "जो धार्मिक उग्रवाद द्वारा अक्सर नष्ट कर दिए जाते हैं।" **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसंबर, 2008)**

❐

अध्याय II

प्रेस की स्वतंत्रता को ख़तरे से संबंधित शिकायतों में निर्णय

भारतीय प्रेस परिषद् एक अनन्य स्वरूप की है और ऐसे अन्य नियामक निकायों से भिन्न है। यह संसद द्वारा स्थापित एकमात्र ऐसा निकाय है और इसे अधिकार है कि उन प्राधिकारियों के कृत्यों तथा आचरण पर नज़र रखे जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होती हो और निर्णयों या रिपोर्टों के रूप में किसी भी प्राधिकारी के आचरण के बारे में, सरकार सहित, ऐसी टिप्पणी करे जो यह उचित समझे। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए परिषद् प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करती है और निर्णय देती है।

प्राधिकारियों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता बाधित करने के प्रयासों पर, चाहे धमकियों द्वारा, भौतिक या मौखिक, अथवा दबाव के रूप में रियायतों तथा सुविधाओं से वंचित करके, परिषद् द्वारा दिए गए निर्णयों में विचार किया जाता है। प्रिंट मीडिया के स्वतंत्र कामकाज का अतिक्रमण करने वाली ये कार्रवाइयाँ प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धाराओं 13 (1) और 13 (2) (क) (ङ) (ज) (झ) और (ट) में शामिल हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् को 185 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें सरकारी या अन्य प्राधिकारियों पर प्रिंट मीडिया के मुक्त कामकाज को बाधित करने के प्रयासों का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, 126 मामले पिछले वर्ष से विचाराधीन थे। इस प्रकार परिषद् के विचार के लिए कुल 311 मामलों में से 30 का निर्णय किया गया और 71 मामले जाँच के लिए पर्याप्त आधार के अभाव के कारण, मामला परिषद् के चार्टर से बाहर होने के कारण या मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण आरंभिक चरण में ही ख़ारिज कर दिए गए। समीक्षाधीन अवधि के अंत में 210 मामले विचाराधीन थे।

इस अध्याय के अंतर्गत शिकायतों पर निर्णयों का ग्राफीय विश्लेषण किया गया है जबकि विस्तृत निर्णय परिषद् की त्रैमासिक पत्रिकाओं, अर्थात् अंग्रेज़ी में 'पीसीआई रिव्यू' तथा हिंदी में 'प्रेस परिषद् समीक्षा' और कम्पेन्डियम ऑफ़ ऐडजुडिकेशन्ज़ 2008-09 में प्रकाशित हैं।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

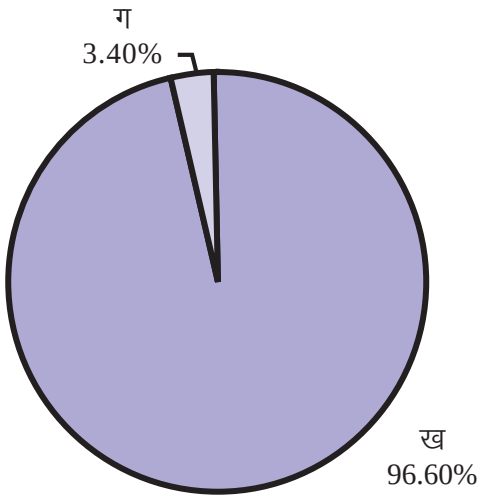

क. अंग्रेजी प्रेस
ख. देशी भाषा की प्रेस
ग. पत्रकार/संगठन समाचार अभिकरण
घ. स्वतः कार्रवाई

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

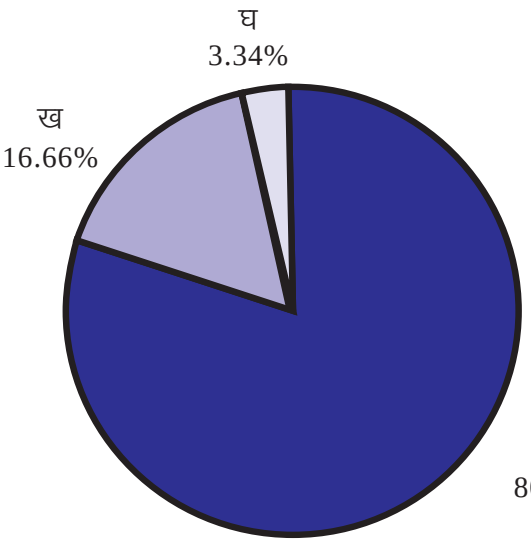

क. पुलिस/सरकारी अधिकारी
ख. सूचना विभाग
ग. संस्थान/निजी कम्पनियाँ समाचारपत्र प्रबंधक
घ. सार्वजनिक व्यक्ति

शिकायतकर्ताओं के प्रकाशन स्थान का राज्यस्तरीय विभाजन

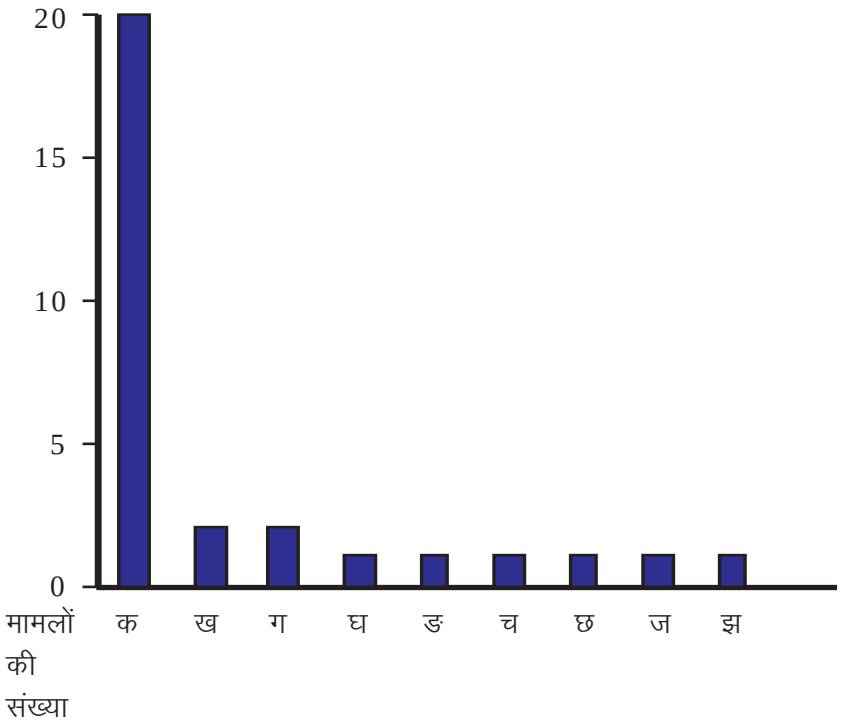

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 30

क.	उत्तर प्रदेश	20
ख.	दिल्ली	2
ग.	मध्य प्रदेश	2
घ.	पंजाब	1
ङ.	पश्चिम बंगाल	1
च.	असम	1
छ.	उत्तराखंड	1
ज.	महाराष्ट्र	1
झ.	दमन एवं दियू	1

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

लोकतंत्र के पत्रकार वर्ग के सदस्यों को अपने व्यावसायिक कर्तव्य निभाने में प्रायः प्राधिकारियों और आतंकवादी संगठनों तथा असामाजिक तत्त्वों से भी अपनी निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए, उनके काम-काज की विधिसम्मत आलोचना छापने के लिए, आतंकवादी गुटों तथा असामाजिक तत्त्वों के अपराधों को उजागर करने के लिए गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। अपने व्यावसायिक कर्तव्य ईमानदारी से निभाने के लिए पत्रकारों की मार-पिटाई की जाती है, झूठे मामलों में फँसाया जाता है, अपहरण किया जाता है और कुछ मामलों में निर्ममता से हत्या भी कर दी जाती है। उनके घर/प्रेस पर प्रायः धावा बोला जाता है। पत्रकारों के उत्पीड़न के मामलों की बढ़ती हुई संख्या उनके अक्षुण्ण अपराधों को रोकने के प्रयासों की असफलता दर्शाती है।

परिषद् ने इस वित्तीय वर्ष में ऐसे कुल 18 मामलों का निर्णय किया । उनमें से तीन मामलों में आरोप सही पाए गए, जबकि चार को गुणागुण पर ख़ारिज कर दिया गया। चार मामलों में परिषद् ने जाँच बंद कर दी जब संबंधित प्रतिवादियों ने यथेष्ट सुधार कर दिया या करने का वादा किया। सात शिकायतें निपटा दी गईं - पैरवी न किए जाने के कारण, या मामला न्यायाधीन हो जाने के कारण या जब पक्षकारों को सुनने के बाद यह पाया गया कि परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। नीचे दिया गया चार्ट स्थिति को अधिक स्पष्ट करता है।

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मामलों की कुल संख्या : 18

क. अनुमोदित	3
ख. अस्वीकृत	4
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	4
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता के कारण समाप्त	7

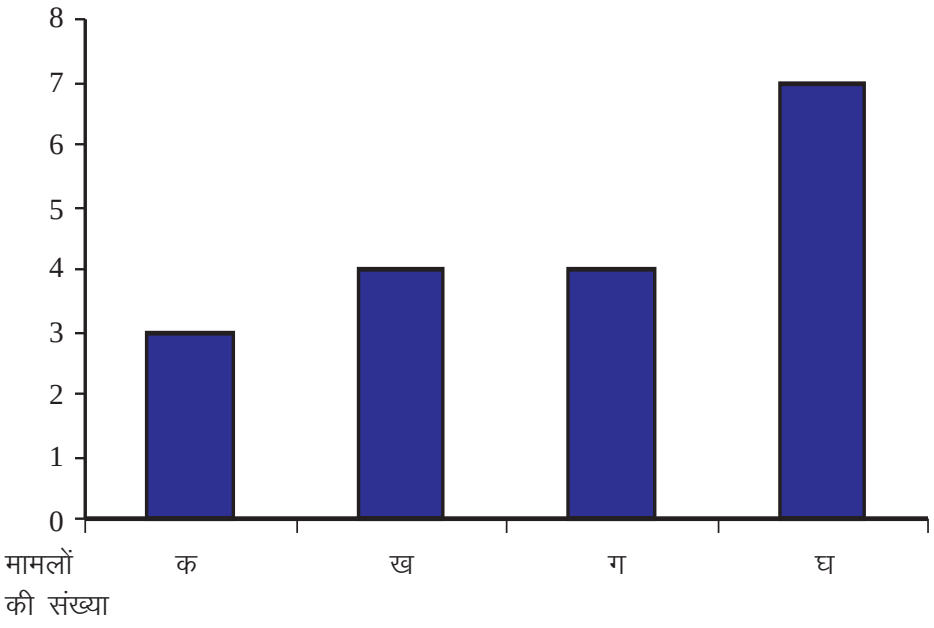

प्रेस को सुविधायें

पत्रकार वर्ग के सुचारु काम-काज के लिए एक शर्त यह है कि प्राधिकारियों द्वारा प्रेस को कुछ सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इनमें से प्रमुख सुविधा मान्यता की है। एक अन्य पारस्पारिक हित की सेवा प्रेस को विज्ञापन देने की है। मान्यता जानकारी लेने और उसका प्रसार करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की सहायता है जबकि विज्ञापन देना एक ओर समाचारपत्रों का ठोस वित्तीय स्रोत बनता है और दूसरी ओर प्राधिकारियों को अपनी नीतियाँ तथा कार्यक्रम जनता तक पहुँचाने में मदद मिलती है।

प्राधिकारियों से आशा की जाती है कि प्रेस को ये सुविधाएँ सुस्पष्ट नीतियों और नियमों के अंतर्गत उपलब्ध कराएँ। इन सुविधाओं को देने में अधिकारों का दुरुपयोग या पत्रकारों को अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करने के लिए दबाव डालने के इरादे से दुर्भावपूर्ण वंचन को गंभीरता से लिया गया।

उपर्युक्त सुविधाओं को ऐसे जानबूझ कर वापस लेने या इनकार कर देने के बारे में बहुत शिकायतें आती हैं। तथापि, विचाराधीन वर्ष में इस कोटि के आने वाले 11 निर्णयों में से दो को सही माना गया और एक को गुणागुण पर अस्वीकार कर दिया गया। दो को पैरवी न किए जाने के कारण या परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने के कारण या मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण ख़ारिज कर दिया गया। छह मामलों में प्राधिकारियों ने शिकायतकर्ता पक्षकारों की शिकायतें दूर कर दीं। नीचे दिया गया चार्ट स्थिति को और स्पष्ट कर देता है।

प्रेस को सुविधायें

मामलों की कुल संख्या : 11

क. अनुमोदित	2
ख. अस्वीकृत	1
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	6
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	2

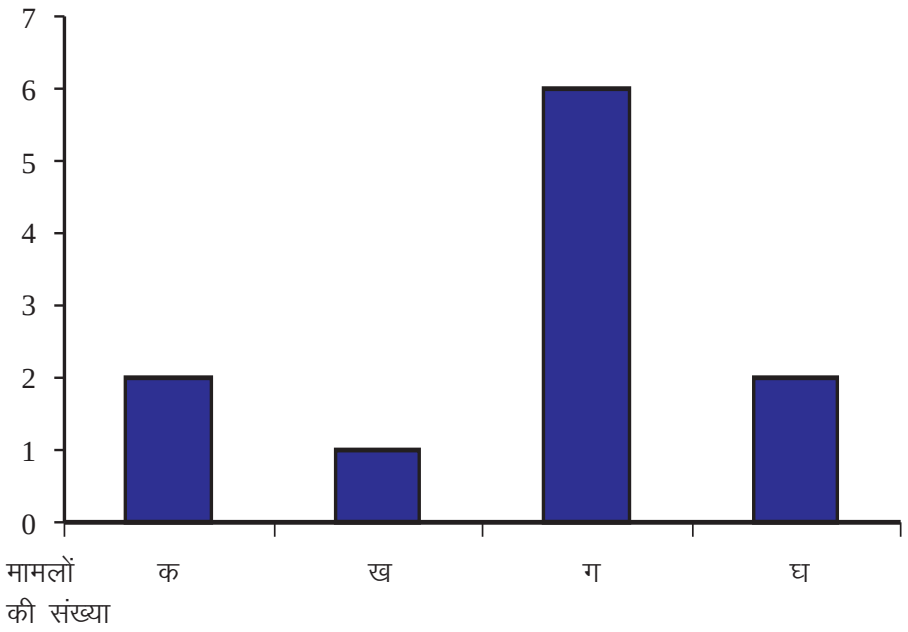

❐

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

सुविधाओं को देने से इंकार करने अथवा प्रत्यक्ष धमकियों के अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने के लिए कई अन्य दबावी चालों का इस्तेमाल किया जाता है । कई बार ये प्रेस परिसरों पर हमलों और छापों के रूप में भी हो सकती हैं । व्यापार संघ, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन और अन्य दबावी वर्ग भी, ऐसे मामलों, जिनसे वे प्रभावित हों, पर प्रेस के स्वतंत्र विचार को छोड़ देने हेतु प्रेस को विवश करने के लिए उन पर दबाव डालने और उसे मूक करने का भी प्रयास करते हैं । ऐसा वे प्रदर्शन, हमले करके प्रेस स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करके, प्रेस की संपत्ति नष्ट करके, समाचारपत्र के वितरण को रोककर और इसके अंको को नष्ट करके करते हैं अथवा प्रेस के लिए स्वतंत्र वातावरण में कार्य करना असंभव करके करते हैं ।

इस वर्ष इस शीर्ष के अंतर्गत निर्णीत एकमात्र शिकायत उस समय समाप्त कर दी गई जब प्रतिवादी पुलिस प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समाचारों के प्रसार और प्रेस के उत्पीड़न के मामले में वे तत्काल कार्रवाई करेंगे ।

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

मामलों की कुल संख्या : 1

क. अनुमोदित	–
ख. अस्वीकृत	–
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	1
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	–

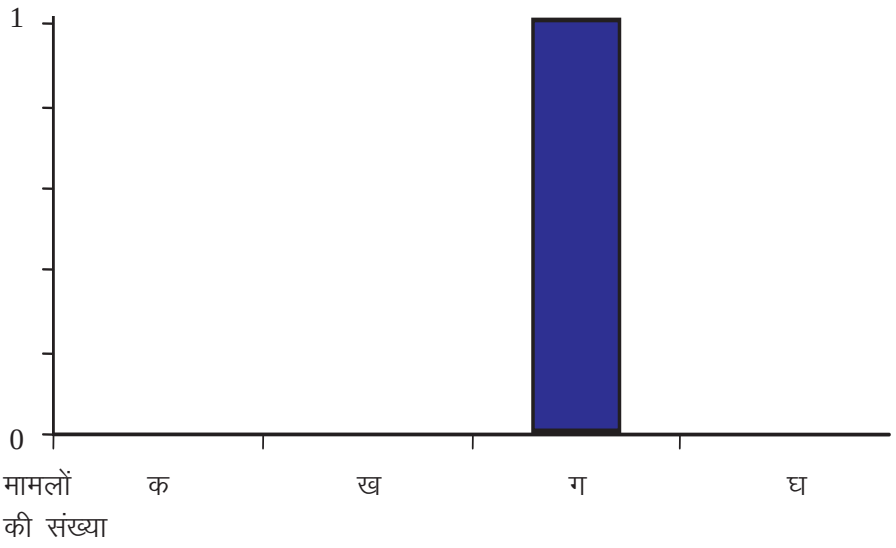

अध्याय III

प्रेस के विरुद्ध दाखिल की गई शिकायतों में परिषद् द्वारा दिए गए निर्णय

पत्रकारों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दबाव के विभिन्न तरीकों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। परंतु, वह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि प्रिंट मीडिया स्वयं कई बार अपनी सुविधा-प्राप्त लेखनी का प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करने का दोषी होता है। भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना जिन दो उद्देश्यों के लिए की गई है वे हैं : प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना तथा सुधारना।

दूसरे उद्देश्य के लिए परिषद् को उच्च व्यावसायिक मानकों के अनुसार समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए कहा गया है; जिसमें समाचारपत्रों, समचार एजेंसियों तथा पत्रकारों की ओर से जनरुचि के उच्च मानक बनाए रखना और नागरिकता के अधिकारों व उत्तरदायित्वों दोनों के एक उचित भाव का पोषण करना सुनिश्चित किया जाए; पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे सभी लोगों के बीच उत्तरदायित्व तथा जनसेवा के भाव के विकास को प्रोत्साहित किया जाए; समाचारपत्रों के उत्पादन या प्रकाशन या समाचार एजेंसियों आदि में लगे सभी वर्गों के लोगों के बीच एक सही प्रकार्यात्मक संबंध प्रवर्तित किया जाए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् को प्रेस के विरुद्ध 541 नई शिकायतें मिलीं। इसके अलावा, 633 मामले पिछले वर्ष के बकाया थे। इस प्रकार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने कुल 1174 शिकायतों पर विचार करना था। इनमें से 105 मामले निर्णय द्वारा निपटाए गए और 372 मामले आरंभिक चरण में निपटा दिए गए, या तो पक्षकारों की संतुष्टि के अनुसार उनका फैसला करके या आधार के अभाव अथवा मामले की पैरवी न किए जाने आदि के कारण शिकायतों को ख़ारिज करके। तीन मामले निर्णय के लिए सीधा परिषद् के सामने रखे गए। इस प्रकार समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस कोटि में 694 मामले विचाराधीन थे। निर्णयों का विस्तृत रूप अंग्रेज़ी तथा हिंदी में प्रकाशित परिषद् की त्रैमासिक पत्रिकाओं और कम्पेन्डियम ऑफ़ ऐड जुडिकेशन्ज़ 2008-09 में देखा जा सकता है।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

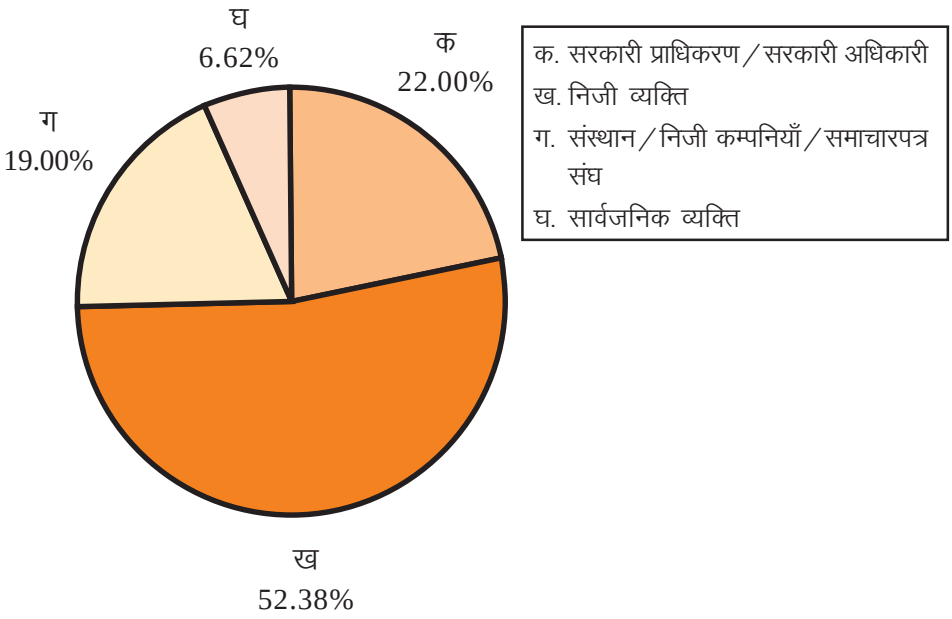

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

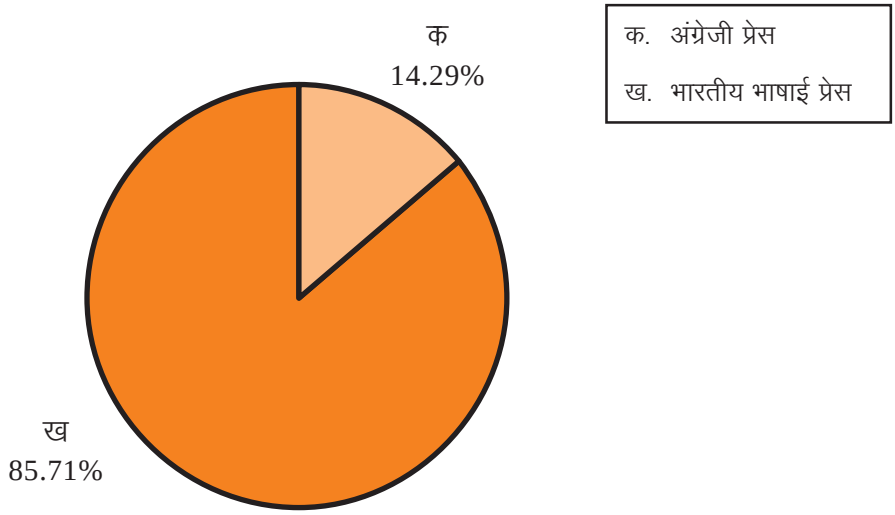

प्रतिवादी प्रकाशन का राज्यस्तरीय वितरण

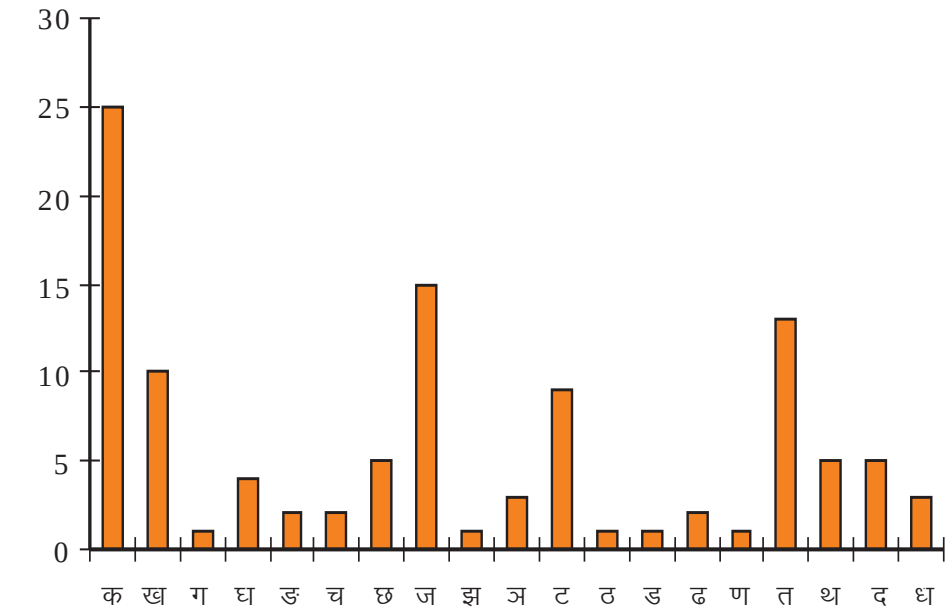

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 108

(तीन मामलों को मिलाकर जिन पर परिषद् ने सीधे निर्णय किया)

क.	उत्तर प्रदेश	25
ख.	दिल्ली	10
ग.	हिमाचल प्रदेश	1
घ.	हरियाणा	4
ङ.	उत्तराखंड	2
च.	पंजाब	2
छ.	मध्य प्रदेश	5
ज.	असम	15
झ.	नागालैंड	1
ञ.	पश्चिम बंगाल	3
ट.	महाराष्ट्र	9
ठ.	छत्तीसगढ़	1
ड	झारखंड	1
ढ.	बिहार	2
ण.	चंडीगढ़	1
त.	कर्नाटक	13
थ.	गुजरात	5
द.	आंध्र प्रदेश	5
ध.	तमिलनाडु	3

सिद्धांत और प्रकाशन

बिक्री के लिए प्रतिस्पर्धी दौड़ में, प्रेस पर प्रायः उन सिद्धांतों को भूल जाने का आरोप लगाया जाता है जो पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को पारंपरिक रूप से प्रिय रहे हैं। मामलों की परिस्थितियों के अनुसार इन विचलनों का स्वरूप भिन्न होता है, परंतु परिषद् ने इन निर्णयों के माध्यम से ऐसे दिशानिर्देश बनाने का प्रयत्न किया है जो, यदि ठीक तरह से अपनाए जाएँ तो, प्रेस को बड़ी सीमा तक वह प्राधिकार, सम्मान तथा प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करेंगे जो पत्रकार वर्ग का अधिकार है।

परिषद् को इस वर्ष के दौरान समाचारपत्रों के विरुद्ध ऐसे अनेक मामले मिले जिनमें शिकायतकर्ता मूलतः इस कारण से पीड़ित थे कि प्रतिवादी समाचारपत्रों ने उनके उत्तर/प्रत्युत्तर/ खंडन प्रकाशित नहीं किए। इस वर्ष दिए गए 21 निर्णय इस कोटि के अंतर्गत आते हैं। इनमें से छह को उपयुक्त निर्देशों के साथ सही माना गया और तीन मामलों को गुणागुण पर अस्वीकार कर दिया गया। ग्यारह शिकायतों को परिषद् ने समाप्त कर दिया क्योंकि प्रतिवादियों ने सुधार करने का आश्वासन दिया। बचा हुआ मामला आधार न होने के कारण ख़ारिज कर दिया गया। नीचे दिया गया चार्ट स्थिति को और स्पष्ट करता है।

सिद्धांत और प्रकाशन

मामलों की कुल संख्या : 21

क.	अनुमोदित	6
ख.	अस्वीकृत	3
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	11
घ.	अनिष्पादन पर खारिज / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	1

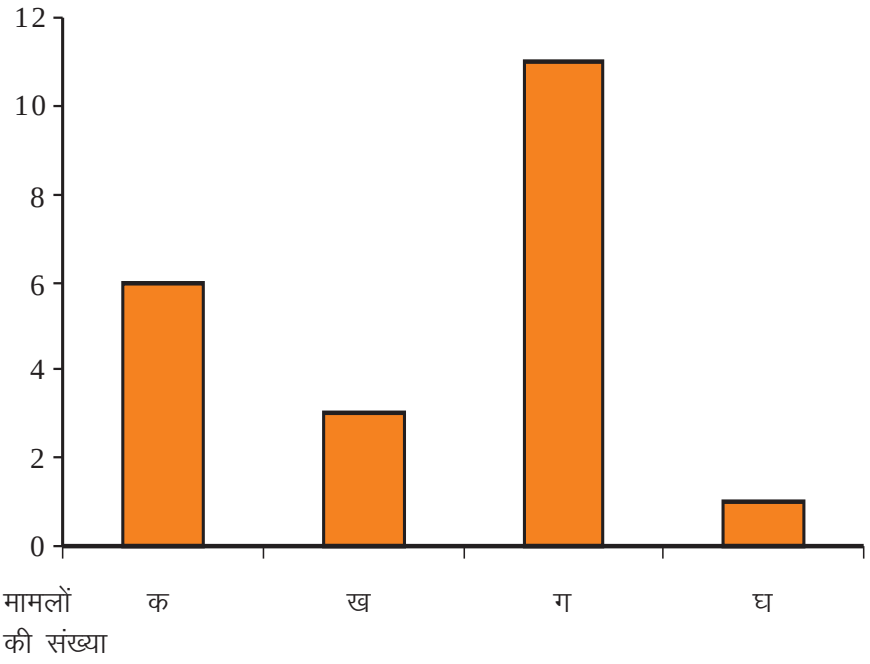

प्रेस और मानहानि

ऐसा देखने में आया है कि देश में प्रिंट मीडिया के कुछ खंड निजी वैमनस्य निकालने के लिए या किसी व्यक्ति/लोक पुरुष/संस्था/संगठन से पैसा ऐंठने में अपनी असफलता के बाद अपने लेखों/स्तंभों के माध्यम से व्यक्तियों, लोक पुरुषों, संस्थाओं की बदनामी करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। परिणामी मानहानिकारक, अपमानजनक, मनगढ़ंत कहानियाँ व्यक्ति/संगठन की बड़े परिश्रम से बनाई हुई प्रतिष्ठा को भारी झटका देती हैं और उन्हें अत्यंत परेशानी में डाल देती हैं। दुर्भाग्यवश, यह कुरीति बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और छोटे समाचारपत्रों में अधिक प्रचलित है जो नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होते। परिषद् को हर वर्ष मानहानिकारक प्रकाशनों के आरोपों वाली अनेक शिकायतें मिलती हैं।

परिषद् में प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस शीर्ष के अंतर्गत दाख़िल की गई शिकायतें कुल शिकायतों का लगभग 70 प्रतिशत होती हैं। यह इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि प्रेस के विरुद्ध मामलों में 105 निर्णयों में से अधिकतर शिकायतें कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के कारण की गई हैं।

परिषद् ने इस वर्ष कथित मानहानिकारक प्रकाशनों से संबंधित 73 शिकायतों का निर्णय किया। इनमें से 26 मामलों में प्रेस को पत्रकारिता के आचार के उल्लंघन का दोषी पाया गया और 13 मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। 24 मामलों में परिषद् ने पक्षकारों के बीच समझौता करवा दिया और 10 शिकायतों को समाप्त कर दिया - आरोपों की पैरवी न किए जाने के कारण या मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण या पक्षकारों को सुनने के बाद परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने के कारण। नीचे दिया गया ग्राफ़ स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस और मानहानि

मामलों की कुल संख्या : 73

क.	अनुमोदित	26
ख.	अस्वीकृत	13
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	24
घ.	अनिष्पादन पर खारिज / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	10

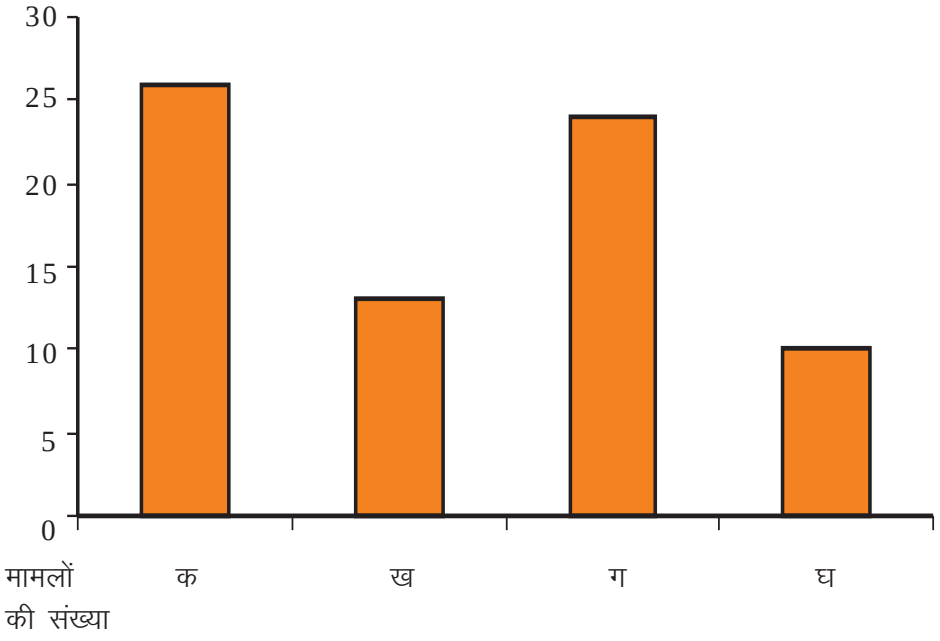

प्रेस और नैतिकता

लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका लोगों के हित के प्रहरी की होती है। परंतु, यदि इस शक्तिशाली प्रहरी को यथोचित नियंत्रण में न रखा जाए तो यह उन्हीं लोगों को हानि पहुँचा सकता है जिनकी इसे सेवा करनी है। यदा-कदा की चूकों को छोड़कर, भारत में सुस्थापित समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं ने पश्चिम के दूषित विचारों एवं प्रभावों के बीच भी व्यावसायिक ईमानदारी के उपयुक्त मानक बनाए रखे हैं। परंतु, दुर्भाग्यवश प्रेस का एक भाग ऐसा भी है जो भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं के नैतिक ढाँचे की मज़बूती को खंडित करते हुए उनकी रौ में बह जाता है। उनका प्रमुख लक्ष्य और शिकार किशोर तथा भावुक मन होता है। जब कभी परिषद् को ऐसी घटनाओं का पता चलता है, वह स्वप्रेरणा से कार्रवाई शुरू कर देती है। इसके अलावा, वह ऐसे मामलों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर भी निर्णय लेती है।

सात मामलों में, परिषद् द्वारा अश्लीलता के प्रश्न पर निर्णय लिया गया। दो मामलों में समाचारपत्रों के विरुद्ध जनरुचि तथा नैतिकता के प्रति अपराध के आरोप स्वीकार किए गए। दो मामलों में कार्रवाई छोड़ दी गई और तीन मामले आश्वासन पर तय कर दिए गए। नीचे दिया गया चार्ट स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस और नैतिकता

मामलों की कुल संख्या : 7

क.	अनुमोदित	2
ख.	अस्वीकृत	—
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	3
घ.	अनिष्पादन पर खारिज / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	2

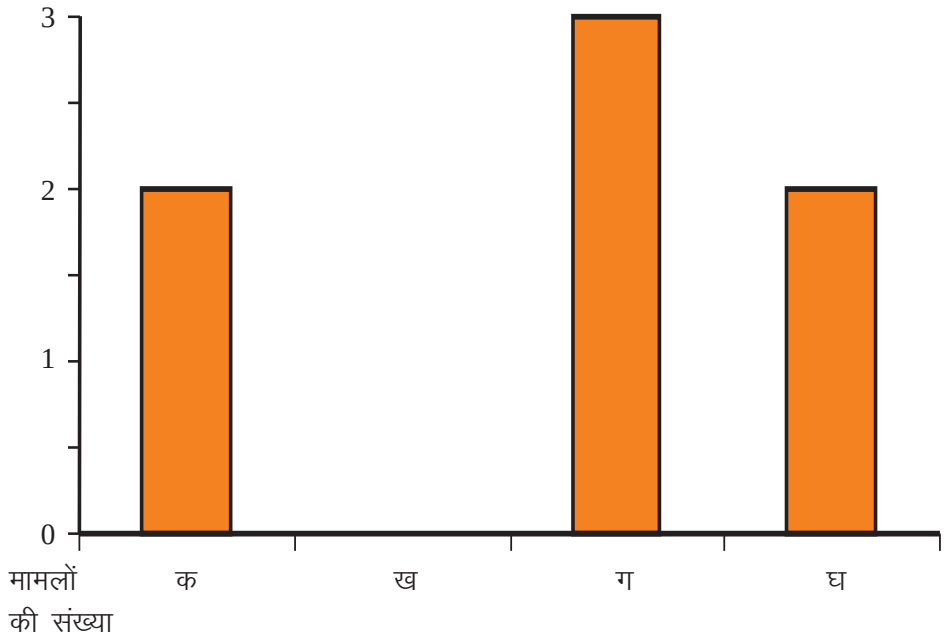

सांप्रदायिक, जातिवादी और धर्म-विरोधी लेखन

सांप्रदायिक उन्माद और जातिवादी हिंसा के कृत्य हमारे देश की एकता तथा सुरक्षा के लिए ख़तरा बने हुए हैं। शांति एवं समृद्धि के लिए और हमारे देश के स्वस्थ विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता नितांत आवश्यक है। इस संबंध में प्रेस को बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारत में प्रेस की एक समृद्ध विरासत और भव्य परंपरा है। हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता और एकता केवल हमारे संविधान के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज के लिए मूलभूत हैं और वस्तुतः देश की सही समृद्धि एवं विकास के लिए पूर्वापेक्षा हैं - राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। प्रेस में जनता के मन को प्रभावित करने और जनता की राय को बदलने की क्षमता है। उसे चाहिए कि विचारों, घटनाओं तथा टिप्पणियों की अपनी रिपोर्टिंग द्वारा अपना ध्यान विभाजक बलों को दबाने तथा नियंत्रित करने पर और राष्ट्रीय अखंडता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करे ।

परिषद् ने कई बार प्रेस से अपील की है कि जिन मामलों में समुदायों/जातियों की भावनाएँ निहित हों, उन पर रिपोर्टिंग करते समय यथोचित सतर्कता तथा सावधानी बरते और उसे यह भी सलाह दी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापनों की बारीकी से जाँच करे कि उनमें कोई सांप्रदायिक या राष्ट्रविरोधी बात नहीं है और घटनाओं की रिपोर्टिंग राष्ट्र के समग्र हित को ध्यान में रखकर करे । इस संबंध में प्रेस के मार्गदर्शन के लिए परिषद् ने मानकों का बहुत विस्तृत सेट निकाला है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने इस कोटि के अंतर्गत चार शिकायतों का निर्णय किया। चारों मामले आश्वासन पर तय कर दिए गए। आगे ग्राफिक प्रस्तुति दी गई है।

सांप्रदायिक, जातिवादी और धर्म-विरोधी लेखन

मामलों की कुल संख्या : 4

क. अनुमोदित	–
ख. अस्वीकृत	–
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	4
घ. अनिष्पादन पर खारिज / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीन होने पर समाप्त	–

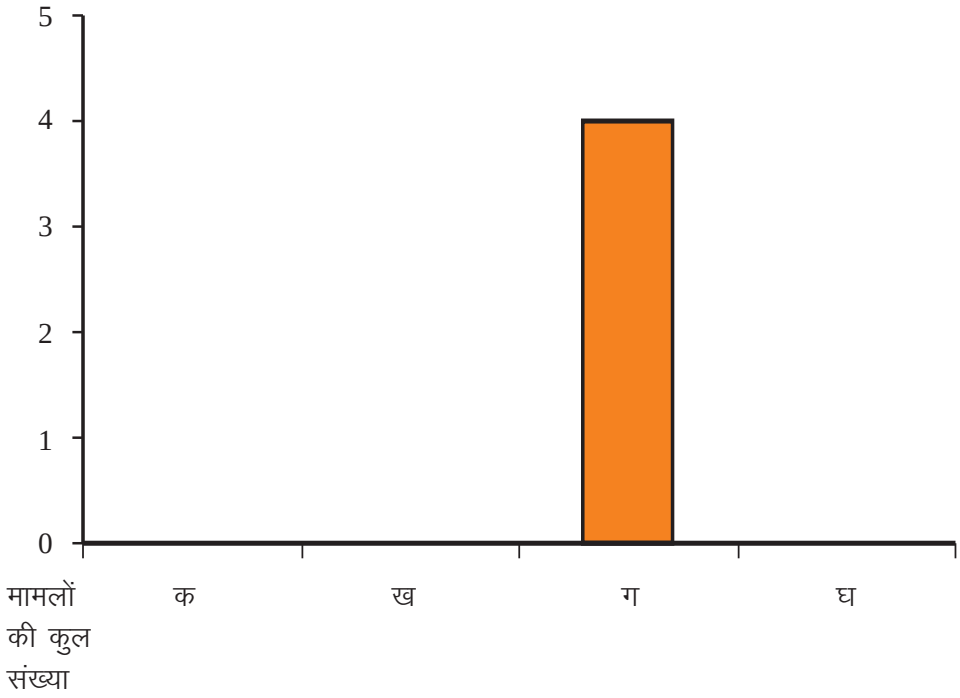

❐

अध्याय IV

करावली अली, मेंगलूर के प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख संपादक की समाज-विरोधी तत्वों और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत पर परिषद् की रिपोर्ट

2.3.2009 को स्वीकार की गई

शिकायत

श्री बी.वी. सीताराम, प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख संपादक, करावली अली, मेंगलूर से फ़ेक्स शिकायत दिनांक 13.12.2008 प्राप्त होने पर, जिसमें यह कहा गया था कि संवेदी मुद्दों पर संपादकीय छापने के लिए समाज-विरोधी तत्त्वों ने शिकायतकर्ता पर, उसके समाचारपत्र की स्थापना पर उसके प्रिंटिंग प्रेस सहित, उसके वितरकों तथा फेरीवालों पर आक्रमण किया और समाचारपत्र के बंडल जला दिए और बाद में पुलिस अधिकारियों की भूमिका असंतोषजनक रही, प्रेस परिषद् ने पहले इस मामले पर कर्नाटक सरकार की राय माँगी और 30.12.2008 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री को शीघ्र कार्रवाई के लिए लिखा। बाद में, 6.1.2009 को दि हिंदू में 'कर्नाटक के पत्रकार को मानहानि के मामले में पकड़ा गया, हथकड़ी लगाई गई' शीर्षक से छपी समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, परिषद् ने स्थल पर जाँच के लिए एक * समिति गठित की जो बैंगलूरु तथा मेंगलूर गई और स्थिति का स्थल पर जायज़ा लिया।

समिति की रिपोर्ट

समिति ने सरकारी अधिकारियों सहित विभिन्न लोगों से बातचीत की और अपने निष्कर्ष नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत किए :

1. करावली अली और फेरीवालों को जो परेशानियाँ भुगतनी पड़ीं, वे वास्तविक और गंभीर हैं। समाचारपत्र के स्टालों पर आक्रमण किया गया और चेतावनी की उपेक्षा करने पर विक्रेताओं को भीषण परिणामों की धमकी दी गई। समिति ने भारतीय स्टेट बैंक बस स्टाप के निकट बुन्देर रोड पर समाचारपत्र का ऐसा एक स्टाल देखा। परंतु, पुलिस का और पुलिस अधीक्षक, श्री एन. सतीश कुमार का दावा है कि पिछले दो-तीन सप्ताह में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। शायद यह घटना पीसीआई समिति को उसके दौरे के अवसर पर एक चुनौती के रूप में उद्दिष्ट थी। समिति का मानना था कि यह पुलिस को भी चुनौती हो सकती है। जब बैठक के दौरान यह मामला

---

* सदस्य थे सर्वश्री कुंदन रमण लाल व्यास और के. श्रीनिवास रेड्डी

पुलिस अधीक्षक की जानकारी में लाया गया तो उसने अनिभज्ञता जताई। हो सकता है कि उसे इस घटना की सूचना न मिली हो क्योंकि यह उसके साथ बैठक से दो घंटे पहले ही घटी थी। तथापि, उसने पता करने और समिति को सूचित करने का वादा किया। बाद में उसने टेलीफोन से बताया कि मामले में दो व्यक्तियों को पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए मानव अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता आदि के विभिन्न संगठनों ने पुलिस पर आपत्ति उठाई है और आलोचना की है। उसने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों को अदालत द्वारा आसानी से ज़मानत पर छोड़ दिया जाता है और पुलिस असहाय है।

2. समिति को विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों और पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का आकलन करने के बाद, मौखिक भी और लिखित भी, समिति की राय थी कि गिरफ़्तारी के समय और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते समय करावली अली के प्रमुख संपादक, श्री बी.वी. सीताराम को हथकड़ी तथा बेड़ी पहनाने की बात सही है और बिना किसी शक के प्रमाणित हो गई है।

श्री सीताराम को हथकड़ी और बेड़ी पहनाने के मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक, मेंगलूर के साथ चर्चा की गई थी। उसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि श्री सीताराम को हथकड़ी क्यों लगाई गई और यह आदेश किसने दिया? बताया गया कि यह निचले स्तर की पुलिस द्वारा किया गया है। यद्यपि श्री सीतराम ने हथकड़ी लगाने का आग्रह स्वयं किया था क्योंकि उसे अपहरण का ख़तरा था। समिति का मानना था कि शायद पुलिस का यह दावा सही न हो क्योंकि हथकड़ी और बेड़ी पहने हुए व्यक्ति का अपहरण सरल होगा, खुले हाथों वाले व्यक्ति की बजाय जो ऐसे प्रयास का प्रतिरोध कर सकता है।

5 जनवरी 2009 को श्री सीताराम को हथकड़ी और बेड़ी के साथ सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविज़न) और न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के सामने प्रस्तुत किया गया और उसे 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत ने ज़मानत दे दी किंतु श्री सीताराम ने यह कहते हुए मुचलका देने से इनकार कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए न्यायिक हिरासत में रहना चाहता है।

जस्टिस सालदान्हा (सेवानिवृत्त) के साथ भी इस मामले पर चर्चा की गई थी। उसने विस्मय प्रकट किया कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को उसी समय बरख़ास्त क्यों नहीं कर दिया। श्री सीतराम कोई भयानक अपराधी या समाज-विरोधी तत्त्व नहीं था और न ही उसने गिरफ़्तारी से बचने या प्रतिरोध करने की कोशिश की थी। मीडिया द्वारा हो-हल्ला करने और प्रेस परिषद् द्वारा मामले को गंभीरता से लिए जाने के बाद ही पुलिस तंत्र हरकत में आया और घटना के चार दिन बाद दो पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित किया गया।

3. श्री सीताराम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पुलिस को चाहिए था कि उसे उडुपी अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती और पर्याप्त कारण बता कर उसके आदेश लेती। परंतु प्रतीत होता है कि उसे उडुपी अधिकार क्षेत्र से मैसूर ले जाने के लिए पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया। पुलिस ने इस विसंगति को स्पष्ट नहीं किया। वे यह भी नहीं बता पाए कि श्री सीताराम को उडुपी अस्पताल से, जहाँ उसे पहले भरती किया गया था, डॉक्टरों के विरोध के बावजूद मैसूर क्यों ले जाया गया।

4. कर्नाटक सरकार ने प्रकाशन के अनुपालन के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, यद्यपि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है किंतु समाचारपत्र के हर स्टाल पर कांस्टेबल की व्यवस्था करना संभव नहीं है। तब तक, अपर मुख्य सचिव (गृह) ने आश्वासन दे दिया था कि जनवरी 2009 के अंत तक भारतीय प्रेस परिषद् के माननीय अध्यक्ष को लिखित रिपोर्ट भेज दी जाएगी। समिति ने मामले में अंतिम निर्णय तक पहुँचने से पहले रिपोर्ट की प्रतीक्षा की।

5. ऐसा प्रतीत हुआ कि करावली अली और एक अन्य ईवनिन्जर अर्थात् विजयकरण के बीच एक अभद्र प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक शत्रुता है। वे न तो स्थायी शत्रु हैं और न ही मित्र। इन दिनों करावली अली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की और राजनीति के अपराधीकरण की आलोचना करता रहा है। फिर भी, समिति ने देखा कि समाचारपत्र के प्रमुख संपादक को परेशान करने के लिए उसके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर अनेक कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। परंतु भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी नागरिक को हथकड़ी लगाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

6. समिति ने यह भी देखा कि कुल मिलाकर प्रमुख संपादक, श्री बी.वी. सीताराम के लिए, उसके लेखनों तथा प्रतिष्ठा के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। फिर भी, इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता और श्री सीताराम को हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ पहनाने के लिए भी पुलिस की भर्त्सना करने में सब एकमत थे।

परिषद् की रिपोर्ट

परिषद् ने 2.3.2009 को हुई अपनी बैठक में देखा कि समिति की रिपोर्ट के बाद आई सरकार की लिखित रिपोर्ट में कहा गया है कि "3.2.2007 को श्री राज वर्मा बल्लाल, सुपुत्र के.बी. बल्लाल, निवासी बारेबेल, मेंगलूर ने पानम्बूर पुलिस में एक लिखित शिकायत दी थी कि श्री बी.वी. सीताराम और उसकी पत्नी श्रीमती रोहिणी ने जो दैनिक समाचारपत्र करावली अली के क्रमशः स्वामी और प्रबंध निदेशक हैं और श्री बी.एस. शिवप्रसाद, संपादक ने करावली अली, दैनिक समाचारपत्र में जैन दिगंबर मुनियों के विरुद्ध मानहानिजनक लेख प्रकाशित किए हैं जिनसे जैन और हिंदू समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है, जिसके बाद श्री बी.वी. सीताराम तथा अन्य लोगों के विरुद्ध भा.द.सं. के साथ पढ़ी गई धारा 153 (क), (ख), 295

(क) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आपराधिक मामला सं. 30/2007 दर्ज किया गया। अभियुक्तों को गिरफ़्तार करके अदालत भेजा गया जिसने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया।

उसके दैनिक समाचारपत्र, करावली अली में प्रकाशित इन उत्तेजक समाचारों की प्रतिक्रिया में हिंदू युवाओं ने उसके प्रेस तथा कार्यालय पर हमला करके और पत्थर फेंक कर विरोध प्रकट किया। बाद में, कुछ बदमाशों ने कुछ क्षेत्रों में समाचारपत्र के बंडलों को आग लगा दी। अतः, एक बंदूकधारी को चौबीसों घंटे तैनात करके श्री बी.वी. सीताराम को उपयुक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, और 13.10.2008 से करावली अली प्रिंटिग प्रेस पर भी लागू कर दी गई है।

बाद में, श्री बी.वी. सीताराम को और उसके प्रिंटिग प्रेस को यथेष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ज़िला पुलिस द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। श्री सीताराम को एक निजी बंदूकधारी की भी पेशकश की गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने लिख कर दिया है कि जब कभी उसे बंदूकधारी की आवश्यकता होगी, वह एक घंटा पहले अपनी माँग भेज देगा।

तथापि, उसके घर तथा उसके प्रिंटिंग प्रेस दोनों के निकट पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। उसके घर के निकट बीट पाइंट बुक्स रख दी गई हैं। बीट कांस्टेबल जाते हैं और दिन में चार बार पाइंट बुक्स पर हस्ताक्षर करते हैं। समाचारपत्र के वितरण में विघ्न डालने वाली घटनाओं के बाद, स्थानीय पुलिस ने किसी भय के बिना समाचारपत्र का वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। त्रास तथा हमलों में शामिल व्यक्तियों की पहचान हो गई है और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध उपद्रवी पत्र बनाए गए हैं। समाचारपत्र के बंडल ले जाने वाले वाहन को एस्कोर्ट भी उपलब्ध करा दी गई है। समाचारपत्र की बिक्री सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए समाचारपत्र के वितरण के समय शहर में तीव्र गश्त की जाती है।

पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी रेन्ज, ने स्थिति की समीक्षा की है और चित्रा पब्लिकेशन प्रिंट लि. तथा बी.वी. सीताराम के प्रिंटिंग प्रेस को बैकमपाडी में यथेष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधीक्षक, डी.के. को अनेक निदेश जारी किए हैं।

करावली अली के संपादक को हथकड़ी लगाने के संबंध में, मामले को गंभीरता से लिया गया है और दो पुलिस कर्मियों अर्थात् श्री नागेश, एएचसी. 1446 और श्री के.एस. अरविंद, एएचसी. 243 को अनुशासनिक कार्यवाही होने तक निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विरुद्ध काम किया है।

परिषद् का अनुसमर्थन

समिति के सामने विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों और पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए साक्ष्य, मौखिक और लिखित दोनों, और सरकार की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद परिषद् की राय थी कि गिरफ़्तारी और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के समय श्री बी.वी. सीताराम

को हथकड़ी पहनाने का आरोप सही है और निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है और पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के विरुद्ध थी। और, कर्नाटक सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि समाचारपत्र का प्रकाशन बिना किसी खतरे या बाधा के होता रहे।

परिषद् ने निर्णय लिया कि मुद्दे को एक तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाने की ज़रूरत है, अतः रिपोर्ट शिकायतकर्ता को और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी जाए।

❐

अध्याय- V

परिषद् का वित्त 2008-2009

केंद्रीय सरकार द्वारा 2007-08 में स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए परिषद् का बजट अनुमान 262.04 लाख रुपए था। जनवरी 2009 में 2008-09 के लिए अनुमानों का पुनरीक्षण करके केंद्रीय सरकार ने 361.04 लाख रुपए का बजट स्वीकार कर लिया जिसमें राजस्व प्राप्ति का अनुमान 45.00 लाख रुपए है और सहायता अनुदान 316.04 लाख रुपए है। परिषद् की पुनरीक्षित अनुमान की माँग 414.54 लाख रुपए थी। परिषद् की निधि के मुख्य स्रोत हैंः (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं से तथा समाचार एजेंसियों से परिषद् द्वारा शुल्क की प्राप्ति और अन्य विविध प्राप्तियाँ यथा बैंक खाते पर ब्याज आदि, और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान।

अतिरिक्त माँग को पूरा करने के लिए परिषद् ने अपने राजस्व में वृद्धि करके अंतिम प्राप्ति 97.14 लाख रुपए कर ली। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान परिषद् को केंद्रीय सरकार से 315.73 लाख रुपए का सहायता अनुदान मिला और 42.17 लाख रुपए इसने समाचारपत्रों/पत्रिकाओं तथा समाचार एजेंसियों से शुल्क के रूप में प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन वर्ष के दौरान 54.97 लाख रुपए विविध स्रोतों से प्राप्त हुए यथा बैंक खातों पर ब्याज, बैंक में सावधि निक्षेपों पर ब्याज आदि।

अधिनियम के अधिदेश के अंतर्गत उन पर लगाए गए शुल्क के भुगतान में चूक करने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं से यथासंभव राजस्व की वसूली के लिए ज़ोरदार प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के दौरान परिषद् ने बाकीदारों से 14.76 लाख रुपए की बक़ाया राशि वसूल की। यह राशि उपर्युक्त 42.17 लाख रुपए की कुल राशि में शामिल है। इसके अतिरिक्त, संबंधित प्रकाशनों के बंद हो जाने की पुष्टि के बाद 3.19 लाख रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद् के लेखे उस विधि से रखे और लेखापरीक्षित किए जाएँगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय राजस्व के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित कर दिया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं। परिषद् के वार्षिक लेखे इसके साथ संलग्न हैं।

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2009 तक का तुलन पत्र

राशि रूपये

देयता	तालिका	चालू वर्ष	गत वर्ष
पूँजीगत कोष	1	50,322,940	50,915,844
अंशदायी भविष्य निधि	2	57,813,649	46,414,706
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	3	2,407,268	588,759
कुल		**110,543,857**	**97,919,309**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	5,085,728	5,678,148
निवेश-(विशेष प्रयोजन) के लिए उद्दिष्ट निधि से	5	54,380,617	45,975,645
वर्तमान परिसम्पत्ति,ऋण, अग्रिम आदि	6	51,077,512	46,265,516
कुल		**110,543,857**	**97,919,309**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 13
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी 14

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

आय	तालिका	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	6,372,611	5,274,090
भारत सरकार से अनुदान	8	27,568,756	19,921,535
अर्जित ब्याज	9	4,922,025	3,671,760
कुल (क)		**38,863,392**	**28,867,385**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	30,814,859	20,189,587
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	8,228,262	7,409,312
वित्त खर्च	12	7,479	4,760
मूल्यह्रास (तालिका 4 के अनुरूप)		**759,647**	**837,865**
कुल (ख)		**39,810,247**	**28,441,524**
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		(946,855)	425,861
-पूर्व अवधि समंजन जमा (नामे)		186,724	(950)
-विशेष रिज़र्व में अंतरण (प्रत्येक का विशेष रूप से उल्लेख करना)			
-सामान्य रिज़र्व से/में अंतरण			
अधिशेष/(घाटा) आय व्यय खाते में ले जाया गया		**(760,131)**	**424,911**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	13
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी	14

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
अनुसूचियाँ, जो 31.3.2009 की बैलेन्स शीट का अंग हैं

अनुसूची-1 - पूँजी निधि

राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
क. पूँजी निधि :				
वर्ष के शुरू में शेष	7,618,384		10,244,740	
जोड़ें : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधियाँ	173,585		564,612	
जोड़ें : पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाली गई अतिरिक्त राशि जो वापस ले ली गई है	-		-	
	7,791,969		10,809,352	
घटाएँ : स्थिर परिसंपत्तियों पर पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यह्रास की राशि			3,188,701	
घटाएँ : अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	6,358	7,785,611	2,267	7,618,384
क. आय और व्यय लेखा :				
वर्ष के शुरू में शेष	43,297,460		42,872,549	
जोड़ें / (घटाएँ) आय और व्यय से अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष	(760,131)		424,911	
जोड़ें / (घटाएँ) अन्य समायोजन (स्पष्ट करें)				
पिछले वर्ष में बुक किया गया अतिरिक्त ब्याज वापस लिया गया		42,537,329		43,297,460
योग		**50,322,940**		**50,915,844**

अनुसूची-2 - सी. पी. एफ़. निधियाँ राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
क) निधियों का अथ शेष		46,414,706		39,316,331
ख) निधियों में वृद्धि :				
i. सी. पी. एफ़ में परिषद् का योगदान	2,842,003		953,672	
ii. सी. पी. एफ़ में कर्मचारियों का योगदान	5,851,245		4,270,179	
iii. सी. पी. एफ़ निधियों पर सरकार से ब्याज	3,818,357	12,511,605	3,183,224	8,407,075
योग (क + ख)		58,926,311		47,723,406
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/खर्चा				
सी. पी. एफ़. आहरण	1,929,348		715,000	
जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान			-	
पिछले वर्ष सीपीएफ़ में अतिरिक्त क्रेडिट की वापसी			-	
पीएफ़ अग्रिम	(816,686)		539,700	
अन्य	-	1,112,662	-	1,308,700
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क + ख - ग)		**57,813,649**		**46,414,706**

अनुसूची-3 - चालू देयताएँ और प्रावधान राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
क) चालू देयताएँ				
1. प्राप्त अग्रिम				
- शुल्क की अग्रिम उगाही	84,338		109,918	
- उगाही शुल्क उचंत	57,351	141,689	73,401	183,319
2. ज़मानत जमा		31,000		31,000
3. पूर्व कर्मचारयों के वारिसों को देय		862,222		287,850
4. अन्य चालू देयताएँ		1,333,064		55,961
5. अव्ययित अनुदान		39,293		30,629
योग (क)		**2,407,268**		**588,759**
ख. प्रावधान				
योग (क + ख)		**2,407,268**		**588,759**

भारतीय प्रेस परिषद्
अनुसूचियाँ, जो 31.3.2009 की बैलेन्स शीट का अंग हैं

अनुसूची-4 - स्थिर परिसंपत्ति

वर्णन	सकल ब्लॉक			
क. स्थिर परिसम्पत्ति :	01.04.08 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती, समायोजन	31.03.09 को लागत
फ़र्नीचर और फ़िक्सचर	4,043,574	128,315	—	4,171,889
वातानुकूलक और कूलर	911,209	—	—	911,209
कंप्यूटर / पेरिफ़रल	3,549,145	—	—	3,549,145
ईपीएबी एक्स तंत्र	258,800	—	—	258,800
कान्फ़्रेंस तंत्र	27,820	—	—	27,820
पुस्तकालय की किताबें	676,088	21,286	—	697,374
हीट कन्वर्टर और हीटर	35,764	—	—	35,764
टेप रिकार्डर	6,618	—	—	6,618
मोबाइल फ़ोन	20,100	—	8,800	11,300
स्टेबिलाइज़र	67,750	3,684	—	71,434
कार और बाइसिकल	743,237	2,500	—	745,737
टेलीविज़न	78,190	—	—	78,190
टाइपराइटर और डुप्लीकेटर	133,029	—	—	133,029
उपस्थिति रिकार्डिंग तंत्र	82,000	—	—	82,000
रेफ़्रिजरेटर	34,735	17,800	—	52,535
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	110,227	—	—	110,227
जल वितरक	28,800	—	—	28,800
चालू वर्ष का योग	**10,807,086**	**173,585**	**8,800**	**10,971,871**
ख. चल रहे पूँजीगत काम	**—**	**—**	**—**	**—**
योग	**10,807,086**	**173,585**	**8,800**	**10,971,871**

भारतीय प्रेस परिषद्
अनुसूचियाँ, जो 31.3.2009 की बैलेन्स शीट का अंग हैं

अनुसूची-4 - स्थिर परिसंपत्ति

मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
01.04.08 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	31.03.09 को मूल्यह्रास	31.03.09 को	31.03.08 को
1,848,889	231,289	—	2,080,178	2,091,711	2,194,685
456,672	68,181	—	524,853	386,356	454,537
1,793,164	263,397	—	2,056,561	1,492,584	1,755,981
118,075	21,109	—	139,184	119,616	140,725
26,065	263	—	26,328	1,492	1,755
172,253	78,767	—	251,020	446,354	503,835
12,425	3,501	—	15,926	19,838	23,339
2,703	587	—	3,290	3,328	3,915
4,137	1,441	2,442	3,136	8,164	15,963
30,273	6,175	—	36,448	34,986	37,477
443,006	45,410	—	488,416	257,321	300,231
40,106	5,713	—	45,819	32,371	38,084
116,348	2,502	—	118,850	14,179	16,681
17,527	9,671	—	27,198	54,802	64,473
17,578	5,244	—	22,822	29,713	17,157
23,561	13,000	—	36,561	73,666	86,666
6,156	3,397	—	9,553	19,247	22,644
5,128,938	759,647	2,442	5,886,143	5,085,728	5,678,148
—	—	—	—	—	—
5,128,938	**759,647**	**2,442**	**5,886,143**	**5,085,728**	**5,678,148**

अनुसूची-5 - उद्दिष्ट निधियों के लिए निवेश राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
1. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा				
- सी. पी. एफ़. निधि के प्रति	52,251,522		43,229,999	
- उन पर प्रोद्भूत एफ़डीआर ब्याज	2,129,095	54,380,617	2,745,646	45,975,645
योग		54,380,617		45,975,645

अनुसूची-6 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
क. चालू परिसंपत्तियाँ				
1. विविध देनदार :				
- उगाही शुल्क के कारण				
छह माह से अधिक अवधि तक बकाया ऋण	35,166,176		34,151,001	
अन्य	3,393,125	38,559,301	2,792,612	36,943,613
2. रोकड़ शेष				
(डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
हाथ रोकड़	—			
अग्रदाय लेखा शेष	6,958		10,000	
डाक टिकटें	16	6,974	11,238	21,238
3. बैंक शेष :				
- अनुसूचित बैंकों के पास :				
बचत खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - सामान्य खाता	1,253		2,708	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - उगाही शुल्क खाता	31,066		6,683	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	291,087		125,426	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - सी. पी. एफ़. खाता	5,744,425	6,067,831	2,994,551	3,129,368
निक्षेप खाते				
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - परिक्रामी खाता	2,187,479		2,454,519	
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - खाता गोपा मित्रा	643,899		287,850	2,742,369
- स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद - खाता सुशीला देवी	165,881	2,997,259		
योग (क)		**47,631,365**		**42,836,588**

अनुसूची-6 - (जारी) राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. स्टाफ़ को ऋण :				
- साइकिल अग्रिम			1,050	
- पंखा अग्रिम	300		—	
- उत्सव अग्रिम	47,400		24,900	
- आवास निर्माण अग्रिम	69,685		85,813	
- मोटर कार अग्रिम	320,418		222,254	
- स्कूटर अग्रिम	40,400	478,203	400	334,417
2. प्राप्य मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ और अग्रिम				
- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम	8,737		9,987	
- पार्टियों को अग्रिम	2,215,859		2,309,994	
- यात्रा भत्ता अग्रिम	15,710		270,573	
- स्रोत पर काटा गया कर	293,614		293,614	
- अन्य				
- टीए / डीए वसूलियाँ	2,333		—	
- सी. पी. एफ़. उचंत	6,673	2,542,926	6,673	2,890,841
3. प्रोद्भूत आय				
क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर (प्राप्य अप्राप्त आय रु..... शामिल है)		405,544		173,162
4. विभिन्न विभागों के पास निक्षेप		19,474		30,508
योग (ख)		**3,446,147**		**3,428,928**
योग (क + ख)		**51,077,512**		**46,265,516**

अनुसूची-7 - उगाही शुल्क से तथा अन्य आय राशि रूपये

		चालू वर्ष		गत वर्ष	
1.	समाचारपत्रों / पत्रिकाओं / समाचार एजेंसियों से				
	प्राप्त उगाही शुल्क	4,217,532		3,157,741	
	जोड़ें : पिछले वर्ष के लिए उठाई गई माँग	153,150		600	
	जोड़ें : पिछले वर्षों का अग्रिम समायोजित	26,130		36,023	
	जोड़ें : चालू वर्ष का बकाया शुल्क	3,393,125		2,792,612	
	घटाएँ : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	1,475,752		739,960	
	घटाएँ : अग्रिम/उचंत प्राप्त शुल्क	120,260	6,193,925	42,891	5,204,125
2.	अन्य (स्पष्ट करें)				
	- आय कर की वापसी	—			
	- रद्दी कागज़ की बिक्री	3,857		1,993	
	- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	430		6,472	
	- परिगोष्ठी से आय			61,500	
	- अन्य	174,399	178,686	—	69,965
	योग		**6,372,611**		**5,274,090**

अनुसूची-8 - अनुदान राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
(प्राप्त अप्रतिसंहार्य अनुदान और इमदाद)				
- केंद्रीय सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	31,573,371		23,682,307	
- जोड़ें : पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	30,629		17,693	
	31,604,000		23,700,000	
- घटाएँ : सी. पी. एफ़. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	3,822,366		3,183,224	
- घटाएँ : स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	173,585		564,612	
- घटाएँ : चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	39,293	27,568,756	30,629	19,921,535
योग		27,568,756		19,921,535

अनुसूची-9 - अर्जित ब्याज राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
1. सावधि निक्षेपों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सीपीएफ़ (खाता सामान्य निधि में अंतरित)				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	5,151,207		3,553,775	
जोड़ें : स्रोत पर काटा गया कर			222,705	
घटाएँ : पिछले वर्षों से संबंधित	2,207,820		3,228,702	
जोड़ें : इस वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	1,591,269	4,534,656	2,745,646	3,293,424
- परिक्रामी निधि खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	30,965		127,233	
जोड़ें : स्रोत पर काटा गया कर			25,578	
घटाएँ : पिछले वर्षों से संबंधित	19,182		135,856	
जोड़ें : इस वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	251,564	263,347	173,162	190,117
- सामान्य निधि खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	47,014		83,220	
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज		47,014		83,220
2. बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सामान्य निधि खाता	29,002		13,662	
- सीपीएफ़ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	31,322		37,196	
- उगाही शुल्क खाता	5,242		4,229	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	5,536	71,102	5,032	60,119
3. ऋणों पर :				
क) कर्मचारी / स्टाफ़				
- आवास निर्माण अग्रिम	—		36,056	
- स्कूटर अग्रिम	5,868		8,824	
- साइकिल अग्रिम	38			
- पंखा अग्रिम				
- मोटर कार अग्रिम		5,906		44,880
योग		**4,922,025**		**3,671,760**

अनुसूची-10 - स्थापना व्यय राशि रूपये

		चालू वर्ष	*गत वर्ष*
क)	वेतन और मज़दूरी	21,822,582	17,843,486
ख)	सत्कार भत्ता (बकाया सहित)	4,329,310	—
ग)	समयोपरि भत्ता	20,064	21,771
घ)	ट्यूशन फ़ीस प्रतिपूर्ति	178,182	11,520
ङ)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	377,174	444,026
च)	बोनस	275,094	17,949
छ)	एल. टी. सी.	584,093	373,992
झ)	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	92,973	3,829
ञ)	भविष्य निधि में अंशदान	2,842,003	953,672
ट)	प्रतिनियुक्तों को / (से) छुट्टी वेतन और पेन्शन अंशदान	—	(64,738)
ठ)	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय	293,384	584,080
ड)	अन्य (मानदेय, पुरस्कार)		
	योग	**30,814,859**	**20,189,587**

अनुसूची-11 - अन्य प्रशासनिक व्यय राशि रूपये

	चालू वर्ष	*गत वर्ष*
1. बिजली और पानी	407,247	945,528
2. कार्यालय व्यय	172,811	164,016
3. बीमा	9,401	—
4. मरम्मत और रखरखाव	699,202	802,670
5. वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	248,479	208,669
6. यात्रा और परिवहन व्यय	2,480,430	1,875,832
7. किराया, पौर कर और कर	348,397	224,242
8. डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार	811,923	761,025
9. मुद्रण और स्टेशनरी	850,899	1,122,717
10. समाचारपत्र और पत्रिकाएँ	86,786	88,010
11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी	27,002	26,230
12. आतिथ्य व्यय	—	53,656
13. सबस्क्रिप्शन व्यय	19,489	18,879
14. कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	178,585	132,775
15. प्रदर्शनी और संगोष्ठी	319,636	403,997
16. विज्ञापन और प्रचार	18,962	—
17. अन्य (स्पष्ट करें) - विविध	620	6,285
18. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	319,075	571,561
19. हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार	7,820	3,220
20. भाड़ा और ढुलाई	300	—
21. कार्यशाला व्यय	33,632	—
22. मनोरंजन	62,405	—
23. अन्य देय प्रशासनिक व्यय	1,125,161	—
योग	8,228,262	7,409,312

टिप्पणी -

1. बिजली और पानी का खर्चा अध्यक्ष के निवास पर किया गया है।

अनुसूची-12- वित्त प्रभार

राशि रूपये

	चालू वर्ष	***गत वर्ष***
क) नियत ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर बैंक प्रभार सहित	7,479	4,760
ग) अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	7,479	4,760

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं
की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये, के आधार पर तैयार किये गये हैं ।

2. लेखा प्रणाली

परिषद् लेखा उपार्जित प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाये ।

3. निवेश

क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ख. परिक्रामी (कर्ज़ एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ माना गया है ।

ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उसपर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई ।

4. नियत परिसम्पत्तियाँ

क. नियत परिसम्पत्तियों को, उनपर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है । अर्जन से सम्बद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूँजी में परिणत नहीं किया गया है ।

ख. नियत परिसम्पत्तियों की लागत को चिन्हित करने के लिए पूँजीगत कोष का संधारण किया गया है ।

5. मूल्यह्रास

परिषद् ने अपने प्रारंभ से लेकर 31.3.2006 तक अपनी परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया था । आयकर नियमों के अनुसार निम्नलिखित दर अर्थात् फर्नीचर

और स्थिर वस्तुएँ 10% की दर पर और अन्य परिसम्पत्तियाँ 15% की सामान्य दर पर मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए 31.3.2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस संबंध में नीति में परिवर्तन के अनुसार किया जा रहा है ।

6. सरकारी अनुदान

(क) सरकारी अनुदान का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों में जोड़ के लिए प्रयुक्त अनुदान को पूँजीगत निधि में अंतरित किया गया है ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है ।

(घ) वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान को अगले वर्ष उपयोग में लाने के लिए आरक्षित और अतिरिक्त राशि में अंतरित किया गया है ।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है । उपदान देय, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) परिषद् अपने अंशदायी भविष्य निधि कोष का रख-रखाव कर रही है ।

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव

भारतीय प्रेस परिषद्
31.3.2009 को वर्ष की समाप्ति पर लेखाओं की
अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14 - आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयता

परिषद् के विरूद्ध दावों की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, कर्ज एवं अग्रिम

क. पक्षों को अग्रिम, विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों में शेष राशि की सम्बद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है ।

ख. परिषद्-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों, कर्ज़ और अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य है जोकि कम से कम, व्यवसाय में साधारणतया तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि के समान है ।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद् की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. गत वर्ष के तदनुरूप आँकड़ों का, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव

भारतीय प्रेस
31.3.2009 को समाप्त वर्ष

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हस्तरोकड़ (उचंत खाता)		10,000		91,639
ख) बैंक में शेष				
- सामान्य कोष	2,708		(85,397)	
- शुल्क उगाही खाता	6,683		3,071	
- परिक्रामी राशि (ऋण और अग्रिम)	125,426		209,256	
- अंशदायी भविष्य निधि खाता	2,994,551	3,129,368	3,476,740	3,603,670
ग) डाक-टिकट		11,238		8,380
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)		31,573,371		23,682,307
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- सावधि निक्षेप	5,229,186		3,764,228	
- बचत खाते	71,102	5,300,288	60,119	3,824,347
ख) ऋण, अग्रिम आदि		5,906		44,880
IV. अन्य आय (स्पष्ट करें)				
समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त उगाही शुल्क		4,217,532		3,157,741
अन्य		178,686		69,965
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियाँ				
एफ़डीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा	267,040		2,327,286	
- सी. पी. एफ. लेखा	15,991,612		35,876,269	
- अन्य	4,000,000	20,258,652	5,000,000	43,203,555
VI. कोई अन्य प्राप्तियाँ				
क) ज़मानतों की वापसी				
- विभागों के पास निक्षेप	11,034		27,073	
- रद्दी कागज़	—	11,034	—	27,073

परिषद्
के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 10 के अनुसार)		30,740,916		19,901,737
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार) (पिछले वर्ष के अग्रिमों को समायोजित करके)		6,268,863		6,622,607
II. निधियों के प्रति किए गए भुगतान				
परिक्रामी निधि के प्रति किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण				
- उत्सव अग्रिम	81,000		48,000	
- स्कूटर अग्रिम	48,000		—	
- पंखा अग्रिम	1,000		1,500	
- मोटर कार अग्रिम	155,000	285,000	237,800	287,300
सी.पी.एफ़. निधि के प्रति				
- स्टाफ़ को अग्रिम / आहरण	1,763,055		2,349,051	
- जाने वाले कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	—	1,763,055	—	2,349,051
III. किए गए निवेश और निक्षेप				
क) निर्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	—		2,454,519	
- सी.पी.एफ़. निधि के प्रति	25,013,135	25,013,135	43,229,999	45,684,518
ख) अपनी निधियों से				
- सुश्री गोपा मित्रा, सुशीला के उपदान के लिए	521,930		287,850	
- अन्य	4,000,000	4,521,930	5,000,000	5,287,850
IV. चल रहे पूँजीगत कार्य और नियत परिसम्पत पर व्यय				
क) नियत परिसम्पत की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	21,186		77,924	
- फर्नीचर और अन्य	152,299		486,688	
- टेलीफोन उपकरण	—	173,485	—	564,612

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	16,128		63,488	
- उत्सव अग्रिम	58,500		45,900	
- स्कूटर अग्रिम	8,000		27,174	
- मोटर कार अग्रिम	56,836		15,546	
- साइकिल अग्रिम	1,050		450	
- पंखा अग्रिम	700	141,214	—	152,558
ग) कर्मचारियों से वसूली सी. पी. एफ़. अंशदान और ऋण की वापसी	7,168,931	7,168,931	5,310,530	5,310,530
घ) सामान्य निधि से सी. पी. एफ़. निधि को अंतरित राशिः				
- पीएफ़ में परिषद् के अंशदान के लिए	2,842,003		953,672	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	2,628,606		2,109,253	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	1,189,751		1,073,971	
- अन्य	—	6,660,360	—	4,136,896
कुल		**78,666,580**		**87,313,541**

भुगतान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख) चल रहे पूँजीगत काम पर व्यय				
V. अधिशेष धनराशि / ऋणों की वापसी				
क) भारत सरकार को (टीडीएस)	—		—	
ख) अतिरिक्त उगाही शुल्क लौटायी	—	—	—	—
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		7,479		4,760
VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ़. निधि को अंतरित राशिः				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	2,628,606		2,109,253	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज के लिए	1,189,751		1,073,971	
- अन्य	—	3,818,357	—	3,183,224
ख) अग्रिम				
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	7,355		6,677	
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	—		—	
- अन्य के लिए	(7,800)	(445)	269,349	276,026
घ) स्टाफ़ को किया गया वेतन का अधिक भुगतान		—		—
ङ) ज़मानत जमा				1,250
VIII. इति शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		6,958		10,000
ख) बैंक शेष				
- सामान्य निधि	1,253		2,708	
- शुल्क उगाही खाता	31,066		6,683	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	291,087		125,426	
- सी. पी. एफ़. खाता	5,744,425	6,067,831	2,994,551	3,129,368
ग) डाक टिकटें		16		11,238
कुल		**78,666,580**		**87,313,541**

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

❐

संलग्नक-क

मामलों का विवरण
(1 अप्रैल, 2008 - 31 मार्च, 2009)

क्रम सं.	विवरण	धारा-13	धारा-14	कुल
1.	31-3-2008 को लंबित मामले	126	633	759
2.	1-4-2008 से 31-3-2009 के बीच दाखिल मामले	185	541	726
3.	1-4-2008 से 31-3-2009 के बीच निर्णीत मामले	30	105	135
4.	परिषद् के सम्मुख सीधे प्रस्तुत मामले	-	3	3
5.	1-4-2008 से 31-3-2009 के बीच जाँच विनियम 1979 के विनियम 5(1) के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णीत मामले	71	372	443
6.	31-3-2009 को विचाराधीन मामले	210	694	904*

❐

*पाद टिप्पणः 31 मामलों में सुनवाई हो चुकी है और निर्णय अभी विचाराधीन है और 38 मामले सुनवाई के लिए अग्रवर्ती हैं ।

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 676] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2008/वैशाख 29, 1930

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2008

क.आ. 1171-(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गनेन्द्र नारायण रॉय के भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन को *अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 4/18/2007-प्रेस]

स्तुति कक्कड़ संयुक्त सचिव

p

* दिनांक 18 जून, 2008 के शुद्धिपत्र के जरिये यथासंशोधित

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II–खण्ड 3–उप–खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 1329] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2008/भाद्र 28, 1930

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

का.आ. 2242(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा ६ की उप-धारा (६) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (5) के अनुसरण में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट डॉ. के. केशवराव के नाम को अधिसूचित करती है और उक्त प्रयोजन के लिय भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 39(अ), तारीख 7 जनवरी, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "संसद सदस्य [धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"28.	डॉ. के. केशवराव, वर्तमान पता: 7, केनिंग लेन, नई दिल्ली-110001. स्थायी पता: 8-2-६9६/21/ए, एन.बी.टी. कालोनी, मार्ग संख्या 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-34.	राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट"

स्तुति कक्कड़, संयुक्त सचिव

p

निर्णयों का आलेख 2008-2009

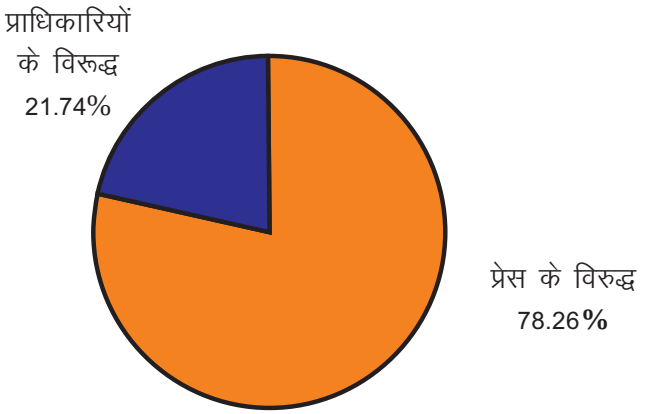

प्राधिकारियों के विरुद्ध

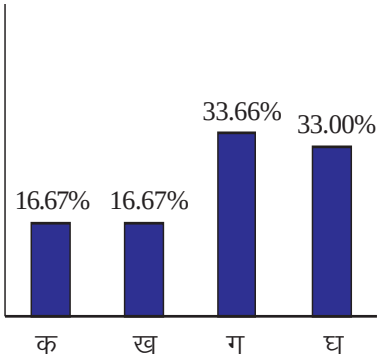

प्रेस के विरुद्ध

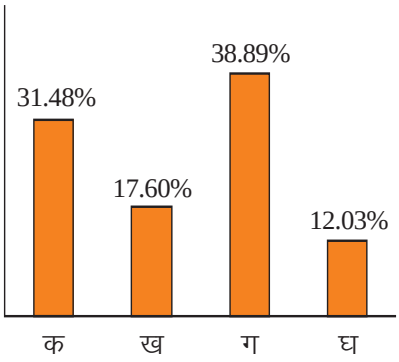

पाद टिप्पणः

क. अनुमोदित

ख. अस्वीकृत

ग. आश्वासन/समर्थित/संशोधित

घ. अनिष्पादन/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनता के कारण कार्रवाई समाप्त

p

प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी संबंधी शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारिणी (2008-2009)

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	समाचारकर्मियों का उत्पीड़न		
1.	श्री राजेश कुमार, सम्पादक, रिपोर्टर्स, आईज़ एवं श्री सरदार भूपेन्द्र सिंह, सम्पादक, इंडिया वनडे नई दिल्ली की अपर उपायुक्त फरीदाबाद और उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट बल्लभगढ़, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, 2008	गुणहीन होने पर खारिज
2.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रकाशक/सम्पादक बागपत न्यूज़ नई दिल्ली की श्री ओम प्रकाश सिंह सब-इंस्पेक्टर पकवारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन
3.	श्रीमती कृष्णा शुक्ला, मुख्य सम्पादक, तफ्तीश, हिन्दी साप्ताहिक, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस प्राधिकरण सुलतानपुर के विरुद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन
4.	श्री राज किशोर गुप्ता, पत्रकार, दैनिक नव कर्मयुग, गाँधी नगर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस अधिकारियों और रेलवे पुलिस फोर्स, (आर.पी.एफ.) चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
5.	श्री गुरिन्दर सिंह मेंहदीरत्ता, प्रेस संवाद्दाता, डेली स्पोक्समैन फरीदकोट, पंजाब की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	आश्वासन

विः निर्णयों का विलय

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
6.	अध्यक्ष और अन्य सदस्य, मैंगलगंज प्रेस क्लब, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	गुणहीन होने पर खारिज
7.	श्री एच.आर. खान, सम्पादक, आपरेशन, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश की जिलाधीश, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेश पर निपटारा
8.	श्री सलमान रिज़वी, पत्रकार, दैनिक जागरण खीरी, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस प्राधिकरण खीरी, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	प्रत्याहृत
9.	श्री प्रशांत गौर, जिला ब्यूरो चीफ, दैनिक सी.एन.एन. बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
10.	श्री प्रमेन्द्र सिरोही, उप-सम्पादक, खुली कहानियाँ, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	परामर्श
11.	श्री इमामुद्दीन खान, संवाद्दाता, दैनिक जागरण, मेरठ, उत्तर प्रदेश, की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	मामला समाप्त
12.	श्री वेद गुप्ता, सम्पादक, दून उजाला, देहरादून, उत्तराखंड की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
13.	श्री वेद प्रकाश पांडे, स्वच्छंद पत्रकार, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	गुणहीन होने पर खारिज
14.	श्री एम.एम. खान, सम्पादक, इंडिका टाइम्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	सारहीन
15.	पंडित उमेश कुमार चतुर्वेदी, पत्रकार, सत्य मेल, झांसी, उत्तर प्रदेश की श्री दिलीप सारावगी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	अस्वीकृत

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
16.	श्री शिवकांत पाठक,संवाद्दाता, दैनिक दीवान और दैनिक कर्मयुग प्रकाश, जालौन, उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकारियों जालौन,उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	समाप्त
17.	श्री जितेन्द्र मोहन सक्सैना, सम्पादक, कलयुग की दुनिया, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	खारिज
18.	श्री इलियासखान, सम्पादक/प्रकाशक, वीकली बरसता तूफान, बदनपुर, महाराष्ट्र की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
	प्रेस को सुविधायें		
19.	सम्पादक, अपराध बोध, हाथरस, उत्तर प्रदेश की अपर जिला सूचना अधिकारी, हाथरस, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, 2008	गुणहीन होने पर समाप्त
20.	प्रकाशक, ग्रामांचल शिल्पानचालेर खबर बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल की वि.दृ.प्र.नि.नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	”	प्रत्याहृत
21.	पंडित संजीव नारायण दास, मुख्य सम्पादक, ज्योतिष फलक एवं जुगार साधन की सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, असम सरकार, गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	सारहीन
22.	श्री उत्तम चंद्र शर्मा, सम्पादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश, पावर कॉरपोरेशन निगम के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों पर निबटान
23.	श्री उमाशंकर मिश्र, सम्पादक, यू.एस.एम. पत्रिका, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय,नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेश
24.	श्री प्रशांत कुमार सिंह, प्रकाशक/स्वामी, फार्मर संदेश, मेरठ, उत्तर प्रदेश की विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
25.	श्री उत्तम चंद्र शर्मा, सम्पादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, मुजफ्फरनगर की डाक अधिकारियों, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	निबटान
26.	श्री सर्वेश कुमार "सुयश" शोध पत्रकार, कानपुर की निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	"	निदेशों पर निबटान
27.	श्री एल.सी. गुप्त, सम्पादक, पीलीभीत टाइम्स, पीलीभीत उत्तर की जिलाधीश पीलीभीत और जिला सूचना अधिकारी पीलीभीत उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	"	निदेशों पर समाप्त
28.	श्री सतीश शर्मा, प्रबंध सम्पादक, सवेरा इंडिया टाइम्स, नैनी-दमन की सूचना एवं प्रचार विभाग, दमन और दीयू सरकार के विरुद्ध शिकायत ।	"	निदेश
29.	डॉ.एच.एच. माजिद हुसैन, मुख्य सम्पादक, दैनिक उर्दू एक्शन, भोपाल मध्य प्रदेश की आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	"	निदेशों और प्रेक्षणों के सहित निबटान
	प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती		
30.	श्री शरद औदीच्य, सम्पादक, सेमरिया एक्सप्रेस, सतना, मध्य प्रदेश, की असामाजिक तत्वों, सतना मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	आश्वासन

❐

प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारिणी (2008-2009)

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	सिद्धांत और प्रकाशन		
1.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, नई दिल्ली की मीडिया फोर्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, 2008	परिनिंदित
2.	श्री जयन्त डेका, अधिवक्ता और अन्य मंगलदाई, असम की असमिया प्रतिदिन, गोवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	परिनिंदित
3.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की दैनिक जनसाधारण गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत ।	”	आश्वासन
4.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की असमिया खबर, गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत ।	”	आश्वासन
5.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की अमर असम गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत ।	” वि0	आश्वासन
6.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की दैनिक जन्मभूमि गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत ।	”	आश्वासन
7.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की दैनिक अग्रदूत गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत	”	आश्वासन
8.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की अजी गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत ।	”	आश्वासन

विः निर्णयों का विलय

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
9.	श्रीमती करबी दत्ता, गोवाहाटी की असमिया प्रतिदिन गोवाहाटी असम के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	14 अक्टूबर, 2008	आश्वासन
10.	श्री कैलाश चन्द जैन, नागालैंड की सम्पादक, जैन गजट, गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।		”	आगे कार्रवाई नहीं- मामला समाप्त
11.	श्री आलोक कुमार दत्ता, अधिवक्ता, हावड़ा, पश्चिम बंगाल की आनन्द बाज़ार पत्रिका, कोलकाता के विरुद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
12.	श्री कोंसम लंगाम्बा, अधिवक्ता/अवैतनिक अध्यक्ष, यूनाइटेड कमेटी मणिपुर (यू.सी.एम.) की टेलीग्राफ गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
13.	श्री एस.सी. शर्मा, अधिवक्ता, नई दिल्ली की दलाल स्ट्रीट जर्नल, मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।		”	चेतावनी
14.	श्री बिनोद कुमार सिन्हा, रामगढ़ कैंट, झारखंड की सरस सलिल, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	खारिज
15.	श्रीमती रचना विश्वनाथन, नई दिल्ली की हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	चेतावनी
16.	श्री नदीर खान, मेरठ कैन्ट, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, अमर उजाला, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		”	खारिज
17.	सुश्री अंजलि गोपालन, कार्यपालक निदेशक, नाज फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट, नई दिल्ली की सम्पादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		2 मार्च, 2009	निबटान किया
18.	डॉ. डी.चिनैया, बंगलूरू की सम्पादक, लंकेश पत्रिका, बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।		”	निदेश
19.	श्री शिवलिंग्या, बंगलूरू की सम्पादक, लंकेश पत्रिका, बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।		”	निदेश

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
20.	श्री एम. प्रभाकर, कोष निदेशक एवं अन्य बंगलूरू कर्नाटक की संपादक, गौरी लंकेश, बंगलूरू के विरूद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	सावधान
21.	निदेशक, कार्यक्रम समिति कैथोलिक सभा, मेंगलोर प्रदेश (आर) कंडापुरा कर्नाटक की सम्पादक उदयवाणी, मणिपाल, कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
	प्रेस और मानहानि		
22.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सम्पादक, पंजाब केसरी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, 2008	चेतावनी
23.	श्री वीरेन्द्र सिंह सचान, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, आज, कानपुर के विरुद्ध शिकायत ।	”	परामर्श
24.	अध्यक्ष, गीतांजलि पब्लिक स्कूल, दिल्ली की सम्पादक, नज़र की नज़र के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
25.	श्री आशुतोष वार्ष्णेय, अलीगढ़ की सम्पादक, शिखर की गूँज, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन
26.	श्री एस.के. शुक्ला, प्राध्यापक, विवेकानंद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, पुखरायाँ, कानपुर की सम्पादक, आज के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
27.	श्री मनोज कुमार त्रिवेदी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ उत्तर प्रदेश की सम्पादक, दैनिक जागरण मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	समझौता
28.	मौ. फसीहउद्दीन, अधिवक्ता, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, दैनिक जागरण, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों सहित निबटान

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
29.	श्री वेद प्रकाश सैनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, प्रदेश के अपराध, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		12 जून, 2008	न्यायाधीन
30.	श्रीमती उषा नागर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, प्रयान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		”	भर्त्सना
31.	महात्मा जगदीश्वरानंदजी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, सरिता, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	समाप्त
32.	श्री भगवती प्रसाद, मुख्य कार्यकारी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली की सम्पादक, मिशन इंडिया के विरुद्ध शिकायत ।		”	निदेशों सहित निबटान
33.	श्री दीपेन्द्र पाठक, आईपीएस अपर पुलिस आयुक्त दिल्ली की सम्पादक, मैट्रो नाओ, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	परिनिंदित
34.	डा. मंगल दास, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर, हिमाचल प्रदेश की सम्पादक, पंजाब केसरी जालंधर के विरुद्ध शिकायत ।		”	खारिज-जारी नहीं रखी गयी
35.	श्री एम.एल.स्याल, अध्यक्ष हरियाणा सिविल पेंशनर्स, वैलफेयर एसोसिएशन, सिरसा, की सम्पादक, पंजाब केसरी नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	”	अस्वीकृत
36.	श्री एम.एल.स्याल, अध्यक्ष हरियाणा सिविल पेंशनर्स, वैलफेयर एसोसिएशन, सिरसा, की सम्पादक, हरियाणा दीप, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत ।		”	अस्वीकृत
37.	श्री एस.एल. कोली, महासचिव, क्रिश्चियन सौलिडैरिटी सोसायटी, देहरादून, की सम्पादक, पर्वत जन, देहरादून के विरुद्ध शिकायत ।		”	समझौता

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
38.	श्री चन्द्रभान गर्ग, अध्यक्ष, नगर निगम परिषद्, उधमसिंह नगर, की सम्पादक, सत्य का पुजारी, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, 2008	समझौता
39.	श्री सतीश कुमार जैन, एच.सी.एस. पंचकुला, हरियाणा की सम्पादक, नभ छोर हिसार, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत ।	”	परिनिंदित
40.	श्री तेजिन्द्र सिंह, सम्पादक, इंडिया'ज़ जस्टिस लुधियाना, पंजाब की संपादक दैनिक पंजाब केसरी जालन्धर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों सहित निबटान
41.	श्री तेजिन्द्र सिंह, सम्पादक, इंडिया'ज़ जस्टिस लुधियाना, पंजाब, की सम्पादक दैनिक जगवाणी, जालन्धर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत ।	वि0 ”	निदेशों सहित निबटान
42.	श्री ख्याली राम मौर्य, अध्यक्ष, नगर पालिका समिति, हरियाणा की सम्पादक, पंजाब केसरी, पंजाब के विरुद्ध शिकायत ।	”	निबटान किया गया
43.	श्री मेहर प्रसाद यादव, सह-सम्पादक, दैनिक भास्कर एवं सम्पादक, जनहित दर्शन, झांसी, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, दैनिक जागरण, झांसी, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	खारिज किया गया
44.	सुश्री अनीता रहमान, मैसर्स अनीता रहमान एस.के. आयल बारपेटा, असम की अजी, असमिया दैनिक, गोवाहाटी, के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	निदेश
45.	श्री रंजीत गोगोई, सम्पर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री का पी.आर.सैल, असम सरकार, दिसपुर, की असमिया प्रतिदिन, गोवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
46.	श्री अमानुल्लाह, बिक्री कर अधिकारी, कोलकाता, की सम्पादक, हमारा काम, कोलकाता के विरुद्ध शिकायत ।	”	परिनिंदित

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
47.	डा. हेमेन्द्र कुमार बोहरा, अवैतनिक सचिव, इंडियन मैडीकल एसोसिएशन, तेजपुर की दैनिक अग्रदूत, गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।		14 अक्टूबर, 2008	निबटान
48.	डा. हेमेन्द्र कुमार बोहरा, अवैतनिक सचिव, इंडियन मैडीकल एसोसिएशन, तेजपुर की असमिया प्रतिदिन गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	”	निबटान
49.	डा. हेमेन्द्र कुमार बोहरा, अवैतनिक सचिव, इंडियन मैडीकल एसोसिएशन, तेजपुर की असमिया खबर गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।		”	निदेशों पर निबटान
50.	सुश्री निवेदिता मैनन एवं अन्य सदस्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली की सम्पादक, दि पायनियर, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	आश्वासन
51.	श्री श्याम कुमार मंडल, वार्ड आयुक्त, कहलगाँव नगर पंचायत, भागलपुर, बिहार की दैनिक जागरण, भागलपुर बिहार के विरुद्ध शिकायत ।		”	प्रत्याहृत
52.	श्री पतेश्वरी सिंह, प्राध्यापक, महाराणा प्रताप पौलीटैक्नीक गोरखपुर की चेतना विचारधारा, शाह मारुफ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		”	निदेश
53.	श्री डी.के. मित्तल, आईएएस, प्रबंध निदेशक, आई.एल. एंड एफ.एस. लिमिटेड, नई दिल्ली की सम्पादक, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	खारिज
54.	श्रीमती कुलदेवी यादव, प्रधानाचार्या, गवर्नमैंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, चंदीगढ़ की सम्पादक, दि इंडियन एक्सप्रेस, अनुपूरक, चंदीगढ़ न्यूज़लाइन, चंदीगढ़ के विरुद्ध शिकायत ।		”	खारिज

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
55.	सूफी मियाँ जी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, शाह टाइम्स, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	परिनिंदित
56.	श्री जी.पी. अहिरवार, आयुक्त, सहायक मनोरंजन कर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की थानवी मुजफ्फरनगर टाइम्स, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	परिनिंदित
57.	प्रो. हीमाद्री दत्ता, रीजनल इंस्टीटयूट ऑफ आपथलमोलोजी मेडीकल कालेज, कोलकाता की संगबाद प्रतिदिन, कोलकाता के विरुद्ध शिकायत ।	”	समझौता
58.	डा. बी.के. प्रसाद, नेपाल की दैनिक जागरण, मुजफ्फरपुर, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	”	खारिज
59.	फादर थॉमस, प्रधानाचार्य, सैंट मैरिज़ स्कूल भदोही, उत्तर प्रदेश की सम्पादक,जन औकात, भदोही, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	चेतावनी
60.	मौ. रज़ी अहमद रिज़वी, आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय, बदायूँ, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, अमर उजाला बरेली, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	प्रेक्षणों सहित निबटान
61.	श्री दिलीप कुमार सारावगी, सचिव, मानवाधिकार और न्याय संबंधी सोसायटी, झाँसी, उत्तर प्रदेश की सम्पादक झाँसी परख, हिन्दी साप्ताहिक, झाँसी, के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	समाप्त
62.	श्री बाबू लाल, लखनऊ की सम्पादक, आज लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों सहित समाप्त
63.	सुश्री मधुरिमा बरुआ, गुवाहाटी, असम की संपादक, अजिर असम, गुवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।	”	भर्त्सना

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
64.	श्री शाह महमूद, अध्यक्ष, बेहात, सहारनपुर, उ.प्र. की संपादक, अमर उजाला, मेरठ, उ. प्र. के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	परिनिंदित
65.	श्री श्याम सुन्दर गौतम, प्रबंधक, श्री सर्वेश्वर शिक्षादीप विद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, आगरा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	परिनिंदित
66.	सचिव, भारतीय रैड क्रास सोसाइटी, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक नीमच प्रहरी, नीमच, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	चेतावनी
67.	श्री पी.एस. पहिलवान, प्रधानाचार्य, स्वामी मुकन्द विद्यालय, यिओला एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री गुरुदेव शिक्षण प्रसारक मंडल, यिओला, महाराष्ट्र की संपादक दैनिक सम्राट, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	”	खारिज
68.	श्री जी.सी. रावत, संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशा. आयुध निर्माणी, नागपुर की संपादक देशोन्नति, नागपुर के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों पर निबटान
69.	श्री पी. सत्यनारायण राजू, कार्यकारी निदेशक, जिला पिछड़ी जाति सेवा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक वार्ता डेली एडुलापुरम, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	भर्त्सना
70.	श्री वी. मोहन बाबू प्रयोगशाला-तकनीशियन, ग्रेड ।।/कु/, आंध्र प्रदेश की संपादक वार्ता , हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
71.	चौ. धनंजय नायडु, पुलिस उप निरीक्षक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की संपादक वार्ता, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
72.	जन सम्पर्क अधिकारी, ट्रैफिक विभाग, ट्यूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ट्यूटीकोरिन की संपादक दी हिन्दू, अन्नासलाय, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
73.	श्री वी. चन्द्रशेखर, बंगलूरू की संपादक अहिन्द वाणी, बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	खारिज
74.	श्री वी. चन्द्रशेखर, बंगलूरू की संपादक, गौरी लंकेशर, बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।	”	खारिज
75.	श्री सिद्दू सावडी, विधायक, बंगलूरू की गौरी लंकेश बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन
76.	कु. शोभा केरंडलाजे, बंगलूरू की संपादक, गौरी लंकेशर, बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।	”	सावधान
77.	कु. शोभा केरंडलाजे, बंगलूरू की संपादक, हाय बेंगलूर, बंगलूरू के विरुद्ध शिकायत ।	,,	गुणहीन होने पर समाप्त
78.	कु. शोभा केरंडलाजे, बंगलूरू की संपादक, जय किरण, मंगलौर के विरुद्ध शिकायत ।	”	सावधान
79.	कु. शोभा केरंडलाजे, बंगलूरू की संपादक, करावली अली, मंगलौर के विरुद्ध शिकायत ।	”	सावधान
80.	श्री टी.वी. शिवनंदा, कोप्पा, कर्नाटक की संपादक, वरदा मलनाद, कोप्पा, कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
81.	श्री के.बी. लोकेशप्पा, उप-प्रधानाचार्य, गवर्नमैंट पी.यू. कॉलेज, चिकमंगलूर, कर्नाटक की संपादक विधाता वीकली, शिमोगा, कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत ।	”	मामला सिद्ध नहीं हुआ
82.	श्रीमती लक्ष्मी कृष्णामूर्ति, चेन्नई, की संपादक तमिल मुरासु, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों सहित निबटान
83.	श्री भगवानदास दहयाभाई सुरती, सूरत गुजरात की संपादक गुजरात मित्र, सूरत, गुजरात के विरुद्ध शिकायत ।	”	न्यायाधीन
84.	श्री इकबाल इस्माईल विरानी, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, हमारा थाणे समाचार, थाणे महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
85.	श्री इकबाल इस्माईल विरानी, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, नेशनल रिपोर्टर, थाणे के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	समर्थित
86.	श्री इकबाल इस्माईल विरानी, थाणे, महाराष्ट्र, की संपादक आजकल का तहलका, मुंबई, के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
87.	श्री परमानंद टी गेडाम, नियंत्रक, अनधिकृत निर्माण, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, महाराष्ट्र बुलंद टाइम्स थाणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	”	समर्थित
88.	श्री अशोक बासप्पा उदयावर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संपादक बुलंद टाइम्स थाणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।	”	खारिज
89.	श्री रवीन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, मुंबई मित्र, गोरेगाँव, मुंबई के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेशों सहित निबटान
90.	श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, कर्मचारी, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मंदसौर, मध्य प्रदेश की मुख्य संपादक, साप्ताहिक, मंदसौर परिक्रमा, मंदसौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	परिनिंदित
91.	श्री आनंद मेंधेकर, चार्टर्ड इंजीनियर, बिलासपुर की श्री गुरदीप सिंह सेहमी संवाद्दाता, जनसत्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विरुद्ध शिकायत ।	”	चेतावनी
92.	श्री खिलावन चंद्राकर, ब्यूरो चीफ, देशबंधु, इटारसी, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक समय गति, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	मामला समाप्त
93.	श्रीमती सीमा मिश्रा, व्याख्याता, शा.उ.मा. विद्यालय, धार, मध्य प्रदेश की समय गति, धार, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	निदेश

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
94.	श्री राजेन्द्र कुमार बरैया, सहायक वर्ग II, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ग्वालियर, मध्य प्रदेश की संपादक, साप्ताहिक, चम्बल चेतना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	परिनिंदित
	प्रेस और नैतिकता		
95.	श्री चन्द्रहास शुक्ला, नेता, शिव सेना, दिल्ली की सम्पादक, पंजाब केसरी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, 2008	आश्वासन
96.	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता, मुरादाबाद की सम्पादक, अमर उजाला, मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।	”	समाप्त
97.	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता, मुरादाबाद की सम्पादक, पंजाब केसरी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	वि0 ”	समाप्त
98.	श्री वी.पी. गोयल, लखनऊ की टाइम्स ऑफ इंडिया के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	समर्थित
99.	श्री मयूर कुमार शाह, पूर्व प्रमुख, शिव सेना, भावनगर, गुजरात की संपादक सांझ समाचार, राजकोट, गुजरात के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	निंदित
100.	श्री निसरुद्दीन अहमद जेड्डी, अधिवक्ता, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की संपादक, डेक्कन क्रॉनिकल, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	”	निबटान
101.	श्री एन. रवीन्द्रन, चेन्नई की संपादक, डेक्कन क्रॉनिकल, चेन्नई संस्करण के विरुद्ध शिकायत ।	”	प्रेक्षणों सहित समाप्त
	साम्प्रदायिक, जातिवाद, धर्मविरोधी लेखन		
102.	श्री श्रीगोपाल पंडित, नोएडा, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, वि0 2008	परामर्श

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
103.	श्री श्रीगोपाल पंडित, नोएडा, उत्तर प्रदेश की सम्पादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	12 जून, वि0 2008	परामर्श
104.	श्री बाल पाटिल, महा सचिव, अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक मंच (नई दिल्ली) मुम्बई की दी हिन्दू, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत ।	14 अक्टूबर, 2008	निबटान
105.	श्री विजय वीरला, नोटिघंम, यूनाइटेड किंग्डम, की संपादक, डैक्कन क्रॉनिकल, हैदराबाद के विरुद्ध शिकायत ।	2 मार्च, 2009	समाप्त

q

प्रेस की स्वतंत्रता को ख़तरे से संबंधित शिकायतों में निर्णयों में दर्ज किए गए सिद्धांतों की सूची

पत्रकारों का उत्पीड़न

अधिकारियों को पत्रकारों की तथाकथित निधियों के लिए कोई धन-राशि नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह केवल स्थिति और पत्रकारिता के कार्यों के निष्पादन से संबंधित उत्तरदायित्वों के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करती है और पूरे व्यवसाय को बदनाम करती है। (**श्री राजेश कुमार, संपादक, रिपोर्टर्ज़ आई और सरदार भूपिंदर सिंह, संपादक, इंडिया वन डे, नई दिल्ली बनाम अपर उपायुक्त, फ़रीदाबाद और एस.डी.एम., बल्लभगढ़, हरियाणा, शिकायत सं. 1, प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2008**)

पत्रकार को गैरकानूनी गतिविधियों पर निडर होकर लिखने से रोकना नहीं चाहिए, परंतु साथ ही पत्रकार के रूप में उसकी भूमिका का प्रयोग निजी वैमनस्य निकालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। (**श्री एच.आर. खान, संपादक, ओपरेशन, हिंदी साप्ताहिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश बनाम जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर, उत्तर प्रदेश, शिकायत संख्या 2, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008**)

प्रेस को सुविधाएँ

सरकारी धन के अभिरक्षकों के रूप में सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनमें निहित विवेकाधिकारों का प्रयोग भी वास्तविक औचित्य द्वारा समर्थित हो और उनकी कार्रवाई व्यक्तिनिष्ठ न होकर रिकार्ड/डाटा के आधार पर वस्तुनिष्ठ हो। केवल कल्पना और कम बिक्री की धारणा पेनल में शामिल किसी समाचारपत्र को विज्ञापन न देने के लिए आधार नहीं हो सकती। (**श्री उत्तम चंद्र शर्मा, प्रमुख संपादक, मुज़फ़्फ़रनगर बुलेटिन, मुज़फ़्फ़र नगर, उत्तर प्रदेश बनाम यू.पी. पावर कार्पोरेशन, शिकायत सं. 11, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008**)

सरकारी धन के न्यासी के रूप में सरकार के काम-काज में पारदर्शिता लाना अनिवार्य है ताकि वैसी ही स्थिति वाले समाचारपत्रों की तुलना में निर्णय निष्पक्ष तथा न्यायोचित हों और शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध या परितोष के साधन के रूप में न किया जाए। (**श्री सतीश शर्मा, प्रबंध संपादक, सवेरा इंडिया टाइम्स, नानी-दमन बनाम सूचना और प्रचार विभाग, दमन और दीयू सरकार, शिकायत सं. 8, प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2009**)

q

प्रेस के विरुद्ध शिकायतों में निर्णयों में दर्ज किए गए सिद्धांतों की सूची

सिद्धांत और प्रकाशन

बच्चे की हत्या के किसी मामले में अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने की तिथि से मात्र एक दिन पूर्व समाचारपत्रों में इस बारे में ओपिनियन पोल के परिणाम प्रकाशित करना कि अदालत द्वारा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास आदि में से किस प्रकार का दंड अपेक्षित है, मीडिया परीक्षण जैसी दुःसाहसी कार्रवाई है जो अदालत मे पूर्वाग्रह पैदा कर सकती है या निर्णय के प्रति जनता की राय को दुष्प्रभावित कर सकती है। **(श्री जयंत डेका, एडवोकेट तथा अन्य, मंगलदाइ, असम बनाम असमिया प्रतिदिन, गुवाहाटी, असम, शिकायत सं. 14, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008)**

इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजी मानक बनाए रखने और मानवता के प्रति ऐसे जघन्य अपराध के शिकार की गोपनीयता की रक्षा के लिए विशेष प्रयास करने में प्रेस सर्वोच्च उत्तरदायित्व निभाता है। **((i) दैनिक जनसाधारण, (ii) असमिया ख़बर, (iii) अमर असम, (iv) दैनिक जन्मभूमि, (v) दैनिक अग्रदूत, (vi) अजी, और (vii) असमिया प्रतिदिन, गुवाहाटी के विरुद्ध श्रीमती करबी दत्ता, गुवाहाटी, शिकायत संख्या 15, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008)**

प्रेस और मानहानि

सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पदों पर लगे व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे अपने कार्यों की आलोचना को सहज भाव से लें, परंतु ऐसा आत्म संतोष यथार्थता की लागत पर नहीं होना चाहिए। **(श्री रणजीत गोगोई, संपर्क अधिकारी, मुख्य मंत्री का जन संपर्क कोष्ठ, असम सरकार, दिसपुर बनाम असमिया प्रतिदिन, गुवाहाटी, असम, शिकायत सं. 24, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008)**

परिषद् ने माना कि कई बार हर बात की जाँच नहीं हो पाती, परंतु समाचारपत्र के पास कोई प्रकाशन करने से पहले रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर विश्वास करने के लिए वास्तविक कारण होने चाहिएँ। उसके बाद उत्तर का अधिकार प्रेस के उच्च मानकों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। **(डॉ. हेमेन्द्र कुमार बोरा, मानद सचिव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तेजपुर बनाम दैनिक अग्रदूत, असमिया प्रतिदिन और असमिया खबर, गुवाहाटी, शिकायत सं. 26, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008)**

अपना काम करने में किसी सार्वजनिक व्यक्ति की आलोचना या उस पर टिप्पणी की जा सकती है, परंतु अपमानजनक विशेषणों तथा पदों का प्रयोग अनुचित है। **(श्री. वी चंद्रशेखर, बैंगलूरु बनाम संपादक, गौरी लंकेश पत्रिके, बैंगलूरु, शिकायत सं. 29, प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2009)**

प्रेस को सरकारी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के काम की आलोचना करने का अधिकार है, परंतु उसे चरित्र हनन में लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही किसी सार्वजनिक व्यक्ति की निंदा करने के लिए "अफ़वाह" या "विश्वस्त सूचना" का आश्रय लेना चाहिए। **(कुमारी शोभा केरंदलजे, विधान परिषद् सदस्य, बैंगलूरु, कर्नाटक बनाम संपादक, जय किरण, मेंगलोर, कर्नाटक, शिकायत सं. 33, प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2009)**

किसी समाचारपत्र के विशेष संवाददाता/रिपोर्टर को, चाहे पूर्णकालिक या अंशकालिक, किसी अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भिन्न पद धारण नहीं करना चाहिए ताकि वह समाचारपत्र के शस्त्र का प्रयोग निजी वैमनस्य निकालने के लिए हथियार के रूप में न करे । **(श्री आनंद मेन्ढेकर, चार्टर्ड इंजीनियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बनाम संपादक, जनसत्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़, शिकायत सं. 46, प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2009)**

प्रेस और नैतिकता

परिषद् का मानना है कि सामाजिक व्यवहार तथा मानकों को प्रभावित करने वाले एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रेस को आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले में वाणिज्यिक सोच से ऊपर उठना चाहिए। एक वैटिकन पेपर के अनुसार, माध्यम के रूप में मीडिया का प्रयोग करके विज्ञापन आज के संसार में मनोवृत्ति और व्यवहार को आकृति देने वाला एक व्यापक शक्तिशाली बल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में भी, सामान्यतः उस क्षेत्र को दिया गया नाम जहाँ संदिग्ध विज्ञापन रखे जाते हैं, विज्ञापन सकारात्मक योगदान कर सकते हैं और करते हैं। तथापि यदि ऐसे छद्मावृत विज्ञापनों को स्वीकार किया जाए तो दीर्घावधि में वे समाज पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही डालेंगे। केवल भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा ही नहीं बल्कि संसार भर में अनेक अन्य एजेंसियों द्वारा भी बनाई गई संयम की नैतिक संहिताएँ उतनी ही प्रभावी होती हैं जितनी मीडिया की उनका पालन करने की इच्छा। इसीलिए जनता के रुचि लेने का महत्त्व है जो वाणिज्यिक हितों के सामने अपने हित की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित करे। भावी पीढ़ियों और समाज के हित की रक्षा के लिए इसमें प्रभावी कानूनों की शक्ति भी जोड़ी जा सकती है। **(श्री वी.पी. गोयल, लखनऊ बनाम दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया, शिकायत सं. 38, प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्तूबर 2008)**

समाचारपत्र द्वारा निजी अंतरंग चित्रों का प्रकाशन भारतीय लोकाचार के बिल्कुल विरुद्ध है। पश्चिमी पत्रिकाओं में उनके प्रकाशन को बुरा न माना जाता हो, परंतु प्रतिवादी द्वारा ऐसा करना, प्रचार के ऐसे कौतुकों की आलोचना के भेस में ही सही, पाठक को आकर्षित करने का

एक कपटपूर्ण तरीका प्रतीत होता है। (**श्री मयूर कुमार शाह, पूर्व अध्यक्ष, शिव सेना, भावनगर, गुजरात बनाम संपादक, साँझ समाचार, राजकोट, गुजरात, शिकायत सं. 50, प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2009**)

यह बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और मनोवृत्तियाँ देश-विशिष्ट दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों से भिन्न हो सकती हैं, अतः अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का विज्ञापन स्वीकार करने में और अधिक संवीक्षा की ज़रूरत है। (**श्री. एन. रवीन्द्रन, चेन्नई बनाम संपादक, डैक्कन क्रॉनिकल, चेन्नई सस्करण, शिकायत सं. 52, प्रेस परिषद् समीक्षा, अप्रैल 2009**)

q

संलग्नक-झ

प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा (2008-09) में पारित आदेशों की विषय सूची

क्र-सं.	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
1.	सुश्री स्म्राली नरसिम्हा, स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक, इंनक्रेडिबल इंडिया, अंग्रेजी मासिक पत्रिका, दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग,) दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.2.2008 के विरूद्ध अपील में रोक लगाने संबंधी आवेदन ।	23.4.2008	अपील वापिस और निबटान
2.	श्री आचार्या मधुव्रतानंदा अवधूता, मुद्रक और प्रकाशक, प्राऊट, अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका, दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग,) दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.2.2008 के विरूद्ध अपील ।	23.4.2008	अस्वीकृत
3.	श्री सुदेश कुमार, संपादक और मुद्रक करावली मारूथा, कन्नड़ साप्ताहिक, मंगलौर कर्नाटक की उपायुक्त मंगलौर, कर्नाटक द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2007 के विरूद्ध अपील	26.5.2008	आक्षेपित आदेश अपास्त
4.	श्री मोहसिन राणा, संपादक और मुद्रक, कलयुग दर्पण, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की जिला प्रेस अधिकारी/अपर जिला मजिस्टेट, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.3.2008 के विरूद्ध अपील ।	4.12.2008	अपील खारिज और अपीलकर्ता को नये सिरे से अपील दाखिल करने का निदेश
5.	श्री श्रीधर सखाराम बालकी, संपादक, लोकशाही, सराय वार्ड, चन्द्रपुर, जिला	4.12.2008	आर.एन.आई को निदेश देने के साथ

क्र. सं.	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
	चन्द्रपुर, महाराष्ट्र की 1. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, जलगाँव, 2. साउ शान्तावाणी, जिला जलगाँव, महाराष्ट्र और 3. आर.एन.आई, नई दिल्ली के विरूद्ध अपील		निबटान
6.	श्री विलास चौहान, संपादक, यवतमाल राजसिहांसन, मराठी साप्ताहिक, यवतमाल, महाराष्ट्र की उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, पुसाद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2006 के विरूद्ध अपील ।	4.12.2008	आक्षेपित आदेश अपास्त
7.	श्री सी.ए. इकबाल अहमद, जिला विलौर, तमिलनाडु की अग्नि थरसु, तमिल पाक्षिक के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण के संबंध में अपील ।	4.12.2008	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को शीर्षक की पुनःवैधता पर विचार करने का निदेश ।
8.	श्री जवाहर लाल, संपादक, सोलापुर, पत्र, सोलापुर, महाराष्ट्र की उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, सोलापुर, महाराष्ट्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.9.2007 के विरूद्ध अपील ।	16.3.2009	कार्यवाही बंद

p

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की समीक्षा, जिसे परिषद् द्वारा 2 मार्च, 2009 को अंतिम रूप दिया गया

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	2(ड.)	संशोधन करें	"संपादक" और "समाचारपत्र" शब्द का क्रमशः वही अर्थ है, जो अर्थ प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 में दिया गया है और "श्रमजीवी पत्रकार" का वही अर्थ है, जो श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में दिया गया है।	प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अधीन परिषद् का कार्य है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार लाए। धारा 2(ड.) में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के संदर्भ में समाचारपत्र की परिभाषा दी गई है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए: "समाचारपत्र" का अर्थ है मुद्रित ऐसा पीरियडीकल कार्य, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक	"संपादक" शब्द का क्रमशः वही अर्थ है, जो अर्थ प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 में दिया गया है और "समाचारपत्र" का अर्थ ऐसे पीरियडीकल कार्य से है, जिसमें सार्वजनिक समाचार हों और इसमें ऐसे पीरियडीकल्स भी शामिल हैं, जो प्रिंटिंग के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं और/या किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन और/ ऐसे मीडिया के माध्यम से संसूचित किए जाते हैं, जो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रदर्शित

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
				समाचारपत्रों पर टिप्पणियां प्रकाशित की गई हों और यह कि "मुद्रण" का अर्थ वही है, जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में दिया गया है। क्योंकि "मुद्रण" में साइक्लोस्टाइलिंग और लीथोग्राफी द्वारा प्रिंटिंग शामिल है।	किए जाते हैं। "स्पष्टीकरणः उपर्युक्त खंड के प्रयोजन के लिए "प्रिंटिंग" का वही अर्थ है, जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में दिया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रिंटिग भी शामिल है।
	2(च)	जोड़ें		बाद वाली अभिव्यक्ति व्यापक नहीं है, लेकिन यह एक समावेशी परिभाषा है और आधुनिक प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण इसमें ऐसे समाचारपत्र भी शामिल होंगे, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जिनमें सार्वजनिक	(च) "श्रमजीवी पत्रकार" शब्दावली का वही अर्थ है, जो श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में दिया गया है।

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
				समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं। अतः प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि "समाचारपत्र" शब्द की परिभाषा इस प्रकार स्पष्ट की जा सके कि उसमें इंटरनेट पर प्रदर्शित समाचारपत्रों को भी शामिल किया जा सके।	
2.	5(3)	तीन नए प्रावधान जोड़ें		यह प्रस्ताव स्वतः स्पष्ट है। जिस व्यक्ति की परिनिंदा की गई हो, वह अन्य लोगों के आचरण के संबंध में निर्णय नहीं कर सकता है।	"परंतु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी इस अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन परिषद् द्वारा परिनिंदा की गई हो, वह खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन परिषद् में नामित

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।"
2 (ख)				यह स्वतः स्पष्ट है। यह लेवी के बकाया पर नियंत्रण के रूप में भी कार्य करेगा। वर्तमान में लेवी की मांग को समाचारपत्रों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है।	"परंतु यह भी कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे समाचारपत्र/ समाचार एजेंसी से हो, जिस ने इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन परिषद् के लेवी शुल्क की अदायगी नहीं की हो, उस समाचारपत्र या समाचार एजेंसी के नामिती के रूप में इस अधिनियम के खंड (ख) और (ग) में दी गई श्रेणियों से परिषद् का सदस्य नामित किए जाने का पात्र नहीं होगा।"
2 (ग)				यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परिषद् ऐसे अभिजात लोगों के निकाय के रूप में कार्य कर रही	"परंतु यह कि जिस व्यक्ति को दी गई श्रेणियों में 15 वर्ष से कम का अनुभव हो, वह खंड (क), (ख) और (ग) के

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
				है, जिन्हें पर्याप्त अनुभव है और पूरा सम्मान प्राप्त है।	अधीन नामांकन का पात्र नहीं होगा।"
3.	5(4)	धारा 5 की उप–धारा (4) में नया परंतुक 2 जोड़ें		यह देखा गया है कि परिषद् के पुनर्गठन के समय कई संस्थाएं उठ खड़ी होती हैं और अपने दावे प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तावित संशोधन में इस उप–धारा के अधीन एसोसिएशन/ समाचार एजेंसियों की अधिसूचना के लिए मापदंडों और योग्यताओं का प्रावधान किया गया है।	परंतु यह कि खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित संबंधित व्यक्तियों या समाचार एजेंसियों के एसोसिएशन इस समय सक्रिय अवस्था में होने चाहिएं, जिनसे नामों की सूची मांगी जाती है और वे कम से कम पिछले 10 वर्ष से संगत अधिनियमों के अधीन पंजीकृत होने चाहिएं। वे समस्त भारत के स्तर के होने चाहिएं और उनमें अपेक्षित श्रेणी के सदस्य 9 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से होने चाहिएं और उनकी सदस्यता किसी क्षेत्र या श्रेणी या समूह

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					तक सीमित नहीं होनी चाहिए और वे उप–धारा 5(3) के खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के होने चाहिएं। अधिसूचित किए जाने के लिए अपना दावा पेश करते समय एसोसिएशन को चाहिए कि वह अपनी सदस्यता की अद्यतन सूची और अपने लेखापरीक्षित लेखों की प्रतियां और उसने पिछले तीन वर्ष के दौरान ऐसी विधिक संस्था के संबंधित प्राधिकारी के पास पिछले तीन वर्षों की विवरणियां भेजी हों। यह विधिक संस्था पंजीकृत हो और उसके संविधान के अनुसार पिछली तीन अवधियों में उसके नियमित चुनाव हुए हों।

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
4.	5.	धारा 5 में नई उप–धारा (5) जोड़ें और तदनुसार क्रम संख्या अंकित करें।		प्रस्तावित संशोधन इस संबंध में निराधार और खर्चीले मुकदमें को रोकने के लिए तैयार किया गया है और इसके द्वारा प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 5(3) के खंड (क), (ख), (ग) के अधीन श्रेणी विशेष के लिए सिफारिश किए जाने वाले व्यक्तियों की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित संगठन की तय की जा सके।	5(5) : उप–धारा 4 की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यक्तियों/ समाचार एजेंसियों की एसोसिएशन यथास्थिति उप–धारा 3 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नामांकन के प्रयोजन के लिए नामों की सूची निर्धारित फार्म में परिषद् को भेजेगी। संबंधित एजेंसी की एसोसिएशन द्वारा उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया गया हो और यह मान लिया जाएगा कि पैनल में शामिल किए गए ऐसे व्यक्ति उस श्रेणी के अधीन नामित किए जाने के लिए उस सूची में शामिल किए जाने के पात्र हैं।

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
5.	5	नई उप–धारा 5 (क) जोड़ी जाएगी और उपर्युक्त धारा 5(5) को पुनरांकित किया जाएगा।		खर्चीले मुकदमे को रोकने के लिए तैयार किया गया है और इसके द्वारा प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 5(3) के खंड (क), (ख), (ग) के अधीन श्रेणी विशेष के लिए सिफारिश किए जाने वाले व्यक्तियों की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित संगठन की तय की जा सके।	5(5)(क) : यदि धारा 5(3) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन किसी एसोसिएशन के गठन या श्रेणी के बारे में उस एसोसिएशन या संबंधित व्यक्ति द्वारा दिए गए ब्योरे या उनकी सदस्यता के नाम गलत पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा और संबंधित एसोसिएशन की उस अवधि की मान्यता समाप्त की जाएगी और उन्हें अगली अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे ब्योरे देने वाले व्यक्ति/संस्था को साधारण कैद की सजा दी जाएगी, जो 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					या उस पर 10000/– रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या ये दोनों दंड लगाए जा सकते हैं। यह अपराध असंज्ञेय है/ इसके संबंध में दिल्ली में मुकदमा चलाया जा सकता है।
6.	5(5)	उपर्युक्त उप–धारा को जोड़े जाने से विद्यमान उप–धारा (5) की संख्या उप–धारा (6) के रूप में अंकित की जाएगी और उसमें यथा–प्रस्तावित संशोधन किया जाएगा।	5(5) केंद्र सरकार उप–धारा 3 के अधीन सदस्य के रूप में नामित व्यक्तियों के नाम सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगी और ऐसा प्रत्येक नामांकन उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को यह अधिसूचित किया जाता है।	यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिसूचना समय पर जारी की जाए और परिषद् के सतत् कार्य में कोई बाधा या रुकावट न आए। वर्तमान में अधिसूचना जारी किए जाने से पहले इसमें कुछ महीने लग जाते है और परिषद् का कार्य रुक जाता है।	5(6): केंद्र सरकार उप–धारा 3 के अधीन सदस्य के रूप में नामित व्यक्तियों के नाम सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगी। केंद्र सरकार, सरकार द्वारा नाम प्राप्त होने के 45 दिन के अंदर इन नामों को अधिसूचित करेगी या उस तारीख तक, इनमें से जो भी तारीख बाद में हो, अधिसूचित करेगी, जिस तारीख को परिषद् का पुनर्गठन

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					किया जाना है। नए नामों की अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के 45 दिन की समाप्ति पर यह समझा जाएगा कि ये नाम प्रभावी हो गए हैं, भले ही उन्हें राजपत्र में प्रकाशित न किया गया हो।
7.	7(4)	जोड़े		इस अधिनियम के अधीन सदस्य कानूनी कर्त्तव्य का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार यह आवश्यक है कि यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार परिषद् का कार्य देख रहा हो, तो उसके नियोजक द्वारा उसे ड्यूटी पर समझा जाना चाहिए और वह आनुषंगिक लाभों का हकदार होगा।	प्रेस परिषद् के सदस्य श्रमजीवी पत्रकार को उसके नियोक्ता द्वारा उस समय ड्यूटी पर समझा जाना चाहिए जब वह प्रेस परिषद् का कार्य देख रहा हो।

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
8	14(2)	जोड़े	पांच प्रावधान	परिषद् के निर्णयों और निदेशों का अनुपालन न करने से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने के लिए संशोधन।	(i) परंतु यह कि ऐसे निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित समाचारपत्र/ समाचार एजेंसी पर आबद्धकर होगा। (ii) परंतु यह कि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर इस धारा के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन न करने पर परिषद् उस समाचारपत्र/ संबंधित पत्रकार की परिनिंदा कर सकती है और/ या राज्य के प्राधिकारियों को निदेश दे सकती है कि वे उस समाचारपत्र को तब तक विज्ञापन देना बंद कर दें जब तक न्यायनिर्णय प्रकाशित नहीं किया जाता है या जब तक परिषद्

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					द्वारा अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है। (iii) परंतु यह कि 6 माह के अंदर इस धारा के अधीन दो परिनिंदाएं किए जाने पर यदि परिषद् उचित समझे तो संबंधित प्राधिकारियों को कह सकती है कि सरकारी निधि से दिए जाने वाले विज्ञापन जारी किए जाने के लिए उस समाचारपत्र को निलंबित रखे जाएं और समाचार एजेंसी के मामले में संपादक या पत्रकार द्वारा ऐसा किए जाने पर यथास्थिति उस संपादक या पत्रकार का प्रत्यायन निलंबित किया जाए, या अधिक से अधिक तीन महीने की

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					अवधि के लिए उसे रद्द किया जाए। (iv) परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन जारी निदेशों का एक वर्ष में 6 माह की अवधि के अंदर पालन न किए जाने की दो से अधिक घटनाओं के कारण यथास्थिति उस समाचारपत्र या समाचार एजेंसी के पंजीकरण को अधिक से अधिक 15 दिन तक निलंबित करने का दंड लगाया जा सकता है। (v) परंतु यह कि इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें राज्य के प्राधिकारियों पर आबद्धकर होंगी।
9.	15(4)	संशोधन करें	यदि परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने किसी उद्देश्य या अपने कार्य–निष्पादन	इस अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि परिषद्, प्रेस की स्वतंत्रता	यदि परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने किसी उद्देश्य या अपने

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
			के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, तो वह ऐसी टिप्पणी कर सकती है, जो उपयुक्त समझे और उसके निर्णय या रिपोर्ट का सभी प्राधिकारियों द्वारा, जिसमें सरकार भी शामिल है, आदर किया जाएगा।	बनाए रखे और सार्वजनिक हित और महत्त्व के समाचारों की आपूर्ति और प्रसार को प्रतिबंधित करने जैसी गतिविधियों की समीक्षा करे। लेकिन इसके अधीन परिषद् को कोई ऐसी शक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त धमकी के खिलाफ कार्रवाई कर सके या इस प्रकार की शिकायतों के संबंध में जांच के आधार पर दिए गए निदेशों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई कर सके। प्रस्तावित संशोधन से इस कमी पर भी ध्यान दिया जाएगा।	कार्य–निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, तो वह ऐसी टिप्पणी कर सकती है और ऐसा आदेश जारी कर सकती है और ऐसे निदेश दे सकती है, जो उपयुक्त समझे और उसके निर्णय या रिपोर्ट का सभी व्यक्तियों या प्राधिकारियों, द्वारा, जिसमें सरकार भी शामिल है, आदर किया जाएगा।

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
10.		जोड़े नई धारा 15(5)		विधान पालिका के प्रति प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व को बढ़ाना।	"यदि प्रेस परिषद् द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्राधिकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो इस प्रकार की टिप्पणियां यथास्थिति संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडलों के समक्ष रखी जाएंगी।"
11.	धारा 16(1)	नया परंतुक जोड़ें		इससे आवधिक रूप से परिषद् के राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।	"परंतु यह कि पंजीकृत समाचारपत्रों पर शुल्क की लेवी प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की दर से स्वतः बढ़ जाएगी।"
12.		जोड़ें नई धारा 16(3)		परिषद् को शुल्क की अदायगी में चूक करने वाले समाचारपत्रों की बढ़ती हुई संख्या	"केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार का कोई भी विभाग या कोई

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
				और वसूली में लगने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए लेवी का बकाया बढ़ता जा रहा है। वसूली की लागत उसकी लेवी की रकम के अनुपात में सही नहीं बैठ रही है। चूंकि वसूली अलग–अलग समाचारपत्रों से की जाती है और वर्तमान में शुल्क में 100/– रुपए से अधिकतम 7500/– रु. तक का अंतर है।	भी सरकारी प्राधिकारी तब तक 5000 से अधिक प्रतियों के प्रचालन वाले समाचारपत्रों द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन के बिलों का भुगतान नहीं करता है जब तक समाचारपत्र पिछले प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् से "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत नहीं करता है।"
13.	23(3)	नई धारा 23(3) जोड़ें		यह सुरक्षा, परिषद् के श्रमजीवी पत्रकार सदस्य के लिए अनिवार्य है ताकि परिषद् की स्वतंत्रता बनी रहे।	"प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में उसके क्रियाकलापों के संबंध में श्रमजीवी पत्रकार के खिलाफ उसका नियोक्ता कोई कार्रवाई नहीं करेगा।"

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
14.	23(क)	इस अधिनियम की धारा 23 और 24 के बीच नई धारा जोड़ें		परिषद् के ध्यान में ऐसी कई घटनाएं आई हैं, जिनमें पूरे देश में प्रेस परिषद् के नाम का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई से भारतीय प्रेस परिषद् के प्राधिकार का दुरुपयोग होता है और भोली–भाली जनता को भ्रमित किया जाता है। अन्य निकायों या एसोसिएशनों द्वारा "विश्वविद्यालय" शब्द के खिलाफ इसी प्रकार का प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में भी है।	"23–कः "प्रेस परिषद्" शब्द का प्रयोग करने के बारे में निषेध" (1) कोई भी व्यक्ति या संस्था या प्राधिकरण "प्रेस परिषद" शब्द का प्रयोग नहीं करेगा या इसे नहीं जोड़ेगा या अपनी संस्था या निकाय या प्राधिकरण के नाम के रूप में या नाम के भाग के रूप में इस प्रकार के किसी शब्द को नहीं जोड़ेगा। (2) इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ऐसे निकाय की मान्यता रद्द की जा सकती है और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उसे जेल भेजा जा सकता है या ये दोनों दंड

क्र. सं.	धारा	प्रस्तावित कार्रवाई	विद्यमान प्रावधान	प्रस्ताव के कारण	आशोधित/संशोधित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
					लगाए जा सकते हैं। इसे अधिनियम के संगत प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए, जिनमें यह प्रावधान किया गया है। (3) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध पर परिषद् के पास शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली में मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाया जाएगा।

(इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की वही परिभाषा है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है।)